खण्ड-384, अंक-4
शुक्रवार, 7 फाल्गुन, शक संवत् 1909
(26 फरवरी, 1988 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 384 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1988

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	0–2
प्रश्नोत्तर	3–61
जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड सोरांव तथा मेजा में भीषण उपलवृष्टि से हानि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
डी0सी0यू0–2 सार्वजनिक निर्माण विभाग बस्ती के विभिन्न मार्गों के निर्माण में घोटाले के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद आगरा के फर्जी कागजी नसबन्दी किए जाने के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63
वाराणसी जनपद में वरूणा नदी के कोरअत घाट पर सेतु निर्माण के विषय नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अधिशासी निदेशक द्वारा आवश्यक वस्तुओं के क्रय में कमीशन लेने के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद इटावा के विधूना तहसील में डीजल आपूर्ति केन्द्र की कमी के कारण डीजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65
जनपद जौनपुर के बरसठी ब्लाक में 20 सूत्री कार्यक्रम की अवहेलना एवं धन के दुरुपयोग के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	65–66
दिनांक 25–2–88 को डा0 संजय सिंह द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्तुत बधाई प्रस्ताव पर सदन का मत लेने तथा श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हेतु निर्धारित समय देने के सम्बन्ध में उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न को सुने जाने की मांग	67–77
श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा प्रक्रिया नियमावली के नियम 291(क) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण की अनुज्ञा दिए जाने की मांग (जारी)	78–85
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	85
श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा प्रक्रिया नियमावली के नियम 291(क) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण की अनुज्ञा दिए जाने की मांग	85
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	86–88
डा0 संजय सिंह को निलम्बित किए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	89
श्री जयदीप सिंह बरार तथा डा0 संजय सिंह के निलम्बन को वापस लिए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	90
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की शेष सूचनाओं को कल लिए जाने के अनुरोध (स्वीकृत)	90
बजट साहित्य विवरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में सदन को दी गयी सूचना ..	91
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	91
वित्तीय वर्ष 1988–89 का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया)	91–109
नत्थियां	110–116

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे--

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	भोलां शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	मंगलदेव, श्री	गोण्डा
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	राम नरेश यादव, श्री	मैनपुरी
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर	विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा	वीरेन्द्र सोन, श्री	आगरा
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव	शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
दूधनाथ, श्री	जौनपुर	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
देव कुमार यादव, श्री	बांदा	शेर बहादुर सिंह, श्री	फैजाबाद
नरेन्द्र सिंह कुंवर,	सहारनपुर	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
नरेन्द्र सिंह, चौधरी	कानपुर	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
पुष्कर सिंह, श्री	गढ़वाल	सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
प्रभुदयाल, प्रधान	मेरठ	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़	सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तर काशी	सुखपाल पाण्डे, श्री	बस्ती
बालेश्वर, श्री	देवरिया	सरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
भगवती प्रसाद, चौधरी	मिर्जापुर	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
भृगुनाथ भट्ट, श्री	गोरखपुर	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
भोपाल सिंह श्री	मेरठ	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 1988 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उ0 प्र0 में राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, स्थानीय निकाय एवं निगम के कर्मचारियों का वेतन पुनर्निर्धारण

**1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में राज्य कर्मचारी, शिक्षक एवं सरकारी निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पुनर्निर्धारण हेतु गठित वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट उ0 प्र0 शासन को दे दी है और क्या उ0 प्र0 शासन ने उस रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ? यदि हां, तो पुनरीक्षित वेतनमान कब से लागू कर दिये जायेंगे ?

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री अमि प्रकाश रिछारिया)–

शासन द्वारा गठित वेतन समिति ने राज्य कर्मचारियों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट शासन को दिनांक 31-12-1987 को प्रस्तुत कर दी है। सरकारी निगमों एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। रिपोर्ट विचाराधीन है और शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी शिक्षक महासंघ का 29 नवम्बर, 1987 को जो शासन से समझौता हुआ था, उसमें यह तय हुआ था कि राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, स्थानीय निकाय कर्मचारी और निगम के कर्मचारियों के पूरे वेतन निर्धारण एक साथ किये जायेंगे और रिपोर्ट एक साथ दी जायेगी। इसके साथ ही साथ यह भी तय हुआ था कि रिपोर्ट 6 महीने में दे दी जायेगी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस रिपोर्ट को 30 जून, 1987 तक देने की बात कही थी, फिर 15 दिसम्बर, 1987 तक का समय बढ़ाया गया और फिर 31 दिसम्बर, 1987 को रिपोर्ट आ गयी, उसमें केवल राज्य कर्मचारियों के साथ शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। शिक्षकों, स्वायत्त शासन के कर्मचारियों और निगमों के कर्मचारियों की रिपोर्ट पेश नहीं की गयी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो अधूरी रिपोर्ट है, उसके पेश करने के क्या कारण हैं और इसके साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट कर्मचारियों की पेश की गयी है, वह क्या है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, वह रिपोर्ट क्या है, यह गोपनीय है। इसलिये वह बतायी नहीं जा सकती है, लेकिन विलम्ब का कारण यह है कि जब वेतन समिति का संकल्प प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया तो जो उसके अध्यक्ष थे, श्री भट्टाचार्य जी, उनके अस्वस्थ होने के कारण फिर श्री महेश्वर प्रसाद जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया, तो इस प्रकार से विलम्ब हो गया और जब समिति ने कार्य करना प्रारम्भ किया तो प्रारम्भ में लगा कि विसंगतियों को लेकर जो महासंघों से प्रतिवेदन आयेंगे, उनकी संख्या बहुत कम होगी, लेकिन प्रतिवेदनों की संख्या 500 हो गयी और जिसमें साक्ष्य वगैरह लेने की आवश्यकता थी और उसमें समय लगा, इसलिए इसका समय बढ़ाया गया और उस समय के बाद फिर 1000 प्रतिवेदन आये कुल 1500 हो गये और उनको सुनने में समय लगा इसलिए इसका समय 31 मार्च, 1988 तक बढ़ाया गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वेतन समिति की रिपोर्ट गोपनीय है, लेकिन क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसकी मुख्य-मुख्य संस्तुतियां क्या हैं और क्या वेतन समिति ने यह संस्तुति की है कि केन्द्र के समान वेतन दिया जाये या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, यदि इसका उत्तर दे दूंगा तो उसकी गोपनीयता ही क्या रहेगी ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 31-12-87 को रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी और शिक्षक संघ के लोग बराबर दबाव डाल रहे हैं कि जल्द से जल्द रिपोर्ट लागू की जाय । मुख्य मंत्री जी का कहना है कि अभी पूरी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो पायी है अतः हम उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं । इसलिए क्या राज्य कर्मचारियों की मांगे और जनहित को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे और कोई तिथि निश्चित करेंगे कि उस तिथि तक हम इसकी घोषणा कर देंगे और रिपोर्ट लागू कर देंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, 31 मार्च, 1988 तक सारी रिकमन्डेशन्स प्राप्त होने की सम्भावना है। उसके तत्काल बाद ही उस पर विचार करके उसकी घोषणा करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, शुरू में माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया था और माननीय पाण्डेय जी के उत्तर में उन्होंने कोई बात बदल दी । मैं उसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब आंशिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और शासन उस पर विचार कर रहा है या जब पूरी रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी तब विचार की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। यह अनुशंसायें शायद जनवरी, 1986 से लागू होंगी। आपने कर्मचारियों के आन्दोलन के बाद उन्हें यह आश्वासन दिया था कि जनवरी, 86 से वह रिपोर्ट लागू होगी । इस बीच न्यूनतम वेतन का सिद्धान्त तय हुआ है कि उसके स्लैब बढ़ते चले जायेंगे

जब-जब केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों का स्लैब बढ़ायेगी। किन्तु अभी राज्य सरकार उसे नहीं कर पायी है। इस सम्बन्ध में भी क्या आप आश्वासन देने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

समझौता मूल्य सूचकांक के 608 से ऊपर विचार किये जाने का था। उसके उपर विचार किया गया । वेतन समिति ने जो रिकमन्डेशन्स की हैं उन पर शासन विचार करेगा और शासन एक सुनिश्चित पालिसी के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए, समझौते को ध्यान में रखते हुए उस पर कार्यवाही करेगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के बारे में भी प्राप्त हुई है या उनके शिक्षकों के सम्बन्ध में ही हुई है ? यदि शिक्षकों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तो उसके विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, शिक्षकों की भी प्राप्त हो गयी है।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि 3-12-86 को महा संघ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी लेकिन उसमें विलम्ब होने के कारण वह 31-12 को प्रस्तुत की गई और वह भी अधूरी प्रस्तुत की गयी। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज बजट आ रहा है। क्या इन कर्मचारियों को, जिनके वेतन में वृद्धि हो गयी है, इस बजट में उसका प्राविधान किया गया है ? यह बताने की कृपा करें।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं बुलाया गया।)

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या प्रदेश सरकार इस बात को सिद्धान्ततः स्वीकार करती है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर होना चाहिए ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, अभी जो राज्य कर्मचारियों की दुबारा स्ट्राइक हुई थी तो मुख्य मंत्री जी ने जो रिलीफ दिया था उसमें मात्र डेढ़ रुपया की कमी थी। उस हिसाब से उसका स्लैब 748 रुपये 50 पैसा तक पहुंच गई है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, 5 जनवरी को महासंघ के अध्यक्ष श्री मान्धाता सिंह और लल्लन पांडेय ने मुख्य मंत्री जी से भेंट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर ही उसको लागू कर दिया जायेगा । तो मान्यवर, अब उसकी गोपनीयता का कोई प्रश्न नहीं उठता । माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि सरकार के वेज एण्ड मीन्स इस स्थिति में नहीं है कि वह सरकारी कर्मचारियों का का वेतन दे सके । और इन्हीं कारणों से इस रिपोर्ट को सरकार लागू नहीं कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, आपका कहना सही नहीं है।

सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगायी गयी रोक को निरस्त करने पर विचार

**2–डाक्टर दिनेश जौहरी, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा शारदा नन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस समय विभिन्न विभागों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर सरकार ने रोक लगा दी है? यदि हां तो इसके क्या कारण है? क्या मंत्री जी प्रदेश में दिनों दिन बढ़ती हुई बेरोजगारों की संख्या को देखते हुए पुनः नियुक्तियां प्रारम्भ करने के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

केवल आयोजनेत्तर पक्ष में श्रेणी–3 (लिपिक) व श्रेणी–4 (तकनीकी पदों को छोड़ कर) सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर 31 मार्च, 1988 तक रोक लगाई गई है। राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय भार में कमी करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। अतः उसे समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में लाखों बेरोजगार नौजवान बेकार घूम रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि संसाधनों की कमी के कारण इस वर्ष नियुक्तियां रोक दी गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में इस समय कुल कितने शिक्षित बेरोजगार है और उनको रोजगार दिलाने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

दूसरा जो 31 मार्च, 88 तक नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है वह समाप्त होने के बाद अप्रैल से फिर लागू नहीं होगी इसका वह आश्वासन देंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जैसा सभी माननीय सदस्य जानते है बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये विभिन्न स्तरों पर बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे है। स्वतः रोजगार योजना में ग्रेजुवेट्स को लोन दिया जा रहा है। एक लाख करीब छोटे बड़े उद्योग बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये खोले जा रहे है । इसी प्रकार अनस्किल्ड लोगों के लिये भी रोजगार की बहुत सारी योजनायें चलाई जा रही है जिससे बेरोजगारी पर कंट्रोल किया जा सके । श्रीमन्, आये दिन सदन में इस बात पर चर्चा होती है कि विभिन्न विभागों में एक्सपेंडीचर बढ़ता जा रहा है। कल ही माननीय नेता विरोधी दल ने अपने साढ़े तीन घंटे के वक्तव्य में आधा घंटा एक्सपेंडीचर कंट्रोल पर लगाया। तो यह इसी भावना को देखते हुए किया गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात के लिए सरकार ने बजेटरी प्रोवीजन रखा था कि बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये नये पद सृजित करके नयी नियुक्तियां करके बेरोजगारी दूर की जाय और उसके लिए बजट में धन रखा गया था? उस मद पर जो धन खर्च नहीं हुआ है, उसका क्या कारण है, उस बजटरी प्राविजन का इस्तेमाल न करने का क्या कारण है, कितना धन उसके लिये रखा गया था और कितने पद थे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, इस संबंध में विभागवार सूचना मेरे पास नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों और निगमों में कुल कितने पद रिक्त हैं जिनको भरा नहीं गया है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

इसकी सूचना मान्यवर, उपलब्ध नहीं है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार के पास आंकड़े होंगे कि विभिन्न विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने पद रिक्त हैं माननीय मंत्री जी उसे बताने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कहा कि उपलब्ध नहीं है इस समय ।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा रखी है एक्सपेंडीचर कंट्रोल करने के लिये लेकिन क्या यह सही नहीं है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की संख्या विभिन्न विभागों में बढ़ाई गयी है, अनावश्यक रूप से पद सृजित करके खर्च बढ़ाया जा रहा है ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, यह सच नही है ।

श्री अचल सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी की जानकारी है कि फतेहपुर के यूनानी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी ने शासन के आदेश के बावजूद भी चतुर्थ श्रेणी में भर्ती नहीं की जायेगी लेकिन 21-1-88 को 15 लोगों की भर्ती किया जिसकी शिकायत भी की गयी किन्तु अभी तक वह भर्ती निरस्त नहीं की गयी है, क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर भर्ती को निरस्त करायेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

यह तो एक जगह का स्पेसिफिक उदाहरण है, इस लिये इसकी जानकारी नहीं है लेकिन जांच के लिए कहेंगे तो जांच इस पर करा ली जायेगी।

श्री शारदा प्रताप–

अभी मंत्री जी ने यह कहा कि तमाम ग्रेजुएट बेकार हैं और उन्होंने कहा कि उनको स्वत: बेरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों से भी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1986-87 और 1987-88 में स्वत: बेरोजगार योजना के अंतर्गत लखनऊ में बैंकों से कितने लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मैं जानना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश में कितने शिक्षित बेरोजगार हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या शिक्षित बेरोजगारों को आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो क्या सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेगी?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, शिक्षित बेरोजगारों की फीगर के संबंध में लेबर विभाग बता सकता है, हमारा विभाग इससे संबंधित नहीं है। दूसरा प्रश्न जो है उसमें उन लोगों को सीधे भत्ता न देकर स्वत: बेरोजगार योजना में बहुत सी योजनायें चलाई जा रही हैं और उसमें ग्रेजुएट तकनीकी और नान तकनीकी जो आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको उद्योग धंधे लगाने के लिये हर स्तर पर बैरीयता और सब्सिडी दी जा रही है ।

श्री शारदा नंद अंचल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती रोकने पर सरकार को कितने रुपये की बचत हुई है? प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की नियुक्ति पर वर्तमान सत्र में कितना खर्च बढ़ा है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, अक्टूबर, 1987 में सूखे की स्थिति को देखते हुए 5 प्रतिशत की कटौती करने का एक जी0 ओ0 इश्यू हुआ और इसके बाद नवम्बर में यह कहा गया कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जो पद रिक्त हो गये हैं उन पर भर्ती न की जाये और यह भी कहा गया कि जो आपके पास में सरप्लस स्टाफ है उसको जीरो बजटिंग प्रणाली के आधार पर प्रत्येक विभाग सर्वेक्षण कराकर दो महीने में अपनी रिपोर्ट शासन को दे कि कितना स्टाफ सरप्लस है? पांच प्रतिशत इक्सपेंडीचर कमी का अभी विवरण नहीं आया है जिसे कि हम बता सकें कि प्रत्येक विभाग में कितनी बचत हुई है लेकिन मंत्रि परिषद् एक निर्णय लेने जा रही है कि एक समिति बनाकर सर्वेक्षण कराकर सूचना एकत्र की जाये, तो सूचना एकत्र जब हो जायेगी तो मैं सूचित करूंगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, केवल एक प्रश्न की मुझे आप इजाजत दे दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बेनी प्रसाद वर्मा जी, 20 मिनट हो गये हैं। अब बैठिये ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा बहुत महत्व का विषय है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मंत्री जी कृपा करके यह बता दें कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी बढ़ी है रोजगार कार्यालयों के आंकड़े के अनुसार?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

अभी मैंने कहा है यह श्रम विभाग से सम्बन्धित है। इसका सीधा उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

देखिये समय काफी हो गया है, बाद में शिकायत होती है कि ज्यादा सवाल नहीं हो सके । रामचन्द्र बख्श सिंह जी ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मेरा बहुत अहम् प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

अहम तो सभी हैं, कौन अहम नहीं है?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

[शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 1988 ई0 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री कौशिक रमाशंकर–

[प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राज्य में इन्तखाब खतौनी लेने के लिए किसानों द्वारा लेखपालों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक,

*2–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय राज्य में इन्तखाब खतौनी लेने के लिए किसानों को प्रति इन्तखाब बारह रुपया लेखपाल को उजरत की देनी पड़ती है ? क्या शासन द्वारा उपरोक्त उजरत स्वीकार की गयी है तथा क्या संबंधित नियमों में संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो वह संशोधन या निर्देश क्या है ?

संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

जी नहीं । शासन के आदेशानुसार प्रत्येक खेवट खाता या खतौनी का एक वर्ष का प्रमाणित उद्धरण प्राप्त करने के लिए लेखपाल का पारिश्रमिक दो रुपये निर्धारित है तथा एक खाता खतौनी में सम्मिलित सभी गाटों के खसरे के एक वर्ष की पृविष्टियों के प्रमाणित उद्धरण के लिए देय फीस भी दो रुपये निर्धारित है । उद्धरण के लिए उपयोग किये जाने वाले कागज का मूल्य फीस में सम्मिलित है ।

राजकीय महिला संरक्षण गृहों के अन्तर्गत संचालित प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों के समान वेतन प्रदान किया जाना

*3–श्री राज किशोर सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा को तथा प्रदेश के अन्य जनपदों में स्थित राजकीय महिला संरक्षण गृहों के अन्तर्गत संचालित प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के कर्मचारियों को भी राजकीय कर्मचारी मानकर राजकीय कर्मचारियों के समान वेतन व सुविधा प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (कु0 सरस्वती अम्माल)–

जी नहीं ।

स्वैच्छिक संस्थाओं के कर्मचारी होने के कारण इन कर्मचारियों को शासन द्वारा सरकारी कर्मचारी नहीं माना गया है ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, प्रदेश के 5 जिलों में, 6 जिलों में राजकीय महिला संरक्षण गृह स्थापित हैं और उन्हीं के तहद प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र चलता है, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इन तमाम उत्पादन केन्द्रों में जिनका अभी मैंने जिक्र किया काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन किस प्रकार मिलता है, इनके वेतनक्रम क्या हैं ? तथा जब यह प्रदेश की सरकार के अन्तर्गत चल रहे हैं तो यह स्वैच्छिक संस्था कैसे मानी गई हैं ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए, पहला प्रश्न यह है कि जो हमारे पांच महिला संरक्षण गृह चल रहे हैं-मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी व लखनऊ में तथा एक उद्धार गृह फतेहपुर (सहारनपुर) में चल रहा है, और यह आपने सही कहा है कि यह राजकीय संरक्षण गृह हैं । यह बात सही है, लेकिन जब इन संरक्षण गृहों द्वारा 4 संरक्षण गृहों और एक उद्धार गृह की स्थापना हुई, इसलिए जो निराश्रित महिलायें हैं उनको संरक्षण देने के लिए, उनके सिर के ऊपर एक छत देने के लिए, घर का वातावरण उनको उपलब्ध कराने के लिए, किन्तु यह भी देखा गया कि केवल उनको संरक्षण देने से ही उनका उद्धार नहीं होगा, उनको कोई काम-काज भी जरूर सिखाना चाहिए, कोई हैण्ड-वर्क सिखाना चाहिए, ताकि वह आगे जाकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें । तो इन राजकीय संरक्षण गृहों के अन्तर्गत, हर एक के अन्तर्गत एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र खोला गया । यह चूंकि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में कोई प्रशिक्षित व्यक्ति सिखाने वाले नहीं थे, इसलिए यह कार्य उद्योग विभाग को दिया गया। तब उद्योग विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र वहां जुलाई, 1962 में खोले गये । परन्तु कालान्तर में . . . . (शोर) मैं भाषण नहीं दे रही हूं आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दे रही हूं।

(शोर)

श्री राज किशोर सिंह–

मैंने जो प्रश्न पूछा है यह उसका उत्तर नहीं है ।

(शोर)

मान्यवर, मैंने पूछा है कि कर्मचारियों के वेतनक्रम क्या हैं ? यह मंत्री जी नहीं बता रही हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मैं वही बता रही हूं इनके वेतनमान जो हैन्ड-वर्क, सिलाई सीखती हैं उनको रु0 85 से रु0 150 तक एवं जो चपरासी और अटेन्डेन्ट हैं उनको साढ़े 27 रुपये से 32 रुपये तक मिलता था । उसके बाद अब ढाई सौ रुपये से डेढ़ सौ रुपये तक कर दिया गया है । लेकिन 1-2-88 को कन्सौलिडेटेड रूप में जो प्रशिक्षण देने वाले अध्यापक हैं उनको साढ़े चार सौ रुपये वेतनमान दिया जा रहा है । जो चपरासी हैं उनको डेढ़ सौ रुपये दिया जा रहा है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगी कि संरक्षण गृहों में उत्पादन के कार्यों में कार्यरत आपके जो कर्मचारी हैं उनको राज्य कर्मचारी मानेंगी या नहीं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं यह संरक्षण गृह या तो उद्योग विभाग से चलते हैं या हरिजन विभाग द्वारा संचालित होते हैं क्योंकि राजकीय विभाग उसके अधीन काम करते हैं । उनकी न तो अलग से संस्था होती है न और कुछ । तो उनको राज्य कर्मचारी न मानने का क्या कारण है ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं पर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उस कर्मचारी पर कोई न कोई एक्ट तो लागू होगा ही । अगर वह राजकीय कर्मचारी नहीं है अगर स्वायत्त संस्था चल रही है और वह उसका कर्मचारी है तो उस पर भी मिनिमम वेजेज एक्ट लागू होना चाहिए । क्या माननीय मंत्री जी जो राजकीय सरकार का नियम–148 है, उसके तहत जो वेतनमान तय किये गये हैं उनको तत्काल दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, यह जो उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र हैं यह सरकारी नहीं है यह दीक्षक मंडल चला रहा है। सोशल वर्कर और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक समिति है। प्रत्येक संरक्षण गृह जो चल रहा है उसका संबन्ध एक समिति से है और समिति ही इसको चला रही है यह सरकारी नहीं है । यह उसी शहर के सोशल वर्कर उसी शहर के सम्मानित सदस्य इसका संचालन कर रहे हैं इसमें सरकार की तरफ से 80 हजार रुपया अनुदान दिया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके पूर्वार्द्ध का उत्तर आ गया लेकिन उत्तरार्ध का उत्तर नहीं मिला है । अगर कोई संस्था इनको चला रही है तो उसके ऊपर मिनिमम वेजेज एक्ट लागू न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार मिनिमम वेजेज एक्ट लागू करेगी ?

कुमारी सरस्वती अम्माल–

मान्यवर, यह सरकारी कर्मचारी नहीं है फिर भी अगर यह लोग संगठित होकर, ट्रेड यूनियन एक्ट के मुताबिक संगठित होकर अपनी मांगें रखेंगे तो उसको दिखलवा लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, लेबर मिनिस्टर मिनिमम वेजेज एक्ट विरोधी उत्तर दे रही हैं । जब मास्टर इम्पलायर सरकार है तो वहां पर मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार क्यों वेतन नहीं दिया जा रहा है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री राजकिशोर सिंह–

मान्यवर, मा0 गुप्त जी ने जो प्रश्न किया है वह बहुत मौलिक प्रश्न है । सरकार ने जो न्यूनतम वेतन अधिनियम बनाया है उसमें यह प्राविधान है कि कम से कम 550 रुपये वेतन होगा । इस संस्था के बारे में कहा जा रहा है कि यह सरकारी नहीं है । न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत जो इनको 550 रुपये देय है तो उसको देने में क्या दिक्कत है ?

दूसरी बात यह है कि अल्मोड़ा में आपका प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित है तो वहां पर क्या मिनिमम वेजेज दिये जा रहे हैं इसके बारे में बता दें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, अल्मोड़ा के संरक्षण गृह की स्थापना मार्च, 1984 में हुयी थी । वहां का प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र उसी के एक भाग के रूप में स्थापित हुआ था अर्थात अल्मोड़ा संरक्षण गृह अगर राजकीय है तो उसका उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र भी राजकीय हुआ इसलिए उसकी स्थिति भिन्न है।

*4–श्री राजित प्रसाद यादव–

[उ0 गुरुवार में ता0 प्र0 स0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मथुरा जनपद में क्यौंही विजहरी ड्रेन में ली गयी भूमि का ब्याज सहित मुआवजा दिया जाना

*5–श्री सरदार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद में क्यौंही विजहरी ड्रेन में ली गयी भूमि का मुआवजा सिंचाई विभाग द्वारा जमा करने की बावजूद भी किसानों को अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों? क्या शासन अविलम्ब सब ब्याज के किसानों को उक्त मुआवजा दिलाने का कष्ट करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

जी हां, । प्रतिकर की धनराशि जमा है तथा उसे मय ब्याज के किसानों को भुगतान किया जायेगा ।

इस प्रकरण में सिंचाई विभाग ने 72.39 एकड़ भूमि, जो 417 कृषकों की है, पर दिनांक 9-10-1978 को बिना अधिग्रहण की औपचारिक कार्यवाही के कब्जा लेकर निर्माण कार्य करा लिया है । इसके पश्चात सिंचाई विभाग ने भूमि अर्जन के अधिग्रहण का औपचारिक प्रस्ताव राजस्व विभाग को 19-1-79 को प्रस्तुत किया। प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण था इसलिए यह उन्हें वापस कर दिया गया । कालान्तर में त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव कई बार संशोधित किया गया । अन्तिम बार 5-9-1986 को सही प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 13-1-87 को भूमि अर्जन की विज्ञप्तियों के प्रकाशन हेतु सिंचाई विभाग को सन्दर्भित किया गया है । विज्ञप्तियों का प्रकाशन अभी नहीं हुआ है । विज्ञप्तियों के प्रकाशन के उपरान्त अवार्ड की घोषणा करके भूस्वामियों को देय प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । किसानों की भूमि बहुत पहले ले ली गयी और अभी तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया है? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो ब्याज दिया जायेगा उसका रेट क्या होगा ? जो भूमि की कीमत दी जायेगी वह जिस दिन प्रस्ताव कायदे से किया जायेगा उसी दिन से लगायी जायगी सन् 78 की लगायी जायगी ? दूसरी बात यह है कि जिन अधिकारियों ने त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव भेजा है, जिनकी वजह से इतना विलंब हुआ है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सरदार सिंह जी की चिन्ता स्वाभाविक है । आपने जो ब्याज की दर पूछी है वह मैं बता रहा हूं । लेकिन मैं माननीय सदन के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं कि मथुरा के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में माननीय सरदार सिंह और दूसरे माननीय सदस्यों ने कई बार चिन्ता व्यक्त की थी । तो जनहित में इस ड्रेनेज का कार्य तो करा दिया गया और जो भूमि अर्जन की कार्यवाही थी, वह बाद में प्रारम्भ हुई । उसमें जैसा कि मैंने मूल उत्तर में कहा कि प्रस्ताव जो आये थे, वह त्रुटिपूर्ण थे । आपने प्रश्न किया कि कितने प्रतिशत की ब्याज देय होगी । इस मामले में एक शासनादेश जारी हुआ है कि 30-4-82 तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से तथा उसके बाद के वर्षों के लिए 15 प्रतिशत प्रति वर्ष के लिए दण्ड ब्याज देय होगा । इस प्रकार इस मामले में भूस्वामियों को उनकी हुई क्षति की पूर्ति हो जायगी । इस तरह का जब होता है, तो टोटल कम्पनसेशन बनेगा और उसका 30 प्रतिशत सोलेसियम भी देय होगा । इसमें विलम्ब अवश्य हुआ है, इसीलिए उसमें ब्याज की दर भी बढ़ा दी जा रही है। इसको मान्यवर, दिखवा लिया जायेगा कि किन-किन परिस्थितियों में या किसी तकनीकी कारणों से ऐसा हुआ है । यदि उनकी कदाशयता होगी, तो कार्यवाही की जायेगी। इसको मान्यवर, दिखवा लिया जायेगा।

श्री सरदार सिंह–

जमीन की कीमत कब दे देंगे ?

श्री गौरी शंकर–

जिस तारीख को जमीन का कब्जा कर लिया गया, जिसको अनधिकृत कब्जा हम स्वयं मानते हैं, उस तारीख से लेकर धारा 4 तक की विज्ञप्ति का जो पीरिआड है, उससे 30-4-82 तक का 6 प्रतिशत और उसके बाद से 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष दण्ड ब्याज देय होगा और 30 प्रतिशत सालेसियम भी देय होगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस विभाग ने अपनी विधिक कार्यवाही किये बगैर अवैध कब्जा किया, उसके खिलाफ क्या कोई दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे और पिछले 15 वर्षों में जिनकी जमीन आ गयी, उनका मुआवजा नहीं मिला, उस पर दण्ड ब्याज लगा कर 10 साल की क्षतिपूर्ति करेंगे?

श्री गौरी शंकर–

इसमें माननीय सरदार सिंह, माननीय बरार साहब के प्रश्न करने से पहले हमने उत्तर स्पष्ट करने की कोशिश की कि यह व्यवस्था जनहित में करनी पड़ी, क्योंकि जनपद मथुरा को ड्रेनेज सिस्टम चिन्ताजनक रहा और इसमें 14 लाख रुपये की धन-राशि इनवाल्व है, वह दी जायेगी और औपचारिकाएं ठीक तौर से जो नहीं बरती गयीं, इसीलिए दण्ड ब्याज दिया जा रहा है । उनकी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी ।

श्री मनोहर लाल–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न तो मथुरा से संबंधित है और उसमें माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि ब्याज सहित किसानों को मुआवजा दिया जायगा । इसी तरह से पूरे प्रदेश के अन्दर किसानों की जमीन 10 साल, 15 साल पहले ले ली गयी थी । उन्नाव, डलमऊ पम्प नहर-बी, जिसका उदघाटन स्वर्गीया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था और उन जमीनों का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया । जिस प्रकार से मथुरा के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा है, उसी तरह से चाहे उन्नाव हो या कोई अन्य, क्या माननीय मंत्री जी उन्हें भी मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

एक शासनादेश 5 जून, 1981 में हुआ था, उस शासनादेश के तहत जितने भी मामले ऐसी परिधि में आयेंगे, उनको उसका लाभ मिलेगा । उनको यह तय है दण्ड ब्याज वह दिया जायेगा।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, शासनादेश पहले से है, मैं 20 साल से बता रहा हूं ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं एक नीतिगत प्रश्न पूंछना चाहता हूं कि जैसे मथुरा का प्रश्न आया है कि जमीन ली जा रही है । मान्यवर, किसानों की भूमि अधिग्रहीत कर ली जाती है और वर्षों वर्ष हो जाता है उनको कम्पनसेशन नहीं दिया जाता है और लगान पड़ता रहता है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि क्या शासन यह घोषणा करेगी कि जब तक किसान को उसकी भूमि का कम्पनसेशन न दे दिया जाय, तब तक किसी प्रकार की भूमि अधिग्रहीत न की जाय ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्यगण को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि शासन ने इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में भूमि का अधिग्रहण हो जाता है तो धारा 17 के अन्तर्गत 15 दिन में कब्जा लेगें और 15 दिन के अन्दर 80 प्रतिशत धनराशि का तत्काल भुगतान किया जायेगा और 20 प्रतिशत की धनराशि जो नियमानुसार है, उसका भुगतान होगा । इस बात को पुनः बल दिया जा रहा है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि बिना कम्पनसेशन प्रदान किये हुए किसी भी प्रकार की भूमि का अर्जन न हो ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, अक्सर यह देखा जाता है कि जिस जमीन का अधिगृहण होता है और जिस विभाग द्वारा अर्जित की जाती है उस विभाग के धन जमा करने के बावजूद राजस्व विभाग की कमियों के कारण समय से मुआवजा नहीं मिल पाता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह इस बात पर मद्दे नजर रखते हुए अपने विभाग को निदेश देगें कि उनके विभाग की कमियों के कारण जो मुआवजा समय से नहीं मिलता तो उनकी कमियों के कारण देरी न होने पाये यदि देरी हो तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, ऐसा निदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य एक बड़ी शक्ति के श्रोत हैं उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए शासन ने व्यवस्था की है कि जो धनराशि विभाग ने जमा कर दी है और यह देरी कर दी गयी है तो जब तक मूल बजट में विभागों द्वारा प्रतिकर की धन-राशि यदि इनक्लूड नहीं कर ली जायेगी तो भूमि का अर्जन शुरू ही नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि वह धनराशि जमा होने के बाद राजस्व विभाग में भूमि व्यवस्था अधिकारी, उनको वाहन दे दिया गया है टेलीफोन दे दिया गया है उनको और साधनों को देने के बाद इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो धनराशि उनके पास उपलब्ध है वह तत्काल उन किसानों के पास पहुंचा दी जाय जिनकी भूमि अर्जन की गयी है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मूल प्रश्न में हो माननीय सरदार सिंह जी ने पूछा था, उसका उत्तर नहीं मिला है । किसानों की भूमि के मूल्य का जो आप मुआवजा देंगे वह किस वर्ष के मूल्य पर देंगे 78 के वर्ष पर या 86 के वर्ष पर ? भूमि की कौन सी कीमत लगायेगें जिस पर मुआवजा दिया जायेगा ? जब तक भूमि अध्याप्ति न होने के कारण राजस्व की माल-गुजारी जो बराबर ली जा रही है क्या वह पूरी की पूरी जब से भूमि विभाग ने ले रखी है, किसानों को वापस कराया जायेगा?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि यह ड्रेनेज की व्यवस्था में जमीन पहले तो ली गयी है, कंस्ट्रक्शन हो गया उससे जो लागत मिली है उसको भी कृपा करके अपने कृपा पूर्ण संज्ञान में लाने की आवश्यकता है । जो धनराशि आप कह रहे हैं इस शासनादेश के अंतर्गत यह मामला इनक्लूड है उसको करने के बाद उन सभी किसानों को उसका लाभ मिल रहा है और वह पूरी धनराशि इन किसानों को दे दी जायेगी ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जमीन अधिगृहीत की गयी 78 में और कीमत उसकी बढ़ती जा रही है, तो आप मुआवजा 1978 के रेट पर देंगे या 88 की दर पर । जो मालगुजारी किसानों को देनी पड़ रही है और किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, क्या किसानों की उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, इसी चीज को स्पष्ट कर रहा हूं कि इसी के लिए दण्ड ब्याज दिया जा रहा है ।

*6–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

[उत्तर शुक्रवार के लिए स्थगित]

ग्राम कोटरा संतौर में 1975-76 में तत्कालीन भूमि व्यवस्था जांच समिति द्वारा भूमिहीनों को आवंटित भूमि का कब्जा दिया जाना

*7–श्री राम शरण दास–

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के ग्राम कोटरा संतौर में वर्ष 1975-76 में हरिजनों, पिछड़ी जातियों एवं जन जाति के भूमिहीनों को ग्राम सभा द्वारा भूमि आवंटित की गयी थी और भूमि आवंटियों के नाम को राजस्व विभाग के कागजात में अमल-दरामद भी कर दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त भूमि आवंटियों में चार के विरुद्ध न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया था और शेष भूमि आवंटियों को आज तक भी राजस्व विभाग द्वारा भूमि का कब्जा नहीं दिलाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी पट्टेदारों को अविलम्ब कब्जा दिलाए जाने के आदेश निर्गत करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत तत्कालीन भूमि व्यवस्था जांच समिति द्वारा कथित आवंटन का स्थल निरीक्षण किया गया था, जिसमें उनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 6 सितम्बर, 1976 में आवंटन को अवैध बताते हुए उसे निरस्त करने की संस्तुति की गई थी। चूंकि उक्त आवंटन अवैध पाया गया था अतः उसे निरस्त किए जाने की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में पट्टेदारों को कब्जा दिलाए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, यह जो आवंटन हुआ है, यह इमरजेन्सी के समय का है । 1975-76 में, उस समय हमलोग जेलों में थे और यह लोग वाहवाही लूटने में पट्टे कर रहे थे । मैं जानना चाहूंगा कि जब यह पट्टे कर दिये गये तो किन सज्जन ने शिकायत की कि पट्टे गलत हुए, जिसके आधार पर भूमि व्यवस्था जांच समिति गठित की गयी ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जैसा कि मूल प्रश्न में स्पष्ट है कि मा0 सदस्य द्वारा चिंता व्यक्त की गई है कि कब्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है । मैंने उत्तर दिया है कि उनको कब्जा देने का प्रश्न इसलिये नहीं उठता है, चूंकि भूमि का आवंटन अपात्र व्यक्तियों को हो गया था, एक लेखपाल के जरिये । जब इसकी जानकारी जनपद स्तर पर और शासन स्तर पर हुई तो इसकी जांच भूमि व्यवस्था समिति ने की तो पता चला कि जिन व्यक्तियों को आवं- हुआ है, वह पात्र नहीं हैं । इसमें सर्वश्री दर्शनलाल, जनरंजन जोशी नारायन सिंह और शादी राम पात्र नहीं है । श्री दर्शन लाल, राज का काम करते हैं, श्री जनरंजन जोशी के पास 1.31 एकड़ भूमि है और इनके पिता के पास 4 एकड़ भूमि है । श्री नारायण सिंह का सम्बन्ध उस ग्राम सभा से नहीं है और श्री शादी राम बिजली के दफ्तर में चौकीदार के पद पर कार्यरत हैं । इसलिये इन व्यक्तियों को भूमि का आवंटन नहीं होना चाहिए । इसके लिये लेखपाल को निलम्बित किया गया और बाद में एक दूसरे प्रसंग में उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया है । इस हिसाब से काफी कार्यवाही हो गयी ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग इसमें अपात्र हैं और कितने पात्र हैं ? क्या जो लोग पात्र हैं, उनकी अमद-दरामद हो गयी है ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, यह प्रश्न मूल रूप से यह था कि इन लोगों को कब्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है । मैंने निवेदन किया कि ये लोग पात्र नहीं थे, इसलिये कब्जा नहीं दिया गया । पात्र व्यक्तियों को बताने के लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री राम शरण दास–

मैं यह पूरी राम कहानी नहीं सुनना चाहता । मुझे तो यह बता दें कि उसमें कितने पात्र व्यक्ति हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने पात्र व्यक्ति थे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैंने अपात्र व्यक्तियों का उल्लेख कर दिया । कितने लोगों को पात्र माना गया ? कितने का दाखिल खारिज हो गया ? इसकी सूची इस समय उपलब्ध नहीं है उसको मंगाने की आवश्यकता होगी । आपका मूल प्रश्न यह था कि कब्जा मिला या नहीं मिला ।

(श्री राम शरण दास के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम शरण जी अभी माननीय मंत्री जी खड़े हुए हैं ।

श्री गौरी शंकर–

अपात्र व्यक्तियों के भूमि का आवंटन भी निरस्त किया जायेगा ।

(श्री जवाहर सिंह यादव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपकी आवाज नहीं आ रही है । वह माईक खराब हो तो कृपा करके दूसरे माइक पर आ जायें ।

श्री जवाहर सिंह यादव–

मैं यह पूछ रहा हूं कि स्वेच्छा से एस0 डी0 ओ0 ने एक्सन लिया कि पात्र है ?

श्री गौरी शंकर–

कमेटी गयी, जांच पूरी हुई और उसके पूरे-पूरे बयान हुए ।

श्री राम शरण दास–

क्या पात्र व्यक्तियों की सूची मंगाकर हमको भिजवा देंगे । इसका भी जबाव दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न संख्या 9 पर आ रहा हूं । प्रश्नकर्ता श्री हरेन्द्र सिंह नहीं हैं । अब प्रश्न संख्या 10 लेता हूं ।

*8–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

ग्राम गढ़ी देशराज मौजा बहारा में रास्ता गाटा सं0 976 पर कुछ किसानों द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत पर कृत कार्यवाही

*9–श्री हरेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम गढ़ी देशराज मौजा बहारा में रास्ता गाटा संख्या 976 पर किन्हीं किसानों ने अवैध कब्जा कर रखा है ? क्या यह भी सही है कि संबधित ग्राम प्रधान ने पूर्व में ही संबंधित तहसीलदार को प्रश्नकर्ता के माध्यम से शिकायत की थी ? यदि हां, तो उस पर कब और क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बरेली जिले में मीरगंज में नई तहसील की स्थापना की मांग

श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी बरेली के पत्र संख्या 918/एक-2(78-79) दिनांक 2-3-82, पत्र सं0 2083/एक-2(78–79) दिनांक 18-8-82 एवं पत्र सं0 32/सात/स0 भू0 अ0 दिनांक 14-9-87 एवं आयुक्त बरेली के पत्र संख्या 784/प्रथम-1(87-88) दिनांक 3-12-87 द्वारा जिला बरेली में मीरगंज नई तहसील स्थापित करने का प्रस्ताव समय-समय पर राजस्व परिषद् को भेजा गया है ?

यदि हां, तो क्या शासन मीरगंज जो वर्ष 1933 तक तहसील थी, तत्काल तहसील घोषित करेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इतने वर्षों से मीरगंज को तहसील बनाने का मामला विचाराधीन होने के बावजूद अभी तक शासन द्वारा निर्णय न करने का क्या कारण है ?

श्री गौरी शंकर–

जी हां, परन्तु मण्डलायुक्त, बरेली का पत्र दिनांक 3-12-87 परिषद् में प्राप्त नहीं हुआ है ।

जी नहीं ।

तहसील पुनर्गठन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में मीरगंज में नई तहसील की संस्तुति नहीं की गयी है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

पहले माननीय मंत्री जी यह बता दें कि "जी नहीं" जो उत्तर दिया है वह प्रश्न के किस भाग का दिया है ?

श्री गौरी शंकर–

मीरगंज जो वर्ष 1933 तक तहसील थी का "जी नहीं" उत्तर है । बोर्ड आफ रेवेन्यू ने जो सूचना एकत्रित की है उसमें यह है कि इस प्रकार की 1933 के पूर्व कोई तहसील नहीं पायी गयी । मात्र केवल इतना प्रसंग आया कि किन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों ने कह दिया कहानी के तौर पर कि 1933 से पहले तहसील थी, जो बाद में तोड़ दी गयी । आधिकारिक स्तर पर इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

जिलाधिकारी ने तीन बार प्रस्ताव बनाकर तहसील बनाने के लिए भेजा है । आयुक्त के माध्यम से तहसील बनाने का प्रस्ताव आ चुका है । उसके बाद भी क्या कारण है कि मीरगंज को यह सरकार तहसील नहीं घोषित कर रही है ? प्रस्ताव में क्या कमियां हैं, उसको भी बता दें ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य के संज्ञान में यह तथ्य है कि तहसील घोषित करने के लिए 100 से लेकर 120 लेखपाल सर्किल का क्षेत्र मानक की दृष्टि से रखा जाता है । ऐसी स्थिति में बरेली तहसील के 201 गांव तथा बहेड़ी के 60 गांव कुल 261 गांव तथा बहेड़ी के 58 लेखपाल क्षेत्र मिलाकर, मीरगंज में 58 लेखपाल क्षेत्र मिलाने का प्रस्ताव है जो कि मानक से बहुत कम है । दूसरी बात इसके बीच में नदी पड़ती है । प्रस्तावित मुख्यालय नदी के किनारे पर पड़ता है जिससे क्षेत्र का नदी की दूसरी ओर पड़ने वाला भाग संपर्क की दृष्टि से दूर हो जाता है प्रस्तावित तहसील खण्ड की उत्तर दक्षिण की अपेक्षाकृत पूर्व पश्चिम में अधिक है जिससे क्षेत्र की निकटता बढ़ने के बजाय दूरी की वृद्धि हो जाती है । इन 2-3 बातों के आधार पर ही तहसील सृजित करने की बात मानक के अनुरूप नहीं पायी गयी ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि तहसील सृजन का फैसला इस कारण से नहीं लिया गया है । लेकिन, जिन तहसीलों के सृजन का फैसला शासन ने ले लिया है जैसे मुरादाबाद जनपद में हसनपुर तहसील को दो भाग करके घनौरा में तहसील बनाने का फैसला पूर्व में लिया जा चुका है लेकिन अभी तक वहां पर तहसील न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, समिति द्वारा जो तहसीलों की संस्तुति सूची है । वह माननीय सदस्य की जानकारी में है, उसमें चन्दौसी और घनौरा के लिये भी है । लेकिन संस्तुति होने के बावजूद जो वित्तीय संसाधनों की कमी है और सूखे के इस प्रचंड हाल में अगर आप को निर्णय लेना होता तो शायद आप भी ऐसे वक्त पर कोई निर्णय न लेते ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सवाल माननीय बरार जी ने पूछा है, उसमें जो कारण आपने बताये हैं तो फिर माननीय सदस्य और हम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये वह उस पर फिर से आख्या प्राप्त करेंगे अथवा उस पर पुर्नविचार करने की कृपा करेंगे ? मेरी अपनी जानकारी के अनुसार जो तहसीलें इस बार घोषित की गई हैं, उन तहसीलों के मुख्यालय के बारे में, क्षेत्र के बारे में फिर से कुछ सुझाव प्राप्त हुये हैं । हरदोई में हरपालपुर तहसील से संबंधित भी कुछ सुझाव प्राप्त हुये हैं । इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य श्री गुप्त जी ने कहा है कि ऐसे प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है । तो जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसी कोई बात तो हमारे संज्ञान में नहीं है । लेकिन जैसा आपने कहा है यदि ऐसा होगा, तो उसको दिखवा लूंगा और उन पर भी विचार कर लिया जायेगा ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया कि एक नई तहसील में 100 से लेकर 120 लेखपाल सर्किल जोड़े जाते हैं । बलिया में भी दो तहसीलें प्रस्तावित है एक सिकन्दरपुर और दूसरी दैरियर ब्लाक के गांव लिये जा रहे हैं लेकिन जहां तक मुझको जानकारी है कि बांसडीह, बिलहरी, बैरिया, मुरली, छपरा के पूरे गांव में एक साथ पास किया गया है लेकिन बांसडीह और बिलहरी वालों ने एतराज किया है कि हमको उनके साथ सम्मिलित न किया जाए । तो क्या माननीय मंत्री जी इस विरोध को देखते हुये 120 सर्किल जोड़ने की बात तहसील के लिये है । तो ऐसी स्थिति में उसको स्वीकार करेंगे या अस्वीकृत करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि अभी जो समिति द्वारा सूची संस्तुत हुई है, उसी पर वित्तीय संसाधनों के अभाव में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका । लेकिन अगर इस तरह के किसी जनमानस में असंतोष की बात हमारे संज्ञान में आयेगी, तो उस पर अत्यन्त गंभीरता से विचार किया जायेगा ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, बरेली जिले की मीरगंज में नई तहसील स्थापित करने का जो प्रस्ताव है, उसका महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि माननीय बरार साहब भी वहीं के हैं । मान्यवर, बहुत सी तहसीलें ऐसी हैं जहां से बड़ी-बड़ी नदियां बीच में से बहती हैं तो क्या इन नदियों के आधार पर अगर मीरगंज को तहसील नहीं बनाया जा रहा है ? लेकिन ऐसी कई तहसीलें है जहां से बड़ी नदियां बहती हैं, तो क्या मीरगंज को तहसील बनाने पर पुन: विचार करेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैंने अभी निवेदन किया है कि जो समिति द्वारा संस्तुति सूची है, जिसके गठन के लिये अभी हमारे पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं । वैसे तो तहसील घोषित करने के लिये उसके सृजन के लिए कई चीजें होती हैं । उनमें से अगर जादातर चीजें पूरी हो जाती हैं तो उसका गठन होता है । ऐसी स्थिति में अभी उसका कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, जनपद इटावा में चक्करनगर तहसील खोलने का प्रस्ताव शासन द्वारा प्रस्तावित किया गया । गत वर्ष ऐसी चर्चायें भी की गई । यहां पर क्वारी, चम्बल और जमुना तीन नदियां ऐसी हैं जो काफी बड़ी हैं तो क्या माननीय मंत्री जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है कि वह इस तहसील को खोलेंगे ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य श्री वर्मा जी ने अभी स्पष्ट किया कि चक्करनगर तहसील जनपद इटावा की 2-3 नदियों के बीच बसा है । यह एक दुर्गम स्थान है । इसी दृष्टि से यह मामला सन्दर्भित है । अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और यह विचाराधीन है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो यह मीरगंज को तहसील बनाने के प्रस्ताव को रद्द किया गया है, क्या यह निर्णय मेरे कांग्रेस से निष्कासन के पहले लिया गया था या बाद में लिया गया है । दूसरा, आपके जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी–जिलाधिकारी व आयुक्त बैठे हुए हैं, क्या उन्हें आप पुन: यह निर्देश देंगे कि इस प्रस्ताव को वापस किया जा रहा है, इसे आप मानकों के अनुसार भेजें ?

श्री गौरी शंकर–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को विशेष रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि शासन कोई भी निर्णय दलीय आधार पर नहीं लेता है । माननीय सदस्य श्री बरार सदस्य विधान सभा हैं, उनकी बात का वजन था, है और रहेगा । शासन में होने या न होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । जिन चीजों का जिक्र किया गया, इसमें कुछ विविधतायें हैं, कुछ दुरूहतायें हैं, कुछ जटिलतायें हैं । इसके सृजन करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं । आपकी भावना का हमने हमेशा आदर किया है और करते रहेंगे ।

इलाहाबाद मण्डल के पुनर्गठन का कथित आश्वासन

*11–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 14-10-85 को इलाहाबाद आगमन पर उनके द्वारा इलाहाबाद मंडल के पुनर्गठन के विषय में दिये गये आश्वासन के अनुसार इलाहाबाद मंडल के पुनर्गठन में बांदा, जौनपुर तथा मिर्जापुर भी सम्मिलित करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर–

प्रश्नगत आश्वासन की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

इलाहाबाद मण्डल के पुनर्गठन में कानपुर मण्डल के सृजन का प्रश्न निहित है । वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में कानपुर में नया मण्डल स्थापित करने का प्रस्ताव स्थगित है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह जी प्रति दिन लाखों आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन उन आश्वासनों का पालन नहीं करते । यह इस उत्तर से भी स्पष्ट हो गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद मण्डल के पुनर्गठन में कानपुर मण्डल के सृजन का क्या औचित्य है, और दोनों मण्डलों में कौन-कौन से जिले शामिल किए गये हैं ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिज्ञासा व्यक्त की है कि कौन-कौन से जनपद शामिल करके एक मण्डल बनाया जाना है । इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर और मण्डल का जनपद उन्नाव को मिलाकर कानपुर मण्डल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । दूसरा, इलाहाबाद में फैजाबाद मण्डल जनपद प्रतापगढ़ व फतेहपुर–इन तीनों जिलों को मिलाकर नया इलाहाबाद मण्डल के सृजन किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में जबकि वित्तीय संसाधन सीमित हैं, इसलिए इसके अभाव में अभी ये मामले स्थगित रखे गये हैं । दूसरा, यह कि इलाहाबाद मण्डल में जनपद बांदा, मिर्जापुर और जौनपुर को जोड़ने का दबाव व आग्रह किया जा रहा है। चूंकि मिर्जापुर व जौनपुर वाराणसी के नजदीक हैं, इसलिए उन्हें यहीं पर सुविधा रहेगी, बांदा जो बुन्देलखण्ड का हिस्सा है, बहुत सी सुविधायें वहां पर उन्हें मिलती है । वहां उनका एक कल्चर है, बुन्देलखण्ड का अपना एक रीति रिवाज है, इसलिए किसी बात की ठेस न लगे, इसलिए बुन्देलखण्ड में ही बांदा को रखा जाय । उक्त दोनों इलाहाबाद व कानपुर मण्डल के पुर्नगठन का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसे मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया है ।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि बार-बार राजस्व विभाग द्वारा जो विधान सभा में उत्तर दिये जाते हैं, आप ही के समक्ष दो साल पहले राजस्व विभाग ने यह उत्तर दिया कि मिर्जापुर जिले के विभाजन के संबंध में अष्टम वित्त आयोग द्वारा संस्तुति नहीं की गयी है इसलिये विभाजन नहीं हो सकता । भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है मिर्जापुर, उसे चाहे इलाहाबाद मण्डल में मिलायें या वाराणसी मण्डल में रहने दें, मेरा प्रश्न यह है कि यह जिलों के विभाजन की प्राथमिकता और मण्डल के पुनर्गठन की प्राथमिकता किस आधार पर कर रहे हैं ? सरकार की नीति क्या है ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत व्यापक प्रश्न किया है, अगर प्रश्न करते कि फलां जिले को सृजित करने के पीछे औचित्य क्या है, तो मैं बता देता, लेकिन आपने नीतिगत प्रश्न पूछा है, तो बताना चाहता हूं कि भौगोलिक परिस्थितियां, प्रशासनिक परिस्थितियां तथा और बहुत से कारण हैं, सबसे बड़ी बात जनता की सुविधा देखी जाती है गठन जनहित में होता है । जनहित की परिभाषा में जब आ जाता है, उसका गठन हो जाता है, नहीं आता है तो गठन नहीं होता है ।

श्री गोपाल दास यादव–

25 जून, 1975 में जब [xxx] उसके बाद इलाहाबाद को हमेशा नीचा दिखाने की साजिश की जा रही है । हाईकोर्ट का भी गठन, ए0जी0 आफिस का भी गठन, सी0 डी0 ए0 पेन्शन का भी गठन और अब इलाहाबाद मण्डल को तोड़ने की साजिश की जा रही है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद मण्डल को नया मण्डल बनाने का औचित्य क्या है ?

श्री गौरी शंकर–

अभी माननीय सदस्य को उद्वेलित होने की आवश्यकता नहीं है, है, मामला स्थगित है । आपने पूछा कि औचित्य क्या तो वह आपके सम्मुख रखा जा चुका है ? हाईकोर्ट को मण्डल के हैडक्वार्टर से मिक्स-अप न करें । आपकी जो भावना है कि मण्डल का विभाजन न हो, उसे भी मस्तिष्क में रखा जायगा ।

श्री राम शरण दास–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक घोषणा यह भी हुई है सहारनपुर की भी चार जिले मिलाकर मण्डल बनाया जायगा, इसमें क्या प्रगति है ?

श्री गौरी शंकर–

वित्तीय संसाधनों के अभाव में यह मामला फिलहाल स्थगित है । माननीय राम शरण दास जी तो काफी वजनदार माननीय सदस्य माने जाते हैं । इनका प्रभाव ही इतना है कि शासन स्वतः उनकी प्रेरणा से शक्ति प्राप्त करता रहता है । इसी के हिसाब से कार्यवाही की जायगी ।

नोट:–[xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ललितपुर जनपद 1974 में बना था । उस समय जो तत्कालीन मुख्य मंत्री थे उन्होंने दो तहसील वहां घोषित की थीं । एक तहसील तालबेहट बन चुकी है, दूसरी तहसील नारहट के लिये कोई प्रस्ताव है क्या ? इसके अलावा एक प्रस्ताव पाली तहसील के लिये और आया है । मैं जानना चाहता हूं कि पाली और नारहट तहसीलें क्या बनायी जा रही हैं ? यदि हां, तो कब तक बन जायेंगी ?

श्री गौरी शंकर–

ऐसा कोई बात अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य की नोटिस में यदि कोई बात हो तो भेज दीजियेगा, देख लिया जायेगा ।

बांदा जिले की करवी तहसील में बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति एवं पुनर्वासन

*12-श्री राम सजीवन–

क्या श्रम मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील में बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वासन की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में कितने मजदूरों को मुक्त कराया गया और कितने पुनर्वासित किये गये ? उनके नाम और पते क्या हैं तथा उन्हें कितनी कितनी सहायता दी गयी ? सहायता सही लोगों के पास सही रूप में पहुंचने के लिये किनसे प्रमाणित कराया गया था? बंधुआ मजदूरों की भारी संख्या को देखते हुए क्या उनकी मुक्ति एवं पुनर्वासन हेतु व्यापक एवं प्रभावी योजना बनाकर उसे शीघ्र लागू किया जायेगा?

श्रम मंत्री (सैयद सईदुल हसन)–

वर्ष 1987-88 में 239 बंधुआ श्रमिकों को पहचान कर उन्हें मुक्त कराया गया तथा इनमें से 125 बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किया जा चुका है तथा शेष के पुनर्वासन की प्रक्रिया प्रगति पर है। पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों के नाम व पते तथा प्रदत्त की गयी सहायता की सूची माननीय सदस्य किसी भी कार्य दिवस में मेरे कार्यालय कक्ष मे देख सकते हैं।

सहायता सही रूप से पहुंचाने के लिए एक क्रय समिति का गठन किया गया है जिसमें परगनाधिकारी, तहसीलदार, पशुचिकित्सा अधिकारी के अतिरिक्त जनता के दो प्रतिनिधि रखे गये हैं। इस क्रय समिति की देखरेख में सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा समिति दी गयी सहायता को प्रमाणित करती है। इसके अतिरिक्त खरीद के समय संबंधित ग्राम के लेखपाल एवं ग्राम प्रधान भी उपस्थित रहते हैं, जिससे सहायता पहुंचाने में प्रमाणीकरण कराया जाता है।

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु शासन सजग है।

जनपद बाराबंकी, तह0 फतेहपुर के ग्राम प्रधान, धौखरिया का ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने पर निलम्बन

*13–श्री मैनेजर सिंह (अनुपस्थित)–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम शुक्रवार (16 जून, 1987) के अतारांकित प्रश्न संख्या-40 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित प्रधान के निलम्बन के विरुद्ध आयुक्त, फैजाबाद द्वारा दिए गये स्थगन आदेश को निरस्त करवाने हेतु शासन अथवा जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या उक्त स्थगन आदेश निरस्त करवा कर तथा प्रधान से चार्ज वापस लेकर उनके विरुद्ध विभिन्न गम्भीर आरोपों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूरी की जायेगी ताकि उस गांव के लोगों में प्रधान के भ्रष्टाचार के प्रति व्याप्त असंतोष दूर हो सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

आयुक्त, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद द्वारा जारी स्थगन आदेश को वैकेट (रिक्त) कराने की पैरवी की जा रही है। स्थगन आदेश के रिक्त होते ही चार्ज दिलाकर आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूरी की जायेगी।

*14–श्री कुशल पाल सिंह–

[4थे शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 7 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित]

*15–श्री बदन सिंह–

[5वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम सभा नटकुर परगना-बिजनौर में ग्राम समाज की भूमि का अवैध आवंटन

*16–श्री शारदा प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ग्राम सभा नटकुर परगना-बिजनौर तहसील व जिला-लखनऊ की ग्राम समाज की भूमि का आवंटन भूमिहीन हरिजनों एवं किसानों को न कर बाहरी व्यक्तियों के नाम पट्टा किए जाने से संबंधित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-4-87, 5-6-87, 9-9-88 तथा 14-1-88 प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी बाहरी व्यक्तियों के नाम किए गए फर्जी पट्टों को निरस्त कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री गौरी शंकर–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री शारदा प्रताप–

माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ जनपद और लखनऊ तहसील का यह मामला है, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राजस्व मंत्री जी पूर्णतया लखनऊ तहसील और लखनऊ जनपद की परिस्थितियों से अवगत हैं कि यहां पर क्या हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना प्रश्न कर लीजिये नहीं तो लखनऊ की तहजीब में आपका प्रश्न निकल जायेगा।

श्री शारदा प्रताप–

मैं उसी पर आ रहा हूं कि तमाम फर्जी जमीन की रजिस्ट्री यहां पर हुई है जिसमें बड़े-बड़े उद्योगपतियों के नाम और कालानाइजर्स के नाम हैं जिनके कब्जे में भूमि की जा रही है चाहे वह ग्राम सभा भटकुर की जमीन हो या और किसी ग्राम सभा की । मैंने इस संबंध में 15-4-87, 5-6-87, 9-9-87 तथा 14-1-88 को पत्र लिखा लेकिन मंत्री जी आज भी कह रहे हैं कि इसके संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।'' तो मान्यवर, आप ही मुझे संरक्षण दें, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस प्रश्न की सूचना को इसी सत्र में देने का कष्ट करेंगे कि जो फर्जी पट्टे हुए हैं उन्हें समाप्त करके वह भूमि हरिजन और पात्र व्यक्तियों को वितरण कराने की आप कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

15 दिन के बाद आपके प्रश्न का उत्तर आ ही जायेगा।

जनपद आगरा के फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी उद्योग के श्रमिकों के न्यूनतम वेतनमान का निर्धारण

*17–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के उद्योगनगर फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी के श्रमिकों के न्यूनतम वेतनमानों का निर्धारण कब हुआ? क्या न्यूनतम वेतनमानों के निर्धारण के लिये किसी समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो उस समिति की रपट क्या है और अब महंगाई के बढ़ने और मूल्य सूचकांक के बढ़ जाने पर कांच एवं चूड़ी के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन मानों को पुनः निर्धारण करने हेतु समिति अब तक न बनाने का क्या कारण है ?

कुमारी सरस्वती अम्माल–

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कांच एवं चूड़ी उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण/पुनरीक्षण अधिसूचना दिनांक 25-8-81 द्वारा किया गया था । इसके लिए किसी समिति का गठन नहीं हुआ था। उक्त अधिसूचना के विरुद्ध कतिपय सेवायोजकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया । यह रिट याचिकायें अभी भी लम्बित हैं और निस्तारित नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत इन श्रमिकों की मजदूरी दरों के पुनरीक्षण पर विचार के लिए त्रिदलीय सम्मेलन विभिन्न तिथियों को बुलाया गया जो सेवायोजकों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग न लेने के कारण स्थगित हो गया। इस सम्मेलन को पुनः बुलाने की कार्यवाही हो रही है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न सीधा है। मैंने माननीया मंत्री जी से पूछा था कि आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी के श्रमिकों के न्यूनतम वेतनमानों का निर्धारण कब हुआ? माननीया मंत्री जी ने उत्तर दिया कि पहली बार उत्तर प्रदेश में इन श्रमिकों का न्यूनतम वेतन निर्धारण करने के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी की 25-8-81 को। मैं पूछ रहा हूं कि न्यूनतम वेतन कब निर्धारित हुए? फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी उद्योग के श्रमिकों के और उन्हें लागू कब किया गया? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसके तहत न्यूनतम वेतन निर्धारण करने के लिये एक समिति का गठन करना होता है, उस समिति ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन की क्या दरें निर्धारित कीं, क्या मंत्री जी यह दोनों बातों का उत्तर देने की कृपा करेंगी ?

कुमारी सरस्वती अम्माल–

मान्यवर, 25-7-81 को अधिसूचना जारी करके न्यूनतम वेजेज निर्धारित कर दिए गये थे और उसके लिए सम्बन्धित नोटिफिकेशन भी हो गया था।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है, लेकिन माननीय मंत्री जी इसे बहुत हलकेपन के साथ ले रही हैं। न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों की तय करना बढ़ते हुए मूल्य-सूचकांक के अनुसार हर वर्ष होना चाहिए, लेकिन श्रीमन् यह अभी तक तय नहीं किया जा सका है और जो न्यूनतम वेतन सरकार ने तय किए उसे वहां लागू न करना और उलटे यह कि रोजाना यहां पर श्रमिकों की तरफ से हो-हल्ला करना कि हम उनके हितैषी हैं, तो श्रीमन् सिर्फ उन मजदूरों का काम इससे तो चलने वाला नहीं है, माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बताएं कि मूल्य सूचकांक के अनुसार जो बराबर बढ़ ही रहा है, न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों की कब तक तय कर देंगे और उस कथित कमेटी का निर्माण कब तक करा देंगे?

कुमारी सरस्वती अम्माल–

कमेटी का गठन नहीं हुआ है । तीन बार त्रिदलीय मीटिंग बुलायी गयी । सेवा योजकों को बुलाया गया था वह नहीं आये । अब पुनः त्रिदलीय सम्मेलन 8-3-82 को हम बुला रहे हैं, जिसमें चूड़ी मजदूरों और कांच के मजदूरों को रिलीफ देने के निर्णय लिये जायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सदन को जानबूझकर भ्रमित करने की चेष्टा की है। मैं मान्यवर यह साफ-साफ जानना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1985 में शासन की ओर से मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत एक अधिसूचना जारी हुयी थी, परन्तु अभी तक जिन-जिन सेवा-योजकों के यहां यह अधिसूचना लागू नहीं हुयी, उन जगहों पर भी इन वेजेज को लागू करने के लिए अलग-अलग बोर्ड्स गठित किये जाते हैं, लेकिन जब इस एक्ट का हर जगह पर निर्धारण नहीं हुआ तो जिन स्थानों/कारखानों में यह लागू नहीं हो सका, उनके प्रति आपने क्या कार्यवाही की, और यदि नहीं तो क्यों, इसे आप कृपा करके बता दें ?

कुमारी सरस्वती बम्माल–

मान्यवर, वर्ष 1985 में जो मिनिमम वेजेज एक्ट बना, वह चूड़ी मजदूरों के लिये नहीं था, सिर्फ कांच मजदूरों के लिए था। चूड़ी मजदूरों को यह रिलीफ देने की व्यवस्था अब की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को चैलेन्ज दे सकता हूं कि वह इन सभी मजदूरों के लिए था, दुर्भाग्यवश इस समय मेरे पास वह अधिसूचना उपलब्ध नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी की पास हो तो उसे कृपा करके दुबारा देख लें। नं0 6 या 7 पर स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि सभी कारखानों पर यह अधिनियम लागू होगा उसमें चूड़ी या कांच को अलग नहीं किया गया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा की इस अधिनियम को चूड़ी मजदूरों पर लागू न किये जाने के क्या कारण हैं? इसलिए मान्यवर, मैं यह मांग करूंगा कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द कर दिया जाए या इसकी पत्रावली को मंगाकर आप स्वयं देखने की कृपा कर लें क्योंकि अब इस प्रश्न पर एक डिस्प्यूट पैदा हो गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को भेज दें, जिससे सारी बातों का खुलासा हो जायें। आगरा के चूड़ी मजदूरों पर लागू न होने का क्या कारण है ? इस प्रश्न का उत्तर भी आ जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सुपुर्द करता हूं।

जनपद सीतापुर में नई तहसील बनाने की योजना

*18–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर की लहरपुर में तहसील बनाने की योजना शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक बनायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं।

तहसील पुनर्गठन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में जनपद सीतापुर में किसी नई तहसील की संस्तुति नहीं की गई है।

*19–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

हरिद्वार, सिद्धार्थ नगर एवं मऊ की भांति नये जिलों का नव गठन

*20–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार सिद्धार्थ नगर (नौगढ़) और मऊ (आजमगढ़) में नवीन जिले बनाने का आधार क्या रहा है ? क्या उन्हीं जिलों की तरह समान परिस्थितियों और समस्या वाले अन्य जिलों की जनसंख्या और विस्तृत क्षेत्रफल को देखकर जिलों के विभाजन का भी प्रस्ताव है? यदि हां, तो उनका पुनर्गठन कब तक होगा ? क्या नव गठित जिलों के पुनर्गठन के लिए जिला पुनर्गठन समिति की संस्तुति सरकार को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो वह संस्तुति क्या थी ?

श्री अम्मार रिजवी–

प्रशासनिक सुदृढ़ता एवं जनहित को ध्यान में रखकर हरिद्वार, सिद्धार्थ नगर एवं मऊ में नये जिले स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । प्रदेश में व्याप्त सूखे के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुये अन्य जिलों को विभाजित कर नये जिले बनाने का कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है। जिला पुनर्गठन समिति ने उपर्युक्त जिलों में से केवल बस्ती जनपद को विभाजित करने की संस्तुति की थी ।

समिति ने आगरा, गोरखपुर, मिर्जापुर तथा मेरठ के विभाजन की भी संस्तुति की थी, जिनमें से केवल मेरठ को विभाजित कर गाजियाबाद जनपद का सृजन वर्ष 1976 में किया गया है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के ग्राम रजखड़ के काश्तकारों का प्रार्थना-पत्र

1–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के ग्राम रजखड़ के काश्तकारों का प्रार्थना पत्र दिनांक 18-8-86 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां । प्रार्थना पत्र में कथित शिकायतों की जांचोपरान्त अवैध पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के ग्राम रजखड़ के ग्राम प्रधान व लेखपाल आदि के विरुद्ध गलत पट्टा करने की कार्यवाही

2–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के ग्राम रजखड़ के ग्राम प्रधान ने बिना सक्षम अधिकारी की परमीशन के अपनी दूसरी पत्नी के नाम पट्टे किए हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी विस्तृत जांच कराकर ग्राम प्रधान एवं लेखपाल के अलावा दोषी पाए गए कर्मचारी व अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां । मामले में ग्राम प्रधान व लेखपाल को आरोपित करके विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है चूंकि प्रश्नगत मामले की जानकारी किसी अन्य कर्मचारी व अधिकारी को नहीं दी गयी थी अत: किसी अन्य कर्मचारी व अधिकारी को दोषी नहीं, पाया गया ।

ग्राम सहूआपार, जिला गोरखपुर के हरिजनों द्वारा ग्राम प्रधान के विरुद्ध दिये गये शिकायती-पत्र

3–श्रीमती शारदा देवी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सहूआपार टोला रुई बुजुर्ग तप्पा कुरमोट परगना धुरियापार तहसील खजनी बांस गांव जिला गोरखपुर के हरिजनों ने ग्राम प्रधान श्री राम किशुन पाण्डेय के विरुद्ध 15 जनवरी, 84 से 15 मार्च, 87 तक कितने शिकायती पत्र जिला प्रशासन व शासन को दिए हैं? उन शिकायती पत्रों पर दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

प्रश्नगत ग्राम के हरिजनों द्वारा ग्राम प्रधान श्री राम किशुन पाण्डेय के विरुद्ध 8 शिकायती पत्रों का दिया जाना पाया जाता है ।

ग्राम प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

ग्राम प्रधान के विरुद्ध ऐसा कोई गम्भीर आरोप नहीं था जिसके कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती ।

बस्ती कलेक्ट्रेट में कार्यरत श्री उमाकान्त लिपिक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

4–श्री मित्रसेन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती कलेक्ट्रेट में कार्यरत श्री उमाकान्त लिपिक की प्रथम नियुक्ति 5-1-1954 है तथा क्या यह सही है कि श्री उमाकान्त ने धोखाधडी और हेराफरी के सहारे नाबालिग होते हुए भी नौकरी प्राप्त कर ली थी ? क्या यह भी तथ्यपूर्ण है कि वे विभागीय नौकरी में आने के पूर्व बस्ती रोडवेज कन्डक्टर के पद पर परिवहन निगम में कार्य करते थे तथा निगम की नौकरी की अवधि में भ्रष्टाचार के आरोप में निगम की सेवा से निष्कासित किए गए थे ? यदि हां तो उन्हें राजस्व विभाग की नौकरी में लिए जाने का आधार क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी–

सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टि के अनुसार श्री उमाकान्त कलेक्ट्रेट बस्ती में दिनांक 15-1-54 को अभ्यार्थी के रूप में प्रथम बार लगाये गये और 18-9-57 तक अल्पकालिक अवधियों में कार्यरत रहे । यह अनुमोदित सूची के अभ्यार्थी नहीं थे और न ही चयनित थे । तत्पश्चात दिनांक 19-9-57 को पेड अप्रेन्टिस के रूप में इनकी नियुक्ति अस्थाई पद पर की गयी । सेवा पुस्तिका मे इनकी जन्म तिथि 8-12-37

अंकित है जो हाई स्कूल परीक्षा 1952 के प्रमाणपत्र के आधार पर सत्यापित है । इस प्रकार 19-9-57 को जब से श्री उमाकान्त की नियुक्ति पेड अप्रेन्टिस के रूप में की गयी यह 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे ।

परिवहन निगम में कार्य किये जाने के सम्बन्ध में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0 प्र0 सड़क परिवहन निगम बस्ती से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके कार्यालय में वर्ष 1954 के पूर्व के कोई अभिलेख श्री उमाकान्त के संबंध में उपलब्ध नहीं है । इसलिये यह बताना सम्भव नहीं है कि श्री उमाकान्त रोडवेज विभाग में रहे और किन आरोपों में निकाले गये ।

जिला फैजाबाद के ग्राम कचपुरा व दरगाह शाहरमजान में भूमिहीनों को दिये जाने वाले पट्टों में अनियमितता एवं जालसाजी

5–श्री विनोद कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रियदर्शी जेताली भूतपुर्व विधायक अकबरपुर जिला फैजाबाद ने अकबरपुर जिला फैजाबाद के ग्राम कचपुरा व दरगाह शाहरमजान में संबंधित लेखपाल व प्रधान द्वारा भूमिहीनों को दिये जाने वाले पट्टों में भारी अनियमितता, जालसाजी, राजस्व अभिलेखों में फेर बदल संबंधित शिकायती-पत्र सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ माह जुलाई या अगस्त 1987 में दिया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य आरोप क्या हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र माननीय मंत्री के कार्यालय से किस तिथि को राजस्व सचिव को भेजा गया और किस तिथि को राजस्व सचिव द्वारा किस अधिकारी को जांच के लिए आदेश दिए तथा उक्त जांच में अब तक क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां । मामले में जिला प्रशासन द्वारा जांच कराई जा रही है ।

कथित पत्र राजस्व सचिव को दिनांक 4-7-87 को भेजा गया और दिनांक 20-8-87 को राजस्व सचिव द्वारा अतिरिक्त जिलाधिकारी से जांच कराने के आदेश दिये गये ।

6–श्री शेर बहादुर सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

7–श्री विनोद कुमार–

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 140 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

बांदा जिले की करवी तहसील में ग्राम समाज की सीलिंग जमीनों का कृषि अथवा आवास हेतु आवंटन

8–श्री राम सजीवन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील में ग्राम समाज अथवा सीलिंग की जमीनों को कृषि अथवा आवास हेतु आवंटन के लिए कितने गांवों की

भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव तहसील अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा परगनाधिकारियों के समक्ष इस समय लम्बित है ? प्रस्ताव कब स्वीकृत हुए थे तथा उन पर अभी तक निर्णय न होने के क्या कारण हैं ? कितने प्रस्तावों पर नायब तहसीलदारों अथवा तहसीलदार ने स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की संस्तुतियां की हैं तथा उन पर परगनाधिकारी ने क्या निर्णय लिए ? क्या ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि ग्राम खजुरिया के पट्टों के प्रस्ताव को तहसीलदार ने प्रथम बार अस्वीकृत करने की संस्तुति की और बाद में उसे स्वीकृत करने की संस्तुति देकर परगनाधिकारी से सहमति प्राप्त कर ली थी ? क्या सम्पूर्ण प्रकरण की समयबद्ध जांच राजस्व परिषद् के किसी उच्च अधिकारी से कराई जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला आजमगढ़, ग्राम सभा दाम महुला, के प्रधान के परिवार के सदस्य के नाम जमीनों का पट्टा एवं कृत कार्यवाही

9–श्री राम जनम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा दाम महुला, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के अमला पुत्र रामानुज जो प्रधान के परिवार के सदस्य हैं, के नाम कितनी जमीन का पट्टा किया गया है ? क्या प्रधान के परिवार के नाम जमीनों का पट्टा करने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो उक्त पट्टा किस आधार पर किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी–

ग्राम सभा दाम महुला, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के श्री अमला पुत्र रामानुज के नाम 0-717 एकड़ भूमि का पट्टा वर्ष 1975 में किया गया था । अमला तत्कालीन प्रधान श्रीमती रामराजी देवी के सौतेले पुत्र के पुत्र है ।

जी हां, पंचायत राज्य एक्ट की धारा 28 ग के अंतर्गत जिलाधिकारी की अनुमति लेकर ग्राम प्रधान के परिवार के सदस्यों के नाम भी पट्टा किया जा सकता है । अमला पुत्र रामानुज प्रधान के परिवार के सदस्यों की श्रेणी में नहीं आते है, पट्टा गलत किया गया था । जांच में यह पाया गया कि अमला पुत्र रामानुज पट्टेदार उस समय नाबालिग था और पात्रता की सूची पर उसका नाम भी नहीं था, इस आधार पर जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 198(4) के अंतर्गत पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है । जो अपर जिला अधिकारी प्रशासन आजमगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन है ।

संसद सदस्या श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी एवं श्री राकेश कुमार शर्मा ग्राम सुलेमानपुर, जिला वाराणसी द्वारा राजस्व मंत्री को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

10–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी संसद सदस्या के पत्र के साथ श्री राकेश कुमार शर्मा, ग्राम सुलेमानपुर, परगना कटेहरी, तहसील सदर, जिला वाराणसी का प्रार्थना-पत्र माननीय राजस्व मंत्री के कार्यालय के पत्रांक 1986/वी0 आई0 पी0 दिनांक 2 जुलाई, 1985 द्वारा राजस्व सचिव को भेजा गया ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

उक्त पत्र पर बन्दबिस्त अधिकारी चकबन्दी वाराणसी तथा श्री बृजेश कुमार, तत्कालीन संयुक्त संचालक चकबन्दी, लखनऊ (मुख्यालय) द्वारा जांच की गयी। जांच में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी ।

ग्राम सुलेमानपुर, परगना कटेहरी, जिला वाराणसी के श्री राकेश कुमार शर्मा का शिकायती पत्र

11–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राकेश कुमार शर्मा, ग्राम सुलेमानपुर, परगना कटेहरी, जिला वाराणसी के शिकायती पत्र पर चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0 लखनऊ ने अपने अ0 शा0 पत्र 111/सी जी-50/83 व अ0 शा0 पत्र संख्या 272/सी जी-50/83, दिनांक 20-12-83 द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, वाराणसी द्वारा जांच करायी थी और जांच अधिकारी ने अपनी आख्या अपने पत्र संख्या 121 चक दिनांक 11-4-85 को चकबन्दी आयुक्त को भेज दी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पत्र में बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पुनः चकबन्दी कराये जाने की संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही न किये जाने के कारण क्या है तथा सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले में हरिजन समाज कल्याण की बैठकों में स्वीकृत कार्यों का विवरण

12–श्री सुखपाल पण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में 1984-85 तथा 1985-86 तथा 1986-87 तक हरिजन समाज कल्याण समिति की बैठक किन-किन तारीखों में की गयी और उसमें कितने रुपये का कौन-कौन सा कार्य स्वीकृत हुआ ? क्या सरकार उक्त पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

उक्त परामर्शदात्री समिति की बैठकों की तिथियां तथा उसमें स्वीकृत किए गये कार्यों का विवरण संलग्न है ।

उपरोक्तानुसार ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 110 पर)

समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक/प्रोजेक्ट मैनेजर व आई० सी० डी० एस० सेल प्रभारी द्वारा तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति

13–श्री रणजीत तथा श्री अर्जुन सिंह यादव–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के प्रथम शुक्रवार के अता० प्र० सं० 53 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि प्रश्नगत 23 नियुक्तियां, पूर्ण रूप से अनियमित होने के कारण ही सभी (उक्त) कर्मचारी सेवा से अलग कर दिये गये हैं? यदि हां, तो इन कर्मचारियों को गलत ढंग से नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं, किसी भी कर्मचारी की सेवा से अलग नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर, ग्राम जमदहा में गांधी चबूतरा, कब्रिस्तान, मस्जिद और अस्पताल पर कुछ व्यक्तियों का अवैध कब्जा

14–श्री राज किशोर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जमदहा, परगना अंगुली, जनपद जौनपुर में गांधी चबूतरा, कब्रिस्तान, मस्जिद और अस्पताल किस-किस नम्बर पर स्थित है ? उनका रकबा क्या है ? क्या यह सच है कि उक्त जमीनों पर क्रमशः अब्दुल मन्नान, अब्दुल बारी, मु० हारून, बेनी माधव, फिरतू, रामदवर, नाजिरुद्दीन उर्फ पथरू, मुस्तकीम, रामधारी, श्यामधारी, जगई, मगई, स्मारू, बाबूराम जित्तू, गिरधारी आदि ने अवैध कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो इन सभी व्यक्तियों को बेदखल करने के कोई प्रभावी आदेश जारी किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की रही है ।

विकलांग कर्मचारियों को स्वीकृत पुरस्कार का भुगतान

15–श्री राज किशोर सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि दिनांक 24-1-87 को उनकी अध्यक्षता में विकलांग कर्मचारियों की स्वीकृत एवार्ड का भुगतान सम्बन्धित विकलांग कर्मचारियों को हो गया है/ यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं। अभी भुगतान नहीं किया है। पुरस्कार वितरण यथाशीघ्र करने का प्रयास किया जा रहा है ।

ग्राम सभा नौनेर, जनपद मैनपुरी को 6 स्वतन्त्र राजस्व ग्रामों में विभाजित करने का प्रस्ताव

16–श्री शिवबख्श सिंह राठौर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा नौनेर, जनपद मैनपुरी को 6 स्वतंत्र राजस्व ग्रामों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिनांक 19-3-87 को जिलाधिकारी, मैनपुरी ने सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, अनुभाग–1, लखनऊ को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां । प्रस्ताव में कतिपय न्यूनतायें थी, जिनके निवारणार्थ राजस्व परिषद् तथा जिलाधिकारी के बीच अभी पत्र व्यवहार चल रहा है ।

17–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर नगर/देहात में फर्जी संस्थाओं को अनुदान देने में विलम्बित उपनिदेशक एवं अन्य के विरुद्ध .भागीय जांच एवं कृत कार्यवाही

18–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 37 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामले की जांच किस अधिकारी ने की तथा जांच रिपोर्ट क्या है और बहाल किये गये अधिकारियों पर क्या-क्या आरोप थे? क्या सरकार शेष 11 अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बहाली पर शीघ्र विचार करेगी। यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्री गोपाल नारायण खन्ना तत्कालीन सहायक निदेशक की जांच श्री रमेश कुमार, संयुक्त सचिव ने की थी । जांच आख्या में जांच अधिकारी ने श्री खन्ना के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध नहीं पाया था तथा उन्हें निर्दोष बताते हुये पक्षारूढ़ करने की संस्तुति की थी ।

श्री गब्बू प्रसाद, उप निदेशक के विरुद्ध जांच श्री डी0 सी0 लाखा, निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण ने की थी । जांच में निदेशक ने श्री गब्बू प्रसाद के विरुद्ध लगाये गये आरोपों में से कुछ आरोपों को आंशिक रूप से सिद्ध पाया था ।

श्री गोपाल नारायण खन्ना के विरुद्ध वर्ष 1982-83 में कानपुर नगर एवं देहात के फर्जी छात्रावासों को अनुदान की रूप में रु0 7.547 लाख की धनराशि की स्वीकृति हेतु बिना सही जांच एवं उचित परीक्षण के गलत आदेश पारित करने तथा अपने भ्रष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु छात्रावासों के प्रबन्धकों से सांठ-गांठ करके शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने एवं अपव्यय कराये जाने आदि के आरोप थे ।

श्री गब्बू प्रसाद, उप निदेशक के विरुद्ध मुख्य आरोप जनपद कानपुर के तीन फर्जी छात्रावासों को अनुदान के रूप में रु0 2 लाख 32 हजार की धनराशि स्वीकृत करवाने, संस्थाओं के प्रबन्धकों से सांठ-गांठ करके स्वीकृत धन के दुरुपयोग करने, फर्जी संस्थाओं से संबंधित पुष्ट अभिलेखों को गायब करके गलत तरीके से अनुदान स्वीकृत कराने की

संस्तुति करने, भुगतान आदेशों में गलत बयानी करके अधीनस्थ अधिकारियों को प्रेरित करने, शासनादेशों का उल्लंघन करने, चतुराई से वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करने, निहित स्वार्थवश एवं भ्रष्ट उद्देश्यों से प्लवित रहते हुये धोखा-धड़ी करने, शासकीय धन का दुरुपयोग करने तथा अनियमित नियुक्तियां करने आदि के थे ।

शेष 11 अधिकारियों/कर्मचारियों में से कु0 रामकली कनौजिया तत्कालीन जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी तथा श्री कमालुद्दीन सिद्दकी हरिजन कल्याण सुपरवाइजर को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सेवा में बहाल किया जा चुका है किन्तु उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है । श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, हरिजन कल्याण सुपरवाइजर एवं श्री महेन्द्र नाथ मिश्र, लेखाकार मुख्यालय (अब सेवानिवृत्त) को अनुशासनिक जांच के पश्चात सेवा में बहाल कर दिया गया है तथा शेष 7 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक जांच अभी प्रचलित है । अनुशासनिक जांच के परिणामों के आधार पर शेष 7 अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों के संबंध में विचार किया जायेगा ।

अनिवार्य शैक्षिक अर्हता न रखने वाले बाल विकास परियोजना अधिकारियों का विनियमितीकरण

19—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री रणजीत तथा श्री अर्जुन सिंह यादव—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 39 के उत्तर के संबंध में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि बाल विकास परियोजना अधिकारियों के तदर्थ रूप से नियुक्त के विरुद्ध जनवरी, 1987 में शासन के कार्मिक विभाग ने जो राय दी थी उसके अनुरूप प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बाल विकास परियोजना अधिकारियों की तदर्थ नियुक्तियों को विनियमितीकरण नियमावली के अन्तर्गत नियमित करने हेतु विचार किया जा रहा है।

अपर निदेशक आई0 सी0 डी0 एस0, टिकरा हाउस लखनऊ द्वारा सुल्तानपुर/प्रतापगढ़ की योजनाओं हेतु घटिया कन्टेनर्स की आपूर्ति

20—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 52 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत परियोजनाओं की 10 लाख रुपये की कन्टेनर्स की अनियमितता की जांच किस अधिकारी द्वारा की जा रही है ? क्या शासन को इस बात की जानकारी है कि जांच अधिकारी द्वारा इस विषय में काफी समय लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो बिलम्ब का क्या कारण है और जांच कब तक पूर्ण हो जाएगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मामले की जांच हो चुकी है जिसका परीक्षण हो रहा है ।

21–डा0 शिवानद नौटियाल–

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगरपालिका, रायबरेली के स्व0 श्री मकबूल हसन की अचु सम्पत्ति पर अनाधिकृत कब्जा

22–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-106 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शत्रु सम्पत्ति मकान की बेदखली की कार्यवाही किस न्यायालय में विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश को निरस्त कराने हेतु कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम दौलतपुर निसुरा, जिला सुल्तानपुर में श्री अब्दुल शकूर द्वारा छोड़े गये मकान को निष्क्रांत सम्पत्ति घोषित किया जाना

23–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 118 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दौलतपुर-निसुरा, परगना जगदीशपुर, तहसील मुशाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में खाता संख्या 93 के सहखातेदार श्री अब्दुल शकूर पुत्र अब्दुल गफूर खां पाक राष्ट्रीय हैं ? यदि हां, तो इनकी भू-सम्पत्ति एवं निवास स्थान निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर दी गई है ? यदि हां, तो वर्तमान समय में राजस्व अभिलेखों में किस का नाम अंकित है तथा मौके पर किस का अधिकार है ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर के प्रोग्राम अधिकारी द्वारा सरकारी रुपये का दुरूपयोग एवं शासन द्वारा करायी गयी जांच

24–डाक्टर बंगाली सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 की पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 38 के उत्तर के संबंध में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में कितने अन्य कर्मचारी दोषी पाये गये थे ? क्या छः लाख रुपये सरकारी धन के एक मात्र दोषी प्रोग्राम अधिकारी को समुचित दण्ड दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जांच रिपोर्ट के आधार पर विचारोपरान्त शासन द्वारा तत्कालीन प्रोग्राम अधिकारी श्री हरिहर प्रताप सिंह की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्ट दे दी गयी है ।

25–श्री शारदा प्रताप–

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला सुल्तानपुर, ग्राम रसूलपुर श्री अब्दुल शकूर खां पुत्र श्री अब्दुल गफूर खां की भू-सम्पत्ति

26–श्री शारदा प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में खातेदार श्री अब्दुल शकूर खां पुत्र श्री अब्दुल गफूर खां निवासी ग्राम दौलतपुर किसूरा, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर सन् 1955 के पूर्व पाकिस्तान चले गये हैं ? यदि हां, तो इन की भू-सम्पत्ति को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला सुल्तानपुर, ग्राम फतेहपुर, मरदानपुर, बहरपुर, रसूलपुर में चकों आदि पर बाउन्ड्री मार्क्स लगवाया जाना

27–श्री शारदा प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम फतेहपुर, मरदानपुर, बहरपुर रसूलपुर में परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में चकबन्दी विभाग द्वारा उ0 प्र0 चकबन्दी रूल्स, 1954 के नियम 71 ख (3) की अन्तर्गत चकों आदि पर बाउन्ड्री मार्क्स (पत्थर) 25-11-87 तक नहीं लगाए गये हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा इन ग्रामों में बाउन्ड्री मार्क्स लगाने की कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

पत्थर उपलब्ध न होने के कारण सीमांकन पत्थर नहीं लगाए गए । कब्जा परिवर्तन के समय चकों का सीमांकन खूटे गाड़कर किया जा चुका है ।

जनपद सहारनपुर, ग्राम मसूरपुर में चकबन्दी कराने की मांग

28–श्री राम शरण दास–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मसूरपुर, परगना सुल्तानपुर, तह0 नकुड़, जनपद सहारनपुर की चकबन्दी उक्त ग्राम के काश्तकारों के अनुरोध के बावजूद भी नहीं की गयी है ? क्या मंत्री जी उक्त ग्राम की चकबन्दी कराने पर विचार करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

चकबन्दी प्रसार हेतु तहसील नकुड़ के ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें वर्तमान मापदण्ड के अनुसार ग्राम मसूरपुर परगना सुल्तानपुर चकबन्दी योग्य नहीं पाया गया ।

जनपद इटावा तहसील औरया में सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि का प्रतिकर दिलवाने सम्बन्धी विभिन्न जगह भेजे गये पत्रों पर कृत कार्यवाही

29—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जनपद में औरया तहसील में सड़क निर्माण के लिये अधिग्रहीत की गई भूमि का प्रतिकर दिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव को श्री दिलदार हुसैन अंसारी, स0 वि0 प0 का पत्र दिनांक 11-12-87 राजस्व सचिव को श्री महेश्वर पाण्डेय स0 वि0 प0 का पत्र दिनांक 5-12-87 तथा जिलाधिकारी, इटावा को श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, स0 वि0 प0 का पत्र दिनांक 30-11-87 संलग्नकों सहित प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर अब तक (दिनांक 18-1-1988 तक) बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बलिया ग्राम पड़री श्री मकसूद आलम सिद्दीकी की नियुक्ति हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र

30—श्री भिलमिट राम—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री मुख्तार अहमद सिद्दीकी सदर कानूनगो सीतापुर, जिनका देहान्त सेवाकाल में ही दिनांक 10-11-83 को हो गया था, के आश्रित पुत्र श्री मकसूद आलम सिद्दीकी ग्राम पड़री डा0 कुन्डैल नियामत अली, जनपद बलिया की नियुक्ति हेतु उसके प्रार्थना पत्र पर कार्यालय राजस्व परिषद् उ0 प्र0, अनुभाग-4 लखनऊ ने अपने पत्रांक संख्या 9458/4-8/84 दिनांक 7 नवम्बर, 1985 द्वारा उसे सूचित करते हुए जिलाधिकारी बलिया को आवश्यक आदेश निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

31—श्री भिलमिट राम—

[2रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

इटावा में सड़क निर्माण हेतु स्टैम्प ड्यूटी के लिये अधिग्रहीत की गई भूमि का निर्धारित बाजार मूल्य एवं भूमि के प्रतिकर का भुगतान

32—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग के अत्यन्त महत्वपूर्ण पत्र संख्या 7-4(9)/86-114-राजस्व-13, दिनांक 7 मार्च, 1987 के माध्यम से शासन अधिग्रहीत की गई भूमि के प्रतिकर का भुगतान स्टैम्प ड्यूटी के लिये निर्धारित बाजार मूल्य पर दिनांक 30 जून, 1987 तक किये जाने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो मौजा ज्ञानपुर इमामअली, औरया, इटावा में सड़क निर्माण के लिये अधिग्रहीत की गई भूमि का स्टैम्प ड्यूटी के लिये निर्धारित बाजार मूल्य क्या है तथा इन मूल्यों पर किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि के प्रतिकर का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बदायूं के ग्राम सुन्दर नगर के ग्राम प्रधान पर नकद रुपया रखने का आरोप

33–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम प्रधान ग्राम-सुन्दर नगर तह0-बिसौली जनपद बदायूं के जांच आख्या संख्या-162/(1) एम0टी0/वि0 दि0-14 जुलाई, 87 के अनुसार रु0 7830.40 नकद रूप से रखने का दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो इस रुपये (सार्वजनिक धन) पर ब्याज की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री योगेन्द्र कुमार विधायक जनपद-बदायूं का जिलाधिकारी बदायूं को भेजा गया सिफारिशी पत्र

34–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री योगेन्द्र कुमार विधायक, बिसौली जनपद-बदायूं का कोई पत्र ग्राम प्रधान सुन्दरनगर जनपद-बदायूं के संबंध में जिलाधिकारी, बदायूं को दि0 13-8-87 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित तथ्य क्या है ? क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम प्रधान, ग्राम सुन्दर नगर, जनपद बदायूं को दिए गये आरोप-पत्र और जांच के आधार पर निलम्बन व बहाली

35–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान ग्राम-सुन्दरनगर तहसील बिसोली जनपद बदायूं को दिए गए आरोप पत्र में 5 आरोप लगाए गए थे जब कि पुन: की गई जांच पर जांच आख्या सं0/162/1/एस0 टी0/वि0/दि0 14-7-87 में आरोप सं0-4 (रु0 1000 के गबन) के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और आरोप सं0-2 के संदर्भ में उसे निरक्षर कह कर दोष मुक्त करार दिया गया है जबकि वह कक्षा-4 उत्तीर्ण है? यदि हां, तो क्या उक्त प्रधान को पुन: निलम्बित कर किसी अन्य उच्च अधिकारी से जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

36–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम प्रधान ग्राम सुन्दरनगर तहसील बिसौली जनपद-बदायूं को नायब तहसीलदार बिसौली की जांच के आधार पर धरमना-अधिकारी बिसौली द्वारा संख्या 808/एस0 टी0 (वि) दि0 18-6-86 को निलम्बित किया गया

था और पुन: नायब तहसीलदार तहसील आसफपुर की जांच पर बहाल किया गया ? यदि हां, तो जांच किसी उच्च अधिकारी से न कराकर समकक्ष अधिकारी से ही जांच कराने के क्या कारण थे ? क्या किसी उच्च अधिकारी से पुन: जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्लाईवुड मजदूर संघ, सीतापुर के देय वार्षिक विवरण-पत्र

37–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 ट्रेड यूनियन रेगुलेशन 1927 के रेगूलेशन (7) यथा संशोधित के अनुसार प्लाइवुड मजदूर संघ, सीतापुर का देय वार्षिक विवरण पत्र रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, उ0 प्र0 कानपुर को कब से नहीं प्राप्त हुआ है ? क्या इस ट्रेड यूनियन द्वारा रेगुलेशन 17 का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो रजिस्ट्रेशन को अब तक समाप्त न करने के क्या कारण है ?

सैयद सईदुल हसन–

प्लाईवुड मजदूर संघ, सीतापुर के देय वार्षिक विवरण पत्र वर्ष 1985 तक प्राप्त हो चुके हैं । वर्ष 1986 के वार्षिक विवरण पत्र प्राप्त न होने पर यू0पी0 ट्रेड यूनियन रेगुलेशन के नियम 17 के अंतर्गत 10 दिन की नोटिस यूनियन को दी गयी थी फिर भी विवरण पत्र प्राप्त न होने पर ट्रेड यूनियन अधिनियम 1927 की धारा 28 तथा यू0 पी0 ट्रेड यूनियन रेगुलेशन के नियम 17 के अंतर्गत दो माह की नोटिस दी गई थी । लेकिन अभी तक वार्षिक विवरण प्राप्त न होने के कारण दि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा 10 की कार्यवाही की गई है । नोटिस के बाद भी दिनांक 29-2-88 तक यदि विवरण प्राप्त नहीं होता है तो उसी दिन यूनियन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा ।

इलाहाबाद जनपद के शहरी क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु दिये गये पट्टों के नियमितीकरण से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र

38–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा इलाहाबाद जनपद के शहरी क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु दिये गये एट्टों के नियमितीकरण से संबंधित मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 3-3-87 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या जनहित में तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बाल विकास परियोजना के अंतर्गत मुख्य सेविकाओं के चयन को प्रयोगात्मक परीक्षाओं का स्थगन

39—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत मुख्य सेविकाओं के चयन के लिए अप्रैल, 1986 में प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन किया गया था ? यदि हां, तो आकस्मिक रूप से उसके स्थगन का कारण क्या था जबकि हजारों परीक्षार्थी लखनऊ आ चुकी थीं ? क्या यह भी शासन की जानकारी में है कि पुनः परीक्षा जब मई में हुई तो उसकी पूर्व सूचना परीक्षार्थियों को समयाभाव के कारण डाक से नहीं मिल सकी ? यदि हां, तो शासन इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां !

प्रारम्भ में आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 20-3-86 निर्धारित की थी परन्तु विज्ञापन में कतिपय अशुद्धियां होने के कारण पुनः विज्ञापन कराना अनिवार्य था । पुनः विज्ञापन कराने में समय लगना स्वाभाविक होने के कारण आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 20-3-86 से बढ़ाकर 5-4-86 करनी पड़ी और इसी कारण परीक्षा तिथि बढ़ानी पड़ी । दिनांक 4 मई, 1986 को होने वाली लिखित परीक्षा का बुलावा पत्र 15 दिन पूर्व ही डाक द्वारा अभ्यर्थियों को भेज दिये गये थे तथा प्रमुख समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित करा दी गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निबन्धक श्री माशूक अली सिद्दीकी, राजस्व परिषद् इलाहाबाद के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि एवं प्रत्यावर्तन

40—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निबन्धक (श्री माशूक अली सिद्दीकी) राजस्व परिषद् इलाहाबाद के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि एवं प्रत्यावर्तन के प्रत्यावेदन पर राजस्व मंत्री द्वारा बहाली के आदेश दि0 30-1-86 को दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या संबंधित अधिकारी द्वारा आदेश का पालन किया गया? यदि नहीं, तो क्या सरकार उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में सहायक चपरासी पद का साक्षात्कार एवं आरक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों की संख्या की जानकारी

41—श्री राज किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में संग्रह अमीन के सहायक चपरासी के पद के लिए दि0 27-6-87 को अथवा आस-पास की तिथि को साक्षात्कार हुआ था? यदि हां, तो सहायक चपरासी पद की कुल संख्या कितनी थी? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति व सामान्य की क्रमशः कितने-कितने अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की गई?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय महिला संरक्षण गृह के अन्तर्गत चल रहे प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन

42–श्री राज किशोर सिंह–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय महिला संरक्षण गृह के अन्तर्गत जून, 1962 से चल रहे प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों की वर्तमान समय में श्रम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो वह धनराशि कितनी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं। 5 राजकीय संरक्षण गृहों तथा एक उद्धार गृह फतेहपुर (सहारनपुर) में चल रहे प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र गैर सरकारी है, जो इन संस्थाओं से सम्बद्ध है और इनका संचालन एवं नियंत्रण संस्थाओं में गठित वीक्षक मण्डल द्वारा किया जाता है शासनादेश संख्या 5580/26/2/87/33/87, दिनांक 1-2-1988 द्वारा इन केन्द्रों की शिल्प प्रशिक्षिकाओं को रु0 450/- तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रु0 300/- प्रतिमाह नियत वेतन के भुगतान की व्यवस्था है। इन प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों के कर्मचारी श्रम अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं अतएव श्रम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वेतन दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद जौनपुर में कब्रिस्तान व अस्पताल हेतु आरक्षित भूमि पर कुछ व्यक्तियों का अवैध कब्जा

43–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम जमदहा प0 अंगुली जनपद जौनपुर में कब्रिस्तान व अस्पताल के लिये कुल कितनी भूमि (कौन-कौन नम्बर) में आरक्षित की गई थी? क्या यह सही है कि चकबन्दी अधिकारियों एवं हाकिम परगना ने अवैध ढंग से उक्त भूमि पर अब्दुल मन्नान, रामधारी, बेनी माधव तथा अन्य बहुत से लोगों का कब्जा करा रखा है? क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान व भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी जनपद जौनपुर ने अवैधानिक कब्जा हटाने हेतु व अन्य मांगों को लेकर 15-10-81 से आमरण अनशन जिलाधिकारी कार्यालय पर किया था? यदि हां, तो क्या सरकार ने अवैध कब्जा करने वालों को बेदखल कर दिया है? यदि हां तो कब और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला देवरिया के ग्राम प्रधान तथा पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध शिकायती पत्र

44–श्री राम जनम–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया के ग्राम सभा गांगरानी तथा **परगना व तहसील, पडरौना, जिला देवरिया के ग्राम प्रधान** तथा पंचायती सेक्रेटरी के विरुद्ध श्री चन्द्र भूषण त्रिपाठी सदस्य, विधान परिषद् का दिनांक 13 अक्टूबर, 1987 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां, प्रश्नगत प्रकरण की जांच जिलाधिकारी देवरिया द्वारा करायी गयी। जांच में पंचायत सेक्रेटरी के विरुद्ध कोई अनियमितता नहीं पायी गयी। दोषी पाये गये ग्राम प्रधान को आरोप पत्र जारी करके उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री काले सिंह, ग्राम ततारपुर गाजियाबाद की अधिग्रहीत भूमि के मामले में प्रतिकर दिया जाना

45–श्री कनक सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के 4थे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 73 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब लेखपाल द्वारा रुपया निकालना सत्य पाया गया तो क्या लेखपाल की जायदाद नीलाम कर श्री काले सिंह का भुगतान तुरन्त कराने के आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ग्राम इसमाइलपुरगंज, जनपद फैजाबाद में मटरू हरिजन की आवंटित भूमि पर अवैध भवन निर्माण

46–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि नं0 378/2/11/2-3 स्थित ग्राम इसमाइलपुरगंज प0 का तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद मटरू हरिजन को कृषि कार्य हेतु ग्राम सभा द्वारा आवंटित की गई है ? यदि हां, तो उक्त असंक्रमणीय भूमि पर भवन निर्माण करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना में संग्रह अमीनों के पदों पर अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा

47–श्री मित्रसेन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना में संग्रह अमीनों के पदों पर अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो 1986 तक कार्यरत अनुसूचित जाति के संग्रह अमीनों की छटनी क्यों की गयी ? यदि अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा नहीं है तो क्या सरकार हटाये गये अनुसूचित जाति के संग्रह अमीनों को पुनः सेवा में बहाल करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के जनपदों की नगरपालिका व टाउन एरिया में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन

48–श्री राज किशोर सिंह तथा श्री नरेश पाल सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों की नगरपालिका व टाउन एरिया में अभी तक जमींदारी प्रथा समाप्त नहीं हुई है और क्या इन क्षेत्रों से भी जमींदारी उन्मूलन के लिए कोई कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी–

प्रदेश की समस्त जनपदों में स्थित सभी नागर क्षेत्रों में कृषि भूमि की जमींदारी समाप्त की जा चुकी है, सिवाय दो नागर क्षेत्रों के जिनमें कृषि भूमि के सीमांकन के विरुद्ध न्यायालयों में वाद चल रहे हैं । प्रदेश के सभी नागर क्षेत्रों में स्थित अकृषिक भूमि की जमींदारी समाप्त किये जाने के प्रयोजनार्थ विधिक व्यवस्था किये जाने के लिये विधेयक तैयार किया गया है, जिसे कानून की शक्ल दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

इलाहाबाद की चायल तहसील के अंतर्गत राज्य आवस्थान की भूमि पर अवैध कब्जा

49–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद की चायल तहसील के अंतर्गत राज्य आवस्थान की भूमि पर काफी लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो वह कौन लोग हैं और शासन उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है ? क्या मध्यम और कमजोर वर्ग के लोगों को भी उसी तरह (शर्तों व दरों पर) आवासीय पट्टा अति-शीघ्र दिलाने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अमीरूद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, लखनऊ में कार्यरत दैनिक मजदूरों तथा अस्थायी नियुक्त कर्मचारियों का वेतनमान

50–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी में कार्यरत दैनिक मजदूरी पर तथा अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारी कौन-कौन है तथा उन्हें वर्तमान में क्या मजदूरी दी जा रही है ?

सैयद सईदुल हसन–

लखनऊ स्थित अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी में वर्तमान में सर्वश्री चन्द्रिका प्रसाद, राम सागर, जय प्रकाश, कालीदीन, राजू स्वीपर, शिव कुमार एवं राम करन दैनिक वेतन पर तथा अस्थाई रूप से चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त कर्मचारी हैं । इन्हें वर्तमान में रु0 8.50 प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जा रही है ।

51–श्री हरेन्द्र सिंह–

[2रे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 153 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

52–श्री सरदार सिंह–

[दिनांक 24-2-88 को अता0 प्र0 सं0 98 द्वारा उत्तरित]

ग्राम इनायत नगर तहसील-बीकापुर फैजाबाद में स्थित भूमि सं0 607 एवं चकरोड सं0 606 पर श्री सुधीर प्रदीप द्वारा अवैध फैक्ट्री निर्माण

53–श्री मित्रसेन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-इनायत नगर (धमौलिया) परगना पश्चिम राठ, तहसील-बीकापुर फैजाबाद में स्थित भूमि संख्या 607 से मिला हुआ सार्वजनिक चकरोड सं0 606 को श्री सुधीर प्रदीप पुत्र श्री श्यामा प्रसाद प्रदीप निवासी मवई खुर्द इनायत नगर फैजाबाद ने उपरोक्त भूमि संख्या 607 को बैनामा, लेकर चकरोड की भूमि सं0 606 पर भी फैक्ट्री का निर्माण करा रहे हैं जिस पर यू0 पी0 एफ0 सी0 को प्रतिबन्धित कराकर लाखों रुपये ऋण प्राप्त किया है ? क्या उक्त ग्राम सभा के प्रधान ने परगनाधिकारी बीकापुर को प्रार्थना पत्र देकर 122 बी की कार्यवाही की मांग की है ? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही के बावजूद भी अवैध निर्माण किये जाने तथा ऋण स्वीकृत किये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम प्रधान ग्राम सुन्दर नगर जनपद बदायूं के विरुद्ध आरोपों की जांच तकनीकी रोल द्वारा तथा अभिलेखों का विशेष आडिट कराये जाने की संस्तुति

54–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम प्रधान ग्राम सुन्दर नगर तहसील-बिसौली जनपद-बदायूं के विरुद्ध आरोपों की जांच आख्या सं0 162/1/एस0 टी0/नि0 दि0 14-7-87 में उक्त प्रधान के कार्यकाल में कराए गए कार्यों की जांच तकनीकी रोल द्वारा तथा अभिलेखों का विशेष आडिट कराए जाने की संस्तुति की गई थी ? यदि हां, तो अब तक उक्त जांच न कराए जाने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम ककोड़ी, तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद की तीन दुकानों का आवंटन

55–श्री कनक सिंह–

विधान सभा की प्रथम मार्च 1987 के पहले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 59 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने वाले अधिकारी कौन-कौन हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

जांच रिपोर्ट में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता।

आश्रम पद्धति विद्यालय अम्बाड़ी, देहरादून के प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच

56–श्री बलराम यादव–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आश्रम पद्धति विद्यालय अम्बाड़ी, देहरादून के प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया नवम्बर, 87 में सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अनियमितताओं की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी जा रही है ? क्या जांच परिणाम को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

इसकी जांच के आदेश निदेशक, जनजाति विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिनांक 30-11-87 को दिये गये हैं। जांच परिणाम अपेक्षित है अतः बिना जांच परिणाम प्राप्त हुए उसे सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

निबन्धक, राजस्व परिषद् का वेतन न दिया जाना

57–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री माशूक अली सिद्दीकी, निबन्धक का वेतन राजस्व परिषद् द्वारा अक्टूबर, 1985 से अब तक न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी–

श्री माशूक अली सिद्दीकी को दिनांक 17 अक्टूबर, 1985 तक निबन्धक के पद एवं तत्पश्चात दिनांक 18 अक्टूबर, 1985 से दिनांक 31 जनवरी, 1986 (सेवा निवृत्ति की तिथि) तक प्रत्यावर्तित होने के कारण अधीक्षक के पद का वेतन भुगतान किया जा चुका है।

58–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर, नगरा व रतनपुरा में विकलांगों वृद्धों व विधवाओं को दी गयी पेंशन

59–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर, नगरा व रतनपुरा में वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88 में कितने-कितने विकलांगों, बेसहारा वृद्धों व कितनी विधवाओं को पेंशन से लाभान्वित कराया गया है तथा वहां की गरीबी, पिछड़ापन, अभाव और परेशानी को देखकर क्या सरकार बलिया जनपद के लिए पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर, नगरा व रतनपुरा में वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88 में निम्न विवरणानुसार विकलांगों, बेसहारा बृद्धों व विधवाओं को अनुदान से लाभान्वित कराया गया है।

वर्ष	विकास खण्ड का नाम								
	सीयर			नगरा			रतनपुरा		
	विक0	वृद्ध	विधवा	विक0	वृद्ध	विधवा	विक0	वृद्ध	विधवा
1984–85	37	3	95	40	2	73	28	5	75
1985–86	36	5	90	36	5	68	27	9	70
1986–87	37	15	89	37	10	67	28	21	70
1987–88	37	20	103	37	15	80	28	45	82

जी नहीं। वित्तीय ससाधनों की कमी के कारण अनुदान की राशि में वृद्धि करना सम्भव नहीं है।

राजकीय संरक्षण गृह (म) लखनऊ की अधीक्षिका श्रीमती कुन्ती रानी चौधरी का निलम्बन

60–श्री शारदा प्रताप–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय संरक्षण गृह (म) लखनऊ की अधीक्षिका (श्रीमती कुन्ती रानी चौधरी) दिनांक 3-8-1985 से निलम्बित है ? यदि हां, तो क्या आरोप पत्र का उत्तर प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो इनके मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-कार्मिक अनुभाग-17/2/98 कार्मिक-1 जुलाई, 1978 के अनुसार 6 माह से अधिक बीत जाने के बाद निलम्बित कर्मचारी को बहाल करते हुए कार्यवाही जारी रखनी चाहिए ? यदि हां, तो इन आदेशों के तहत श्रीमती चौधरी के मामले में अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी, जबकि इन्हें निलम्बित हुए 6 माह से अधिक हो गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

श्रीमती कुन्ती रानी चौधरी को समय पर आरोप-पत्र दिया गया था परन्तु उनसे आरोप-पत्र के उत्तर देने में असाधारण विलम्ब किया गया और जांच करने में अपेक्षित सहयोग नहीं दिया गया और उनके द्वारा एेन केन प्रकारेण विलम्ब किया गया । जांच अधिकारी का उसी बीच स्थानान्तरण होने के कारण दूसरे जांच अधिकारी को नियुक्ति करनी पड़ी परन्तु उनके द्वारा की गयी जांच के आधार पर भी निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं हो सका । इस लिये जांच अधिकारी को परिवर्तित करना पड़ा है । जांच को पूर्ण करके जांच आख्या शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

चूंकि जांच समय पर पूर्ण करने हेतु श्रीमती चौधरी द्वारा सहयोग नहीं दिया गया। इस लिये उन्हें जांच पूर्ण होने से पूर्व बहाल करने का प्रश्न नहीं उठता।

बलिया जनपद में गोण्ड जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में परेशानी

61—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों सहित बलिया जनपद में बसने वाली गोंड जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र मिलने में परेशानी हो रही है जबकि उ0 प्र0 शासन के पत्र 6125/26-3-87/3-28/78 से जिलाधिकारी, बलिया भी अवगत हैं कि गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र दिया जाना उचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार गोंड जाति के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

गोंड जाति समस्त उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति घोषित है तथा इन्हें अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को समय-समय पर निर्देश जारी किए गये हैं और शासनादेश संख्या-6125/26-3-87-3(28)/78, दिनांक 3 दिसम्बर, 1987 द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को विभिन्न बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए निर्देश जारी किये गये हैं। जिलाधिकारी, बलिया सहित समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी पात्र व्यक्ति को गोंड जाति के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाई न हो।

62—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद गाजीपुर तहसील मुहम्मदाबाद, तहसील सैदपुर, तहसील जमनियां में बाढ़ ग्रस्त गांवों की जनसंख्या एवं राहत-कार्य

63—श्री अफजाल अंसारी—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में सितम्बर, 87 में तह0 मुहम्मदाबाद, तहसील सैदपुर और तहसील जमनियां में क्रमशः कितनी-कितनी नावें बाढ़ के समय राहत और बचाव कार्य हेतु लगायी गयी थीं तथा इन तहसीलों के बाढ़ से जल प्लावित कुल गांवों की संख्या क्रमशः कितनी-कितनी है तथा किन-किन तहसीलों के कौन-कौन से गांव जल प्लावन से घिर गये थे ? इन डूबने वाले गांवों की जनसंख्या अलग-अलग कितनी-कितनी है ? इस बाढ़ से इन तीनों तहसीलों में क्रमशः कितने-कितने लोगों की जानें गयीं? क्या तहसील मुहम्मदाबाद व सैदपुर में बचाव एवं राहत कार्य में पी0 ए0 सी0, एन0 सी0 सी0 व सेना के जवानों का उपयोग किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों? इनके उपयोग की आवश्यकता मात्र जमनियां तहसील में ही समझे जाने का क्या औचित्य है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद गाजीपुर में माह सितम्बर, 87 में तहसील मुहम्मदाबाद सैदपुर व तह0 जमनियां में क्रमशः 91, 8, 130 नावें बाढ़ के समय राहत व बचाव कार्य हेतु लगायी गयी थी तथा उक्त तहसीलों में बाढ़ से जल प्लावित ग्रामों की कुल संख्या क्रमशः 228,

215 पे 140 हैं । तहसील मुहम्मदाबाद, सैदपुर व तहसील जमानियां में क्रमशः 53, शून्य तथा 84 ग्राम जलप्लावन से घिर गये थे । जिसकी सूची संलग्न है । तहसील मुहम्मदाबाद व जमानियां में डूबने वाले ग्रामों की जनसंख्या क्रमशः 24753 व 1,95,000 अनुमानतः है। बाढ़ से तहसील मुहम्मदाबाद, सैदपुर व तहसील जमानियां में क्रमशः 10, 1, 8 जाने गयी । तहसील मुहम्मदाबाद में पी0ए0सी0 की तीन नावें बचाव एवं राहत कार्य में लगायी गयी थी । तहसील सैदपुर में पी0ए0सी0, एन0 सी0सी0 अथवा सेना के जवानों के सहायता की कोई आवश्यकता नहीं थी। जमानियां तहसील में कर्मनाशा नदी बगल के जनपद वाराणसी के पर्वतीय क्षेत्र (तहसील चकिया) से आती है । तहसील चकिया में इस पर कई बांध हैं । जिसमें मूसा खांड व लतीफ शाह प्रमुख हैं । वहां से अचानक 10, 11, 12 सितम्बर, 87 को बांध में पानी बढ़ जाने के कारण पानी छोड़ा गया। कर्मनाशा नदी बहुत टेढ़ी, मेढ़ी नदी है और अचानक खड़ा-खड़ा पानी बढ़ने के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी । ऐसी स्थिति में बाढ़ राहत कार्य के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित व इस कार्य हेतु सुसज्जित दल की आवश्यकता को देखते हुए ही जमानियां तहसील में पी0ए0सी0, एन0सी0सी0 व सेना के जवानों की सेवाएं प्राप्त की गयी ।

(देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ 111 पर)

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में मगई और टोंस नदी की बाढ़ से घिरे गांवों की संख्या एवं राहत कार्य

64—श्री अफजाल अंसारी—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में गत वर्ष मगई और टोंस नदी की बाढ़ के कारण कौन-कौन से गांव चारों तरफ से पानी से घिर गये थे और किन-किन गांवों में नावों की व्यवस्था की गई थी? किन-किन गांवों में कितने-कितने व्यक्तियों की कितनी-कितनी मात्रा में खाद्य सामग्री बांटी गयी?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में माह सितम्बर, 1987 में मंगई नदी व टोंस नदी की बाढ़ के कारण पानी से चारों तरफ से घिर गये गांवों की सूची संलग्न है और उसमें चिन्हित [*] गांवों में नावों की व्यवस्था की गयी थी। बांटी गयी खाद्य सामग्री का वांछित विवरण भी संलग्न है ।

(देखिए नत्थी ग आगे पृष्ठ 114 पर)

65—श्री अफजाल अंसारी—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की मुहम्मदाबाद तह0 में सितम्बर, 1987 में कौन-कौन से गांव मगई नदी की बाढ़ के कारण तथा कौन-कौन से गांव टोंस नदी की बाढ़ के कारण चारों ओर से पानी से घिर गये थे तथा इन दोनों नदियों की बाढ़ के कारण कौन-कौन से गांव मुख्य रूप से प्रभावित हुए थे और इस बाढ़ में कितने व्यक्ति और कितने पशुओं की मृत्यु हुई ? सरकार की ओर से किन-किन गांवों में कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी वस्तु वितरित की गयी ? मुहम्मदाबाद तहसील का कुल कितना क्षेत्रफल इन दोनों नदियों की बाढ़ के कारण पानी में डूब गया था ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस तह0 क्षेत्र में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण किन-किन गांवों के कितने-कितने मकान पूर्ण रूप से व आंशिक रूप से गिर कर ध्वस्त हो गये हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

जनपद गाजीपुर की मुहम्मदाबाद तहसील में सितम्बर, 1987 में मंगई नदी व टोंस नदी की बाढ़ के कारण पानी से चारों तरफ से घिर गये गांवों की सूची तथा वितरित की गई राहत सामग्री के विवरण अतारांकित प्रश्न संख्या: 64 के उत्तर के साथ संलग्न किये जा चुके हैं। सूची में दर्शायें गये सभी गांव दोनों नदियों की बाढ़ के कारण मुख्य रूप से प्रभावित हुए थे । मंगई नदी की बाढ़ से ग्राम महेन्द्र में पांच व्यक्तियों की मृत्यु नाव दुर्घटना में हुई। इन नदियों की बाढ़ में कोई पशु डूबकर नहीं मरा था। मुहम्मदाबाद तहसील का 7920 हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था। ध्वस्त मकानों के गांववार विवरणों की सूची लम्बी है और सुगमतापूर्वक उसकी प्रति उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है । अत: माननीय सदस्य मेरे कक्ष में आकर देख सकते हैं ।

जनपद गाजीपुर की तहसील जमानियां में कर्मनाशा नदी की बाढ़ प्रभावित गांव एवं राहत कार्य

66–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील जमानियां में कर्मनाशा नदी की बाढ़ के कारण गत वर्ष कुल कितने गांव चारों ओर से पानी से घिर गये थे तथा कितने और कौन-कौन से गांव मुख्य रूप से प्रभावित हुए थे ? क्या बचाव एवं राहत कार्य हेतु पी0 ए0 सी0, एन0 सी0 सी0 के जवानों के अतिरिक्त सेना भी बुलायी गयी थी ? यदि हां, तो सेना के जवानों ने कितने दिनों तक क्या-क्या बचाव एवं राहत कार्य किये ? सेना के जवानों ने किन-किन गांवों में राहत व बचाव कार्य किया और सेना का उपयोग करने में उत्तर प्रदेश सरकार को कितना धन व्यय करना पड़ा है ?

श्री अम्मार रिजवी–

सितम्बर, 1987 में जनपद गाजीपुर की तहसील जमानियां में कर्मनाशा नदी की बाढ़ के कारण कुल 34 ग्राम पानी से चारों ओर से घिर गये थे ? ये सभी गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित थे तथा इनकी दशा लगभग एक जैसी ही थी । बाढ़ राहत कार्य में सेना के जवानों ने भी सहायता की थी । सेना दिनांक 16-9-87 से 20-9-87 तक रही । कर्मनाशा कम चौड़ी परन्तु टेढ़ी मेढ़ी व तेज बहने वाली नदी है । बाढ़ विभीषिका को देखते हुए सेना को बुलाना अपरिहार्य था। सेना के दक्ष एवं प्रशिक्षित जवानों ने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित एवं बाढ़ से चारों तरफ से घिरे ग्रामों में जाकर बचाव एवं राहत कार्य में सहयोग दिया । सेना के पास हल्की व तेज नावें थी । सेना द्वारा उपयोग की गयी ट्रकों के भाड़े के रूप में रु0 18,502 व्यय हुआ।

राजस्व परिषद् के लेखा संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की दक्षता रोक पर विचार

67–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद् के लेखा संगठन में ऐसे भी कर्मचारी कार्यरत हैं जिनके दक्षता रोक की तिथि से 3 या 4 वर्ष बाद विचार किया जाता है ? यदि नहीं, तो शासन के इस आदेश का कि दक्षता रोक पर देय तिथि से एक माह के अन्दर विचार कर पार करने अथवा रोकने का आदेश जारी किया

जाना चाहिए और रोकने के आदेश की वार्षिक समीक्षा भी इसी समय-सीमा में होनी चाहिए, पालन न किये जाने का क्या कारण है ? इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं ।

लेखा संगठन के कर्मचारी प्रदेश के मण्डलीय इकाईयों में बंटे हुए हैं । मण्डीय लेखाधिकारियों से दक्षता रोक पार करने की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात उन पर परिषद् स्तर पर सेवा नियमावली के नियम 28 में उल्लिखित शर्तों के अधीन विचार किया जाता है । प्रत्येक वर्ष जिन कर्मचारियों की दक्षता रोक रूकी रहती है उनकी समीक्षा भी की जाती है । अतः नियमों/शासनादेशों के पालन न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है, फलस्वरूप किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई एवं अन्य जनपदों की बृजवासी जातियों को विमुक्त जाति में शामिल करने की मांग

68–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री उन्नाव जनपद की भांति हरदोई एवं अन्य जनपदों की भी बृजवासी जातियों को विमुक्त जाति में शामिल करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो इन्हें किस जाति के अन्तर्गत लिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी नहीं ।

अभी ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

69–श्री जयदीप सिंह बराड़–

[दिनांक 24-2-88 अता0 प्र0 सं0 109 द्वारा उत्तरित]

श्री जमुना प्रसाद, हरिजन कल्याण सुपरवाइजर बलिया के द्वारा किये गये गबन की जांच

70–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बलिया जनपद में निलम्बित हरिजन कल्याण सुपरवाइजर जमुना प्रसाद के लगभग चालीस हजार रुपये के गबन की आज तक जांच कार्यवाही नहीं पूरी की जा सकी है ? क्या जांच कार्यवाही में ढिलाई करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्री जमुना प्रसाद, हरिजन कल्याण सुपरवाइजर, बलिया दिनांक 12-6-86 को उपनिदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, वाराणसी मण्डल द्वारा निलम्बित किए गए थे । श्री राजेन्द्र दास तत्कालीन हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर जांच अधिकारी नियुक्त किए गए थे ।

श्री जमुना प्रसाद को दिनांक 12-6-86 को आरोप पत्र दिया गया था परन्तु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है । इसीलिए जांच की कार्यवाही पूरी नहीं की सकी । श्री दास के सेवा निवृत्त हो जाने के पश्चात श्री रामधनी विद्यार्थी, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर को जांच अधिकारी बनाया गया है ।

श्री जमुना प्रसाद से आरोपों का उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है ।

इस संबंध में छानबीन करायी जा रही है ।

छानबीन के पश्चात यदि कोई अधिकारी जांच कार्यवाही में ढिलाई करते पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0 प्र0 के कार्यालय की ग्रेडेशन लिस्ट

71–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उनके विभाग द्वारा प्रकाशित हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों की ग्रेडेशन लिस्ट के क्रमांक 391 से कितने सीनियर कर्मचारियों का नाम नहीं दिया गया है और ऐसा क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

निदेशालय हरिजन एवं समाज कल्याण उ0 प्र0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–सी-313/ह0स0क0/स्था0-2/87-88, दिनांक 8 मई, 1987 के द्वारा निर्गत हरिजन कल्याण सुपरवाइजर की वरिष्ठता सूची के क्रमांक 391 से निम्नलिखित 7 वरिष्ठ कर्मचारियों का नाम नहीं दिया गया :–

1–श्री अनिल कुमार सिंह
2–श्री अमर चन्द्र कश्यप
3–श्री हेत राम
4–श्री शिव पाल सिंह
5–श्री किशन चन्द्र जोशी
6–श्री राम नेवास पाण्डेय
7–श्री अवधेश कुमार त्रिपाठी

हरिजन कल्याण सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति का अधिकार मण्डलीय उपनिदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण में निहित है । क्रमांक 1 से 5 तक के कर्मचारियों का विवरण सम्बन्धित उपनिदेशकों द्वारा उपलब्ध न करायी जाने के कारण इनके नाम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किये जा सके हैं । क्रमांक 6 पर श्री रामनेवास पाण्डे की सेवा सितम्बर, 1986 में समाप्त कर दी गयी थी और मई 1987 में वरिष्ठता सूची जारी होने तक वे सेवा में बहाल नहीं हुये थे । माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अगस्त 87 में वे सेवा में पुनः लिए गए । अतः इनका नाम मई, 1987 में निर्गत वरिष्ठता सूची में नहीं दिया जा सका है । क्रमांक 7 पर श्री अवधेश कुमार त्रिपाठी की हरिजन कल्याण सुपरवाइजर के पद पर तदर्थ नियुक्ति श्री यमुना प्रसाद निलम्बित हरिजन कल्याण सुपरवाइजर के स्थान पर उपनिदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण वाराणसी मण्डल की गयी थी । श्री त्रिपाठी की नियुक्ति की सूचना उपनिदेशक से प्राप्त न होने के कारण इनका नाम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं हो सका है । उक्त वरिष्ठता सूची में क्रमांक 372 से 391 तक के व्यक्तियों की वरिष्ठता सूची अनन्तिम (टेन्टेटिव) है । इस सूची को अन्तिम रूप देते समय उक्त सातों कर्मचारियों का नाम हरिजन कल्याण सुपरवाइजर की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

हरिजन कल्याण सुपरवाइजर के पद पर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में विकलांगों का आरक्षण कोटा

72–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन कल्याण सुपरवाइजर के पद पर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में विकलांगों का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी, नहीं ।

इस समय हरिजन कल्याण सुपरवाइजर के 284 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 2 विकलांग व्यक्ति कार्यरत हैं । हरिजन कल्याण सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति का अधिकार मण्डलीय उपनिदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण को है । इस समय इस संवर्ग में कोई रिक्ति नहीं है । भविष्य में रिक्ति होने पर विकलांगों का 2 प्रतिशत का आरक्षण कोटा पूरा करने का प्रयास किया जायेगा ।

72–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

[3रे मंगलवार में अतः0 प्र0 सं0 132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा में बाल विकास परियोजना केन्द्रों में धन का वितरण

74–श्री मैनेजर सिंह–

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में बाल विकास परियोजना की कितने केन्द्र कार्यरत हैं और इन केन्द्रों को कितना-कितना धन वर्ष 1986-87 और 1987-88 में पौष्टिक आहार बर्तन आदि के लिए दिया गया है और कितने बच्चों और गर्भवती महिलाओं में वितरित हुआ? क्या यह सही है कि कोटला नारखी केन्द्र के 92 उप केन्द्रों पर सूखा की भयानक हालत में लगभग 8-10 माह से पौष्टिक आहार का वितरण नहीं हुआ ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जनपद आगरा में अबतक 5 बाल विकास परियोजनायें स्वीकृत हैं । आगरा जनपद के लिए वर्ष 1986-87 में 36.48 लाख रुपये तथा वर्ष 1987-88 में 21.00 लाख रुपये पुष्टाहार हेतु स्वीकृत किये गये थे । वर्ष 1986-87 में 22,623 बच्चों व 5760 गर्भवती एवं धात्री महिलाओं में तथा वर्ष 1987-88 में 21,101 बच्चों व 5494 गर्भवती एवं धात्री महिलाओं में पोषाहार वितरण हुआ था ।

कोटला बाल विकास परियोजना में पोषाहार का वितरण हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा की गयी अनियमितता की जांच एवं कृत कार्यवाही

75–श्री रणजीत–

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-1-86 जिसकी प्रति माननीया हरिजन समाज कल्याण मंत्री, सचिव सतर्कता विभाग उत्तर प्रदेश शासन को भी प्रेषित की गयी थी, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां ।

प्राप्त शिकायती पत्र पर जांच करने के आदेश निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण को दिये जा चुके हैं । जांच चल रही है ।

सी0 ओ0 सर्किल अयोध्या जिला फैजाबाद द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया में की गयी अनियमितता विषयक पत्र एवं कृत कार्यवाही

76–श्री भिखसेन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ईश्वरदास सिंह ग्राम सरायरासी के मामले में सी0 ओ0 सर्किल अयोध्या जिला फैजाबाद द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया में की गयी गम्भीर अनियमितता विषयक पत्र दिनांक 3 अप्रैल, 1986 के क्रम में प्रेषित राजस्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश , लखनऊ के पत्रांक 290/आर0/एस0 एम0 आर0/वी0 आई0 पी0/86, दिनांक 30-4-86 तथा अनुसूचित उ0 प्र0 शासन राजस्व अनुभाग–8 तद्विषयक पत्र संख्या एस0 एम0 128/1-8-86 दिनांक 16 अप्रैल, 1986 के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

ग्राम सरायरासी हवेली अवध तहसील व जिला फैजाबाद के श्री ईश्वर दास सिंह द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत की गयी कथित गम्भीर अनियमितताओं के संबंध में निदेशालय के संयुक्त संचालक चकबन्दी द्वारा जांच करायी गयी । उनकी जांच आख्या दिनांक 4-7-86 के अनुसार असंतुलित विनिमय अनुपात एवं चक आवंटन में हुई अनियमितताएं प्रकाश में आईं जिसके लिये दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं ।

खमरिया, तहसील ज्ञानपुर, जनपद वाराणसी की ग्राम सभा की भूमि पर गबंध कब्जा

77–श्री मूलचन्द–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री कैलाशनाथ बर्नवाल खमरिया तहसील ज्ञानपुर जनपद वाराणसी द्वारा ग्राम सभा की भूमि अपने कम्पनी के हाते में घेर लिया गया है तथा विगत तीन माह से अपनी कम्पनी के उत्तर स्थित तालाब, चकरोड आदि ग्राम सभा भूमि पर बाउन्ड्री बनाकर उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सहारनपुर के ग्राम भोगपुर व बाड़ी दीप, तहसील हरिद्वार में चकबन्दी कराये जाने पर विचार ।

78–श्री राम शरण दास–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ग्राम भोगपुर, ग्राम बाड़ी दीप तह0 हरिद्वार जनपद सहारनपुर की चकबन्दी कराये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

प्रश्न में उल्लिखित ग्राम तहसील हरिद्वार में आते हैं। हरिद्वार तहसील का सर्वेक्षण करके चकबंदी योग्य गांव के संबंध में प्रस्ताव भेजने हेतु जिलाधिकारी सहारनपुर को लिखा गया है। जिलाधिकारी का प्रस्ताव आने पर विचार किया जाना संभव होगा। अभी किसी ग्राम विशेष की चकबंदी कराये जाने का मामला विचाराधीन नहीं है।

जनपद गाजीपुर की ग्राम सभा शेरपुर में कृषि योग्य भूमि पर अवैध कब्जा

79–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की ग्राम सभा की 745 बीघा भूमि में से कृषि कार्य योग्य कुल कितनी भूमि है? क्या मंत्री जी इस भूमि को पात्र व्यक्तियों में वितरित करने के संबंध में समयबद्ध निर्देश संबंधित अधिकारियों को देने का कष्ट करेंगे ? क्या यह सत्य है कि कृषि उपयोग वाली भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो बेदखली की कोई कार्यवाही की गयी है अथवा नहीं ? क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि शेरपुर गांव सभा की इतनी अधिक भूमि लम्बे समय से प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अपने निजी उपयोग में किन परिस्थितियों में लायी जा रही है ?

श्री अम्मार रिज़वी–

जनपद गाजीपुर की ग्राम सभा शेरपुर में गांव सभा की कुल 751 बीघा 15 विस्वा धुर भूमि में से 26 बीघा 14 विस्वा 11 धुर कृषि योग्य है । इस कृषि योग्य भूमि में से 13 बीघा 7 विस्वा 13 धुर भूमि पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है । इन्हें बेदखल करने की कार्यवाही परगनाधिकारी स्तर पर विचाराधीन है ।

जनपद गाजीपुर के ग्राम सुरतापुर में भूमिहीनों की संख्या एवं आवास स्थल हेतु ग्राम समाज की भूमि का पट्टा

80–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सभा सुरतापुर में भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है ? क्या इस गांव की भूमि प्रबन्धक समिति ने सन् 86 में 17 अपात्र व्यक्तियों को आवास स्थल हेतु नजराना लेकर ग्राम समाज की भूमि का पट्टा किया है ? यदि हां, तो वर्षों तथा किन-किन व्यक्तियों से कितना-कितना पैसा नजराने के रूप में किस दिनांक में प्राप्त किया और यह पैसा गांव सभा कोष में किस तारीख को जमा किया गया ? क्या उक्त पैसा समय से कोष में जमा न करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कोई नियमित कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गाजीपुर, ग्राम आब्दन उर्फ बैरान में ताल पर अवैध कब्जा एवं भूमिहीनों में आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही

81–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम आब्दन उर्फ बैरान में लगभग 50 बीघा की आराजी का एक ताल है जिसके भूमि पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अपने पक्ष में वर्ग-4 का इंदराज करा कर निजी प्रयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक वर्ग-4 का इंदराज खारिज करके उस भूमि को जो खेती करने योग्य है, भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित कर दिया जाएगा ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

वर्ग–4 की प्रविष्टि दिनांक 22-1-87 को खारिज कर दी गयी है किन्तु अमलदरामद की कार्यवाही अपर आयुक्त, वाराणसी के आदेश दिनांक 5-2-87 द्वारा स्थगित है। मामले में न्यायालय के अन्तिम आदेशोपरान्त भूमि का आवंटन किया जाना सम्भव होगा ।

जनपद गाजीपुर, ग्राम मसौनी में ग्राम समाज की भूमि पर कथित अवैध कब्जा

82–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के तहसील मुहम्मदाबाद में ग्राम मसौनी में ग्राम समाज के चारागाह की भूमि पर गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और इस गांव की समस्त चकरोड भी प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा जोत ली गयी है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? कब तक चकरोडों और चारागाह की भूमि पर से अवैध कब्जा हटा दिया जाएगा ?

श्री अम्मार रिज़वी–

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम मसौनी में ग्राम समाज का कोई चारागाह नहीं है अतः अवैध कब्जा करने का प्रश्न नहीं उठता है। उक्त गांव में 10 चकरोड हैं जिनमें से 6 चकरोडों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मिट्टी डलवाकर सड़क बनवा दी गयी है। इस प्रकार इन 6 चकरोडों पर अवैध कब्जा करने का प्रश्न नहीं है। शेष 4 चकरोड 8 कड़ी से 10 कड़ी तक चौड़े हैं इन पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति का कब्जा नहीं है, इस पर आवागमन होता है।

जिला आजमगढ़, ग्राम गोंदापुर में चकबन्दी प्रक्रिया

83–श्री बलराम यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम गोंदापुर, परगना गोपालपुर, जिला आजमगढ़ में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है तथा उपरोक्त ग्राम के समस्त धारा 9 के वादों का निस्तारण एक वर्ष पूर्व ही कर दिया गया है ? यदि हां, तो आज तक किसानों को आकार पत्र 23 क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया है ? क्या उसे अविलम्ब उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

नौगढ़, बस्ती के सेवा निवृत्त नायब तहसीलदार की पेंशन, ग्रेच्युटी, नकदीकरण, जी0 पी0 एफ0 एवं ग्रुप बीमा की धनराशि का भुगतान

84–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवा निवृत्त नायब तहसीलदार, नौगढ़, बस्ती श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय का 1982-83 एवं वर्ष 1985-86 का बोनस भुगतान एवं सेवा निवृत्त होने (31 जनवरी, 1987) के पश्चात उनके पेंशन, ग्रेच्युटी नकदीकरण, जी0 पी0 एफ0 एवं ग्रुप बीमा की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ? यह भुगतान कब तक सुनिश्चित करा दिये जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, सेवा निवृत्त नायब तहसीलदार की पेंशन राजस्व परिषद् के आदेश दिनांक 5-1-88 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। ग्रेच्युटी, नकदीकरण का भुगतान भी जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा कर दिया गया है। जी0 पी0 एफ0 में जमा धनराशि का 90 प्रतिशत श्री पाण्डेय को भुगतान कर दिया गया है। शेष 10 प्रतिशत का भुगतान महालेखाकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर की जायेगी। ग्रुप बीमा की धनराशि का भुगतान राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय से चेक प्राप्त होने पर किया जा सकेगा। श्री पाण्डेय के वर्ष 1982-83 तथा वर्ष 85-86 के बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आजमगढ़ तथा बस्ती को निर्देश दे दिये गये हैं कि इसका भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें।

85–श्री कल्याण सिंह–

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 133 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सुदर्शन कृषक विद्यालय किरिहड़ापुर, जिला बलिया के प्रधानाचार्य द्वारा हरिजन व पिछड़ी जातियों के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति हड़पने की जांच

86–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि सुदर्शन कृषक विद्यालय किरिहड़ापुर, जिला बलिया के प्रधानाचार्य द्वारा हरिजन व पिछड़ी जातियों के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति हड़पने की जांच व कार्यवाही सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के कितने पत्र वर्ष 1985-86, 1986-87 में शासन को प्राप्त हुए हैं तथा विभागीय सचिव ने कितनी बार जांच व कार्यवाही हेतु आदेश दिया है और उक्त गम्भीर प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गाजियाबाद, यूसुफ पुत्र मजीद की सम्पत्ति को निष्क्रान्त घोषित किया जाना

87–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाया यूसुफ पुत्र मजीद निवासी मु0 खारीबुआ दादरी, जनपद गाजियाबाद की मृत्यु दिनांक 4-7-1966 को दादरी में हुई थी । क्या यह सत्य है कि उपरोक्त यूसुफ थाना–दादरी में वेतन भोगी चौकीदार के रूप में निरन्तर 1940 से 1960 तक कार्य करता रहा ? यदि हां, तो उसकी सम्पत्ति खेत सं0 1070 में रकबा 1-150 को छोड़कर सारी सम्पत्ति के निष्क्रांत घोषित किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम सभा बरांवा, जनपद बाराबंकी के श्री रामप्यारे व अन्य कृषकों के समस्त चकों को चक-मार्ग व नाली दिये जाने विषयक शिकायती पत्र

88–श्री कृष्ण कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बरांवा, परगना रुदौली, तहसील रामसनेही घाट, जनपद बाराबंकी के श्री रामप्यारे व अन्य कृषकों का चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान समस्त चक्कों को चक मार्ग व नाली दिये जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र रजिस्टर्ड डाक संख्या 298 दिनांक 7-10-87 द्वारा जिला अधिकारी, बाराबंकी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें बिन्दुवार शिकायतें क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

उक्त प्रार्थना-पत्र की शिकायतें निम्न प्रकार हैं :—

उक्त ग्राम नहर कमाण्ड एरिया के अन्तर्गत आता है।

1–ग्राम के अधिकांश चकदारों को नाली व चक मार्ग नहीं दिया गया है।

2–नाली की व्यवस्था न होने से अधिकांश हरिजन गरीब वर्ग की फसल सूखे से नष्ट हो गई।

3–ग्राम समाज की भूमि पर असरदार काश्तकार के चक बनाकर ग्राम समाज भूमि का दुरुपयोग किया गया ।

4–गाटा सं0 51, 52 ग्राम समाज की भूमि पर श्री गुरुदीन का उड़ान चक समाप्त करके उनके मूल गाटे पर चक देकर ग्राम समाज की भूमि का उपयोग नाली, चक मार्ग को देकर किया जाये ।

उक्त ग्राम कमाण्ड एरिया में सम्मिलित है। परिवाद में उल्लिखित 21 कृषकों में से एक के नाम ग्राम में कोई चक नहीं है। शेष 20 कृषकों में से 7 को चक मार्ग तथा 13 को नाली की सुविधा प्राप्त नहीं है। इन चकदारों को चक मार्ग व

नाली की सुविधा संदर्भ के माध्यम से प्रदान किये जाने के लिए आदेश दे दिये गये हैं । गाटा सं0–51 राम औतार पुत्र सितलू, गाटा संख्या 52 धिराऊ पुत्र ननकऊ के नाम आधार वर्ष की खतौनी में दर्ज है। ग्राम की चक सम्बन्धी आपत्तियां चक अपीलें व चक निगरानियों का निस्तारण किया जा चुका है। निस्तारण के दौरान पायी गयी त्रुटियों का निवारण नियमानुसार कर दिया गया है।

ग्राम फूलवरिया जिला लखनऊ में चकबन्दी के दौरान की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

89–श्री कनक सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम फूलवरिया मजरा अतरौली तहसील मोहनलाल गंज, जिला लखनऊ में चकबन्दी के दौरान की जा रही अनियमितताओं के संबंध में श्री राजित प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा का शिकायती पत्र उन्हें माह अगस्त, 1987 में प्राप्त हुआ था जिसे आयुक्त चकबन्दी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित शिकायतों का निराकरण कर दिया गया तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा की गयी । शिकायत में पायी गयी त्रुटियों के निराकरण हेतु निर्देश दे दिये गये हैं । दोषी पाये गये सहायक चकबन्दी अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने की कार्यवाही कर दी गयी है ।

जनपद देवरिया ग्राम खजुरी करौता की बस्ती के चारों तरफ छोड़ी गयी भूमि पर अवैध कब्जा

90–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया के विकास खण्ड भटनी के अंतर्गत ग्राम खजुरी करौता के गांव की बस्ती के चारों तरफ चकबन्दी द्वारा आबादी छोड़ी गयी है? क्या यह सही है कि भूमि प्रबन्धक समिति के आवंटन के बिना उस गांव के लोग अवैध रूप से दखल किये हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उस आबादी को छुड़वाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

ग्राम खजूरी करौता तहसील सलेमपुर में चकबन्दी द्वारा सामान्य आबादी हेतु 0–18 एकड़ तथा हरिजन आबादी हेतु 1–60 एकड़ भूमि सुरक्षित की गयी है । भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 25-8-85 द्वारा सामान्य आबादी हेतु सुरक्षित भूमि में से 0–11 एकड़ भूमि का आवंटन-9 परिवारों तथा हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित भूमि में से 0–57 एकड़ भूमि 19 परिवारों के लिए किया गया है ।

सामान्य आबादी हेतु सुरक्षित गाटा संख्या-137/0-07 डि0 भूमि के आंशिक रकबे पर श्री रामजतन, कैलाश, सियाराम तथा पूजन द्वारा लगभग तीन वर्ष पूर्व से पक्का मकान बना लिया गया है, तथा शेष रकबे पर जरिये आबादी, नाद, खूंटा, खोप, सहन के रूप में कब्जा कर लिया गया है । इनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही हेतु ज0 वि0 अ0 को धारा 122-बी के अंतर्गत तहसीलदार सलेमपुर के न्यायालय में वाद विचाराधीन है ।

हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित अवशेष भूमि पर हरिजनों द्वारा ही मवेशी बांधने, गोबर पाथने आदि के रूप में कब्जा करके प्रयोग किया जा रहा है. फलस्वरूप उनको बेदखल किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

जनपद देवरिया, ग्राम खजुरी करौता के चारों तरफ निकाली गयी चकरोड नाली सड़क पर कुछ व्यक्तियों का गवैध कब्जा

91—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के तहसील सलेमपुर विकास खण्ड भटनी के अंतर्गत ग्राम खजुरी करौता के चारों तरफ जो चकरोड, नाली सड़क निकली गयी है उसको गाँव के कुछ सरकस लोग अपने खेतों में जोतकर मिला लिए है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस पर कोई कार्यवाही कर उसको छोड़वायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

अनधिकृत रूप से कब्जा व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली हेतु ज0 वि0 अ0 की धारा 122—बी के अंतर्गत तहसीलदार सलेमपुर के न्यायालय में वाद विचाराधीन है ।

जनपद देवरिया ग्राम खजुरी करौता में चकबन्दी के बाद मुकदमें चल रहे क्या दुरस्ती

92—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर विकास खण्ड भटनी के अन्तर्गत ग्राम खजुरी करौता में चकबन्दी हुए 4-5 साल हो गये? यदि हां, तो उस गांव में कितने नक्शा दुरस्ती के मुकदमें जिलाधिकारी देवरिया के यहां चल रहे है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

ग्राम खजुरी करौता के सम्बन्ध में यू0 पी0 एल0 आर0 एक्ट की धारा 28 के 9 वाद लम्बित है ।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड सोरांव तथा मेजा में भीषण उपलवृष्टि से हानि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(समय 12 बजकर 20 मिनट बाद)

श्री नेक चन्द पाण्डेय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप तो सत्ता पक्ष के हैं, मैं आपको सुनूंगा । पहले नियम 301 हो जाने दीजिये ।

आज नियम 301 के अंतर्गत 23 सूचनायें मिली हैं, जिनमें से सात सूचनायें इलाका द्वारा स्वीकार की गयी हैं। पहली सूचना श्री विश्राम दास की जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड सोरांव तथा मेजा में भीषण उपलवृष्टि से हानि के विषय में है । दूसरी सूचना श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ की डी0 सी0 यू0-2 सार्वजनिक निर्माण विभाग बस्ती के विभिन्न मार्गों के निर्माण में घोटाले के विषय में है । तीसरी सूचना श्री बदन सिंह की जनपद आगरा में फर्जी कागजी नसबन्दी किये जाने के विषय में है। चौथी श्री राज किशोर सिंह की वाराणसी जनपद की वरुणा नदी के कोरडल घाट पर सेतु निर्माण के विषय में है । पांचवी सूचना श्री मनोहर लाल की उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अधिशासी निदेशक द्वारा आवश्यक वस्तुओं के क्रय में कमीशन लेने के विषय में है । छठी सूचना श्री औसान सिंह की जनपद इटावा के विधुना क्षेत्र में डीजल की परेशानी के विषय में है और सातवीं सूचना श्री पारस नाथ यादव की जनपद जौनपुर के बरसठी ब्लाक में बोस सूत्री कार्यक्रम की अवहेलना एवं धन के दुरुपयोग के विषय में है।

सदन को आज्ञा हो तो इन को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सभी सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया ।)

*श्री विश्राम दास–

[मान्यवर, अतिलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास खण्ड कोरांव और माडा तथा मेजा जनपद इलाहाबाद के किहुमी, खोचा, घोरहट, पवारी, जमुआ, कोलसरा नीवी, पसना, बहरेवा, नगई का पूरा साजी, सिरावल, बेरी झरवनिया, इटवा कला, इत्यादि ग्रामों में गत 15 फरवरी, 1988 को भयंकर उपलवृष्टि व भीषण वर्षा के साथ तेज तूफान से रबी की समस्त फसल नष्ट हो गयी, सैकड़ों वृक्ष धरशायी हो गये और दर्जनों लोग बेघर-बार हो गये । एक ओर तो भयंकर सूखे के कारण खरीफ की पूरी फसल चौपट हो गयी थी, वही दूसरी ओर इस भयंकर आपदा से रबी की तैयार फसल भी पूरी तरह नष्ट हो गयी। फलस्वरूप किसानों, मजदूरों को भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

रहा है लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं तथा पशुओं के चारे का नितान्त अभाव हो गया है ।

अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर मदन ऋ ध्यान आकृष्ट करते हुए आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि किसानों को तुरन्त क्षति पूर्ति दिलाया जाय, शीघ्र ही बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाये जाय और पशुओं के चारे की व्यवस्था बहुत शीघ्र करायी जाय ।]

डी0 सी0 यू-2 सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती के विभिन्न मार्गों के निर्माण में घोटाले के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

[मान्यवर, आप की आज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं । डी0 सी0 यू0-2 सार्वजनिक निर्माण विभाग बस्ती के निम्नलिखित मार्गों पर भारी पैमाने पर गड़बड़ी की गयी है । मैं किसी उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में जांच दल भेज कर सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कराने की मांग करता हूं ।

1. धरमपुर-धौरहरा मार्ग जिस पर मिट्टी का काम बहुत ही निम्न स्तर का, ऊंचाई जितनी होनी चाहिए उतनी हुई नहीं है। श्रमिकों का भुगतान बाकी है। एक लाख के आस पास भुगतान हो चुका है गहराई से जांच की आवश्यकता है। इस पर जो पत्थर की मिट्टी ली गयी है । वह ओवर साइज जरवा का पत्थर की है । जितना पत्थर का भुगतान हुआ है उसके अनुसार कार्यस्थल पर मात्रा में कम है ।

2–25 लाख रुपये जो सालाना मरम्मत के हेतु इस खण्ड को मिला उसकी जांच करायी जाय कि वह कहां खर्च किया गया । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में क्या काम कराया गया?

3–सूखा राहत के अन्तर्गत राज्य मार्ग–26 पर जो कार्य कराया गया उसका मस्टर रोल कब बना और उसका भुगतान कब किया गया।

4–खन्द्रसी। घाट मार्ग में पत्थर की सप्लाई कि0मी0 4 में की गयी जो मौके पर बहुत कम है। मानपुर रानी मार्ग पर मिट्टी का फर्जी भुगतान हुआ है सड़क अब भी अधूरी है। देखने पर स्थिति मालुम होगी। बाजार सेहरी मार्ग की भी पूरी जांच की जाय और पूरी सड़क को देखा जाय और पुलियों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है।

मैं सरकार से इस शासन से मांग करता हूं कि तत्काल जांच कराये और जांच के समय मुझे भी बुलाया जाय ताकि मैं जांच दल को वस्तुस्थिति की जानकारी दे सकूं]

जनपद आगरा में फर्जी कागजी नसबन्दी किये जाने के विषय में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह–

महोदय, जनपद आगरा की सभी 18 ब्लाकों में लगभग 14000 नसबन्दी के क्षेत्र केस के कागज पर हो चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत जांच से शायद 1000 वास्तविक नसबन्दी के केस प्रमाणित होंगे । अब तक इस राष्ट्रीय कार्यक्रम से नसबन्दी विधुर, विधवा, अतिवृद्ध, साधू सन्यासी और अविवाहित लोगों को करके धोखाधड़ी की जाती रही है, लेकिन अब आगरा का मुख्य चिकित्साधिकारी केवल फार्मों को भरवाकर ही पुराने नसबन्दी केसों को ही नये केस दिखाकर नसबन्दी का औपचारिकता पूरी कर

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर रहे हैं। इससे शासन द्वारा नसबन्दी वाले केसों को मिलने वाला धन उसकी निजी जेब में चला जा रहा है और शासन व समाज को धोखा देकर इस परिवार नियोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस धोखा धड़ी से आगरा की जनता में भारी बेचैनी और परेशानी का वातावरण उत्पन्न हो गया है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि जनपद आगरा के सभी नसबन्दी केसों की जांच व्यक्तिगत नसबन्दी प्रभावित व्यक्तियों और फार्मों से मिलान करके शीघ्र की जाय ताकि कार्यक्रम के साथ होने वाली धोखाधड़ी रोकी जा सके।]

वाराणसी जनपद में वरुणा नदी के कोरअंत घाट पर सेतु निर्माण के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह–

[महोदय, वाराणसी जनपद स्थित वरुणा नदी के कोरअंत घाट पर नित्य हजारों की संख्या में यात्री अपने आवश्यक कार्य के क्रम में आर-पार करते हैं। नदी में पूरे वर्ष पानी भरा रहता है। घाट पर अथाह पानी रहता है जिससे नदी पार करने के लिए नाव के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। नाव से घटनायें भी हो चुकी है।

उक्त घाट से वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद जाने वाले लोग आते जाते हैं। व्यवसायिक सामान प्रत्येक दिन प्रचुर मात्रा में नाव से ढोकर पार होता है।

घाट के दोनों तरफ उप मार्ग का कार्य लगभग पूरा हो रहा है। घाट के उत्तर दक्षिण दोनों तरफ पक्की सड़कें हैं जो वाराणसी जौनपुर, वाराणसी-कोरअंता, मंगलपुर, वाराणसी-भदोही, वाराणसी-मिर्जापुर, अकेलवा वाराणसी-इलाहाबाद को जोड़ते हैं। ऐसी स्थिति में कोरअंत घाट पर सेतु निर्माण हो जाने से क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और यातायात से आय में वृद्धि होगी।

सेतु निर्माण न होने से जनता को महान कष्ट है और क्षोभ व्याप्त है। अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाते हुये शासन से आगामी बजट में सेतु निर्माण के लिये प्राविधान करने की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अधिकारी निदेशक द्वारा आवश्यक वस्तुओं के क्रय में कमीशन लेने के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मनोहर लाल–

[महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अधिशासी निदेशक के पद पर जबसे श्री आर0एन0 सिन्हा आये हैं, राज्य कर्मचारियों को अच्छे स्तर की आवश्यक वस्तुएं मिलना बन्द हो गया है। इसका एकमात्र कारण यह है कि श्री सिन्हा जब तक फर्मों से लम्बा कमीशन नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक वह अच्छी फर्मों से माल खरीदने की स्वीकृति नहीं प्रदान करते हैं। इस कारण से सेवा आश्रम वाराणसी, अपट्रान की वस्तुएं और पोस्टमैन रिफाइन्ड तेल की सप्लाई बन्द हो गयी है। राजकीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निगमों की वस्तुएं भी नहीं खरीदी जाती है। सुगन्ध नामक रिफाइन्ड तेल की सप्लाई हेतु लम्बी रकम लेकर एक जाली फर्म को अनुमोदित करके इन्डेंट किया गया है। डिपोज के प्रबन्धकों को आदेश दिये गये हैं कि अग्रिम चैक जारी करें ताकि माल की पूर्ति हो, परन्तु वह फर्म सभी के चेक लेकर लापता हो गयी है और निगम की काफी धनराशि डूब गयी है।

अतएव प्रार्थना है कि इस मामले की जांच करायें और दोषी अधिशासी निदेशक के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही की जाय।]

जनपद इटावा के विधूना तहसील में डीजल आपूर्ति केन्द्र की कमी के कारण डीजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आसान सिंह–

[महोदय, इस समय सूखा-ओला से बची गेहूं की फसल को अन्तिम पानी की आवश्यकता है परन्तु विधूना तहसील मुख्यालय पर एक ही डीजल आपूर्ति केन्द्र होने से डीजल का घोर संकट है। यहां 100 कि0मी0 तक कोई अन्य डीजल पम्प न होने से उपभोक्ताओं को डीजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। कृषकों एवं अन्य उपभोक्ताओं में घोर निराशा एवं रोष व्याप्त है।

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय की ओर आकृष्ट कर शासन से मांग करता हूं कि विधूना में डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय तथा आवश्यकता के अनुरूप एक अन्य डीजल पम्प लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग करता हूं]

जनपद जौनपुर के बरसठी ब्लाक में 20 सूत्री कार्यक्रम की अवहेलना एवं धन के दुरुपयोग के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पारस नाथ यादव–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं। जिला-जौनपुर के विकास खण्ड बरसठी में वृक्षारोपण के कार्य में वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा ग्राम रनापुर बबूरी, गांव में वृक्षारोपण का कार्य नहीं कराया गया है धन का भुगतान फर्जी ढंग से कर लिया गया। इतना ही नहीं फर्जी वाउचर (चौकीदार) को नियुक्त करके उनका वेतन भी निकाला जा रहा है। जिससे जनता के गाढ़ी कमाई के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ शासन एवं सरकार की छवि भी धूमिल की जा रही है। बरसठी रेंज में शासन के आदेशानुसार किसान नर्सरी खोलने की व्यवस्था थी, किन्तु आज तक एक भी गांव में किसान नर्सरी नहीं लगाई गयी बल्कि उसमें खर्च होने वाले धन को भुगतान कर लिया गया है।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः आपके माध्यम से शासन एवं सरकार से मांग करता हूं कि फर्जी वृक्षारोपण एवं किसान नर्सरी के नाम पर फर्जी भुगतान की जांच कराके दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय ताकि जनहित में कार्य हो सके तथा धन का दुरुपयोग रोके जा सके।]

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, पहली सूचना श्री शारदा नंद अंचल, श्री पारस नाथ यादव, श्री राज जनम, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री रमा कान्त यादव की हरिजन शिक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ वेतन देने में दोहरी नीति अपनाये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल की माननीय विधायकों की गिरफ्तारी की सूचना सदन में यथाशीघ्र न घोषित किये जाने के बारे में है । तीसरी सूचना श्री सरदार सिंह की मेरठ के किसानों की मांगों को न मान कर सरकार द्वारा लोक तान्त्रिक परम्पराओं की अवहेलना के सम्बन्ध में है । चौथी सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही और कुंवर मानवेन्द्र सिंह की दिनांक 26 जनवरी को परेड में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा राज्यपाल के समय अगुआई न करने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री जय दीप सिंह बरार की माननीय अध्यक्ष द्वारा शासन को दिये गये निर्देशों की अवहेलना के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय कार्य मंत्रणा द्वारा सिफारिश सदन में न घोषित किये जाने के संबंध में है और सातवीं सूचना श्री मुलायम सिंह यादव, कुंवर रेवती रमण सिंह और श्री कौशिक रमाशंकर की दिनांक 25-2-88 को डा0 संजय सिंह ने नियम 110 के अन्तर्गत बधाई का प्रस्ताव रखा था लेकिन उस पर सदन का मत नहीं प्राप्त किया, जो नियमावली के विपरीत है ।

पहली सूचना श्री शारदानन्द अंचल की नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, अतः अस्वीकार है दूसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल की है, इस मामले में कल जांच के लिये घोषणा कर दी गयी है। तीसरी सूचना श्री सरदार सिंह की है, यह नियम 300 में नहीं आती है। नियम 56 में इस पर विचार हो रहा है, अतः अस्वीकार है। चौथी सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की है यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है। पांचवी सूचना श्री जयदीप सिंह बरार की है कि अध्यक्ष द्वारा यह निर्देश दिये जाने के बावजूद कि प्रश्नों के उत्तर 6 बजे तक प्राप्त हो जायें, उसका पालन नहीं किया जा रहा है । सरकार इसका कड़ाई से पालन करे । पांचवी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता की है कि 27 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण का अन्तिम दिन है या नहीं। संसदीय कार्य मंत्री, अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण का 27 तारीख है, इस पर आपको क्या कहना है ?

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

(समय 12 बजकर 20 मिनट पर)

मान्यवर, जैसा कि सम्मानित सदन को जानकारी है कि 27 तारीख तक यह कार्यक्रम चलेगा । 27 तारीख को इस पर मतदान होना है। यह सारा कार्यक्रम कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के बाद सदन द्वारा स्वीकार किया जा चुका है । अब उस पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

औचित्य का कोई प्रश्न नहीं रह जाता। सारा कार्यक्रम सदन से स्वीकार हुआ है और वह सदन में रखा गया था। वह सदन द्वारा स्वीकृत हो चुका है। उस पर अब कोई औचित्य का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष–

सदन के फैसले के अनुसार 27-2-88 ही चर्चा का आखिरी दिन है जब तक सदन अपना फैसला नहीं बदलेगा 27-2-88 अंतिम दिन माना जायेगा। अब आप इसके लिये प्रस्ताव लाये तो वह सदन में रखा जायेगा।

(व्यवधान)

नियम 110 के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है । डाक्टर संजय सिंह ने न तो अनुमति मांगी और न मेरे द्वारा अनुमति प्रदान की गई । ये सब सूचनायें अस्वीकृत हुई ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने से सदन में घोर व्यवधान)

जहां तक नियम 291 के अन्तर्गत माननीय जसदीप सिंह बरार और माननीय डाक्टर संजय सिंह का प्रश्न है, नियम 291 (क) में यह प्राविधान है कि जब किसी सदस्य पर आरोप लगाया जाता है तो उसे स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। मेरी राय में सदस्य पर कोई आरोप नहीं लगाया गया । लिहाजा उस पर स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं उठता। किसी सदस्य को दल से निकाला जाता है । उसे सदन में नहीं उठाया जा सकता ।

(व्यवधान)

नियम 110 के अन्तर्गत माननीय रवीन्द्रनाथ तिवारी, माननीय हर्ष वर्धन तथा माननीय राकेश धर त्रिपाठी तथा अन्य सदस्यों ने जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य चाहते हैं कि राज्य सभा के सभापति डाक्टर शंकर दयाल शर्मा को बधाई दी जाय । नियम 110 में ऐसा प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। संसदीय परम्परा यह है कि बधाई या शोक के प्रस्ताव नेता सदन द्वारा ही लाये जा जा सकते हैं . . . (व्यवधान) इसलिये यहां पर इसकी कोई चर्चा करना स्वीकार्य नहीं होगा।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। . . . . (व्यवधान)

(विरोध पक्ष तथा सत्ता पक्ष कि कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

दिनांक 25-2-88 को डा0 संजय सिंह द्वारा नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्तुत बधाई प्रस्ताव पर सदन का मत लेने तथा श्री राजपाल के अभिभाषण पर चर्चा हेतु निर्धारित समय देने के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न को सुने जाने की मांग

श्री राम शरण दास–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये। . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप शोर इतना मचा रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है। जब आप व्यवस्थित हों तो मैं सुनूं ।

एक सदस्य–

मैं नियम 110 पर बोलने के लिये खड़ा हूं। . . . . (व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री राम शरण दास–

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय– [xxx]

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

इनकी स्थिति क्या है ? इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह दल का आन्तरिक मामला है (व्यवधान) अब आप बैठें ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

कल मान्यवर, इस सदन में माननीय बरार साहब को (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी व्यवस्था पर निर्णय दे दिया । अब आप कृपा कर बैठें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय बरार साहब को कांग्रेस दल से निकालने की सूचना दी गई ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मेरी व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्णय दे दिया है, उसे स्वीकार नहीं किया । अब आप बैठें । यह दल का मामला है इसे यहां उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपा कर बैठ जायं। मैंने माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी को बुलाया है ।

नोट–[x x x] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, बरार साहब को कांग्रेस दल से निष्कासित करने की सूचना कल सदन में दी गई । वह अपनी पार्टी कार्यालय में कोई सूचना देते तो उससे सदन का कोई मतलब नहीं रहता । उससे यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ता । लेकिन उसे सदन में पढ़ कर बताया गया तो वह यहां की कार्यवाही का अंग हो गया । नियमों के अन्तर्गत 291 (क) में माननीय सदस्य बरार साहब को अपना स्पष्टीकरण देने का अधिकार है । उसके लिए आप समय देंगे अभी वह स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं आप को इसके लिए समय देना है। अगर उन पर कोई आरोप लगाया गया है। तो वह सदन में स्पष्टीकरण दे सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

कोई आरोप ही नहीं है तो स्पष्टीकरण का क्या सवाल है। (व्यवधान कोई आक्षेप नहीं है (व्यवधान)

*श्री जयदीप सिंह बरार–

आरोप है मान्यवर, अनुशासन-हीनता का आरोप है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, नियमों के अनुसार आप हमारी किसी प्रार्थना के प्रस्ताव को निरस्त कर सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं।यह आपका अधिकार है। आपके निर्णय को हम स्वीकार करते हैं । लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से संसदीय मर्यादाओं का हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, इस पर इस पक्ष के ही नहीं उस पक्ष के भी सारे लोग गंभीरता से सोचें। 24 दिन हम ग्रांट्स पर बहस करते थे अब उसे इस बार 17 दिन कर रहे हैं । शनिवार का अवकाश होता है लेकिन कार्य मंत्रणा की सिफारिश पर वह भी ले लिया गया जिसको सदन ने मान लिया, हम उसको मानते हैं कि सदन की संपत्ति हो गयी, सदन का फैसला हो गया। लेकिन जिस तरह से आज परम्परायें टूट रही हैं इस पर क्या कभी आपने सोचा है । यहां वोट के जरिए कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर संशोधन अस्वीकार किया जाता है, तो यह संशोधन क्यों आया, इस पर आप कभी सोचेंगे कि नहीं ? यदि संशोधन आया तो सदन की मर्यादा की रक्षा का दायित्व आपका था कि उसको पुनर्विचार के लिए भेज देते या अपने कक्ष में बुलाकर विचार करते । लेकिन इस तरह से परम्परायें टूटेंगी और इस पृष्ठभूमि में नियम 110 में एक प्रस्ताव दिया गया जिस पर आपने एक निर्णय दिया कि राज्य सभा की कार्यवाही के बारे में यहां कोई प्रस्ताव नहीं हो सकता है । राज्य सभा की कार्यवाही के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता हूं बल्कि मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज जनतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, परम्परायें टूट रही हैं उनको बचाने के लिए आप यहां हैं या कोई भी पीठासीन अधिकारी हो यदि स्टैंड लेते हैं तो उसको देश के कोने-कोने से बधाई मिलनी चाहिए । ताकि गिरते हुए मूल्यों को पुष्ट करने के लिए एक वातावरण बन सके ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आपने प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, उस पर मैं नहीं कहता हूं लेकिन आपकी अनुमति से नेता सदन से अनुरोध करना चाहूंगा मेरा इस पक्ष और उस पक्ष के लोगों से अनुरोध है कि यदि ईमानदारी से समझते हैं कि आज जनतांत्रिक मूल्यों में ह्रास हो रहा है, गिरावट आ रही है तो इस पर नये सिरे से सोचने की जरूरत है । मैं अनुरोध करूंगा, नेता सदन से कि यदि वह समझते हैं कि हमारे उप राष्ट्रपति ने जो स्टैंड लिया उससे जनतंत्र की गरिमा बढ़ी है, तो वातावरण हमें नहीं बल्कि उन्हें प्रस्ताव लाना चाहिए ताकि देश में एक नया वातावरण का निर्माण हो ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, मैं आपसे दो निवेदन करना चाहता हूं एक तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी बताया कि कार्य मंत्रणा समिति के मुताबिक कार्यवाही चल रही है, किन्तु कार्य मंत्रणा समिति ने जो फैसला लिया था उसमें जो 24 तारीख को, जैसा सदन में हुआ कि खान अब्दुल गफ्फार साहेब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करके हम लोग उठ गए, यह कार्य मंत्रणा समिति में तय नहीं हुआ था, कार्य मंत्रणा समिति ने 24 तारीख का दिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का दिया था लेकिन सदन उठ जाने से चर्चा का एक दिन चला गया, इसलिए आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि जो एक दिन चर्चा का चला गया वह कब लिया जाये, अभी समय है। मेरा निवेदन कि 30 तारीख को बजट पास करा सकते हैं और किसी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का रख लें, यदि ऐसा न कर सके तो मैं रविवार भी देने के लिए तैयार हूं लेकिन अभिभाषण पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए।

मान्यवर, दूसरा निवेदन है कि नियम 300 के तहत जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, कल आपकी अनुज्ञा से डा0 संजय सिंह ने नियम 110 के तहत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसका समर्थन श्री राम शरण दास ने किया था। यह एक विडम्बना हो रही है कि एक प्रस्ताव यहां रखवा दिया जाय लेकिन सदन का कोई मत नहीं लिया गया । यदि अस्वीकृत करना है, हमारे राज्य सभा के सभापति हैं उनको बधाई के प्रस्ताव पर विरोध करना है तो वह करें, समर्थन न करें लेकिन जब प्रस्ताव यहां प्रस्तुत हो चुका है तो उस पर मत आपको निश्चित रूप से लेना चाहिए, यही परम्परा है और यही नियमावली एवं संविधान के अनुरूप है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[x x x]

*डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशिल–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जिन परम्पराओं के टूटने की चर्चा की, तिवारी जी ने जिन जनतांत्रिक मूल्यों के ह्रास की बात कही, उससे उनकी ही तरह हम लोगों को भी चिन्ता है और श्रीमन्, मैं मानता हूं कि तिवारी जी हमारे बहुत अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य हैं। श्रीमन्, इस सदन की यह परम्परा रही है, आप वाकिफ हैं और हमारे साथी भी उससे वाकिफ होंगे कि हम लोकसभा या राज्यसभा के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट–[ ] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

किसी कार्यकलाप की चर्चा यहां पर सदन में नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं । और यह परम्परा रही है कि जो माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं हैं, हम उनको गैर हाजिरी में उनके बारे में यहां कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। आज यदि हम लोकसभा या राज्यसभा की चर्चा करने बैठ जायेंगे कि वहां क्या हो रहा है, तो लोकतांत्रिक मूल्यों का यह सबसे बड़ा ह्रास होगा ।

इसके अतिरिक्त अभी एक व्यवस्था का प्रश्न कौशिक रमाशंकर जी ने उठाया । अभी तक यह परम्परा रही है कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अर्थात कार्य मंत्रणा समिति होती है, उसकी बात उसका प्रस्ताव सदन के सामने आप प्रस्तुत करते हैं और यह भी आप जानते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति में सत्ता पक्ष के सदस्य होते हैं तो उसमें विभिन्न विरोध पक्ष के सदस्य भी होते हैं। लोकदल (अ), लोकदल (ब), जनता पार्टी, भाजपा और दूसरे दलों के सदस्य उसमें रहते हैं । उस समिति में जो सर्वसम्मति फैसला पास हो जाए, वह वहीं यथावत पास होता है। उस पर यहां कोई संशोधन नहीं आता है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि जो इस सदन की गौरवपूर्ण परम्परा रही है वह न टूटे । यदि आपने यह शुरू कर दिया, तथा लोकसभा व राज्यसभा की चर्चा सदन के अन्दर करना शुरू कर दी, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा प्रजातंत्र के लिए और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए । मैं चाहता हूं कि इस पर आपकी पीठ से निर्णय हो जाए ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह वरार–

मुझे आप सुन लें, नियम 289 में है . . .

श्री अध्यक्ष–

आपको भी सुनेंगे, आप बैठिये ।

(व्यवधान)

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह सदन चलने के पहले आपने नेताओं की एक बैठक बुलायी थी और आपने विरोध पक्ष से यह अपेक्षा की थी कि सदन शान्तिपूर्वक चले । ठीक से बहस हो और यदि हुल्लड़ होता है तो सत्तापक्ष को नहीं, हमें नुकसान होता है। लेकिन अगर आए दिन नियम और परम्परा का पालन नहीं होगा और आपकी पीठ से भी जो हमें न्याय मिलना चाहिए, वह नहीं मिलेगा तो हमारे सामने भी सिवाय इसके दूसरा कोई चारा नहीं है । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी बात मान लीजिए और नियम तथा परम्पराओं के अनुसार ही सदन को चलाएं । जब से सदन चला यह परम्परा रही है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर 4 दिन चर्चा होती है। इसका पालन बराबर होता रहा है, लेकिन इस बार एक नई स्थिति आयी कि 24 तारीख को शोक प्रस्ताव के कारण सदन उठ जाने से उस चार दिन के निर्धारित समय में से एक दिन की कटौती हो गई है। परम्परानुसार इस पर निश्चित रूप से चार दिन की चर्चा होनी चाहिए । हमारे लिए यही एक अच्छा अवसर है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस पर ज्यादा से ज्यादा बहस करने का मौका मिले । किन्तु उसमें भी एक दिन की कटौती ही रही है, और उसको भी आपने शायद स्वीकार कर लिया है। नहीं स्वीकार किया तो बहुत अच्छी बात है। यह नहीं हुआ तो यह आगे दो ही दिन कर देंगे । तो आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि उस नियम को कहीं से आप निलम्बित न करें और चार दिन ही बहस करायें ।

इसके अलावा जो संजय सिंह जी ने प्रस्ताव पेश किया था, वह कार्यवाही में आ गया और उसका समर्थन भी हो गया, किन्तु कौशल जी ने कहा कि परम्पराओं के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, तो क्या हमारी सरकार ने भी केन्द्र सरकार के मामले को यहां नहीं लिया है ? उसने केन्द्र सरकार और उन सदनों के मामलों को यहां लिया है। जैसे राजीव-लोंगोवाल समझौते की यहां प्रशंसा हुई, धन्यवाद दिया गया । तो जिन उपराष्ट्रपति को सत्तापक्ष ने बनाया है, उनको हमारे विरोध पक्ष के लोग भी धन्यवाद देना चाहते हैं तो उनके लिए तो यह गौरव की बात होनी चाहिए न कि विरोध की कि सत्ता पक्ष के द्वारा चुने व्यक्ति की विरोध पक्ष के लोग प्रशंसा करना चाहते हैं। मुख्य मंत्री जी की खुशी से धन्यवाद प्रस्ताव पेश करना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि हमने जिस व्यक्ति को उप राष्ट्रपति बनाया उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा रहा है।

(शोरगुल)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, डाक्टर कौशल ने जो हमारे इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं उन्होंने जो परम्पराओं का हवाला दिया मैं उनसे सहमत हूं मैं इस बात को मानता हूं कि सदन का संचालन नियमावली, संविधान और आपके द्वारा दिये गये समय-समय पर पूर्व दृष्टान्त से होता है। मान्यवर, मुझसे पूर्व कुछ व्यक्तियों ने कहा है कि हमारी नियमावली में प्राविधान है कि चार दिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी । परम्परा यह है कि कार्यमंत्रणा समिति के निर्धारित समय के बाद कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि सदन स्थगित हो गया या और कोई परिस्थिति हो गई तो कार्यमंत्रणा समिति ने समय को घटाया बढ़ाया है । मुझे याद है नेता, जनता पार्टी इस बात का प्रस्ताव कर रहे थे कि 27 तारीख इसकी अन्तिम तिथि है उन्होंने कहा था कि आप आज सदन स्थगित कर दें इन दोनों महान विभूतियों के सम्मान में और एक दिन बढ़ाकर 29 तारीख कर दें । 29 तारीख तो होना नहीं है, तो तारीख गलत निकल सकती है तो ऐसी परम्परायें थीं । डाक्टर कौशल जानते हैं कभी कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। मान्यवर, आज कार्यमंत्रणा की समिति तीन बजे बुला लें और उसमें इस बिन्दु को रखें । हमारे नियमों में चार दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने की परम्परा है, हम चाहते हैं कि यह परम्परा कायम रहे यह परम्परा न टूटे । यह सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य अपनी सरकार के समर्थन में हमारी बातों को काटना चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, राज्यसभा की परम्पराओं की बात कही गयी । मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, एक प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया । अगर प्रस्ताव में कुछ कमियां थीं तो आपको अधिकार था कि आप प्रस्ताव को पेश करने की अनुज्ञा ही न देते । आपने मान्यवर, आज्ञा दी तो वह प्रस्ताव पेश हो गया । अब समर्थन के बाद मतदान करने के अलावा कोई चारा नहीं था मतदान होता तो हम 'हां' कहते, आप 'न' कहते । यहां हम कहना यह चाहते हैं कि एक व्यक्ति ने अच्छा काम किया हमारी नजर में वह अच्छा कार्य था, क्योंकि हम बन्धुआ मजदूरी पसन्द नहीं करते हैं हम साहसिक व्यक्तित्व वाले हैं और माहसी काम पसन्द करते हैं और जो साहसिक कार्य करते हैं उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं मान्यवर, आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि [xxx]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जाएगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकलवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

राज्य सभा के बारे में कुछ नहीं लिखा जायगा ।

*श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपके सामने दो बातें सदन की मर्यादा बचाये रखने के लिये कहना चाहता हूं। सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे तब हुआ जब माननीय डा0 कौशल ने माननीय तिवारी जी की ओर इशारा किया और कहा कि वह बहुत विद्वान हैं।

एक सदस्य–

आपसे तो सभी काबिल हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, डा0 कौशल सदन में विद्वान सदस्यों में से हैं। मान्यवर, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है जब वह इस चेयर पर बैठ जाते हैं तो हम सब लोग महसूस करते हैं कि अब हम लोगों को न्याय मिलेगा, यह विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग महसूस करते हैं । आज मुझे ताज्जुब यह हुआ कि डाक्टर कौशल जी ने तिवारी जी के जो तर्क थे उनको झूठ बताने की कोशिश की, तिवारी जी गुमराह कर रहे हैं, यह बताने की कोशिश की। क्योंकि जब खिलाड़ियों को, जिस खेल को मैं कतई पसंद नहीं करता, जो देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा है, सदन में क्रिकेट के खिलाड़ियों को बधाई दी गयी है । जब क्रिकेट होता है वे हमारे देश के सारे कर्मचारी बैठकर क्रिकेट को टेलीविजन पर देखते हैं । जब ऐसे लोगों को बधाई दी जा रही है, मा0 उपराष्ट्रपति हमारे देश के माननीय शर्मा जी हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जिनका लखनऊ से अटूट संबंध रहा है, जो यहां प्रोफेसर रहे हैं और

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उन्होंने एक अच्छा काम किया है तो सबसे पहले आपको खुद खड़े होकर बधाई पेश करनी चाहिये । हम जानते हैं कि माननीय नेता सदन इसको नहीं कर सकते हैं । नेता सदन तो बंधुवा मजदूर हैं, यह मानना पड़ेगा । उनकी हिम्मत नहीं है । लेकिन आप महान कार्य कर दें । मेरी समझ में नहीं आता आपको मिनिस्टर बना नहीं सकते मुख्य मंत्री बना नहीं सकते ।

श्री अध्यक्ष–

आप जो कहेंगे, वही रूलिंग मैं दूं । आप चाहते हैं कि जो आप कहें वही मैं निर्णय दूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, जो सदन की भावना है उसको करना चाहिये । यही सदन की भावना है, हम चाहते हैं कि आप एक ऐतिहासिक पुरुष बन जायें। यह पद अमर नहीं नहीं है । हम लोग अमर नहीं हैं । कार्य अमर होते हैं इसलिये हम चाहते हैं कि आप सदन की भावनाओं का आदर करते हुये इस प्रस्ताव को मानिये । डा0 संजय सिंह ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसको स्वीकार करें ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बार-बार आप हम लोगों पर क्रोधित होते हैं । एक साजिश है सत्ता पक्ष की विपक्ष को बदनाम करने की कि विपक्ष हुल्लड़बाजी करता है । सदन में यह लोग हुल्लड़बाजी कराते हैं, सरकार कराती है । आप मान्यवर, देख लें कि हमारी बात सुनने की हिम्मत नहीं है ।

श्री हरदेव–

हिंसा का बदला हिंसा है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुलायम सिंह जी, आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय, [xxx] एक साजिश है सत्ता पक्ष की विपक्ष को बदनाम करने की कि यह काम नहीं करने देते हैं। इतना बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश की इतनी गंभीर समस्यायें हैं । उन समस्याओं को रखने के लिये पूरा मौका नहीं दिया जाता है । हमको तकलीफ है हमारे नेताओं को तकलीफ है कि कितने महत्वपूर्ण सवाल हैं किसानों की समस्या, बुनकरों की समस्या, यह जो कांग्रेस की रैली में फजूल खर्ची की गयी, बिजली का संकट, किसानों की समस्या आदि यह सब एक दिन में कैसे ले लेंगे ? हम लोग चिन्तित हैं कि हमें बोलने का अवसर कब मिलेगा ? मान्यवर, हमारा निवेदन है कि सदन को अगर आप शांति से चलाना चाहते हैं, हम सहयोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए तीन दिन लिया जायगा और एक दिन कट जायेगा, तो यह सदन के लिए भी कलंक की बात होगी । चार दिन की बहस क्यों नहीं होगी ? नब्बे दिन सदन क्यों नहीं चलायेंगे ? आपने कोई गलत काम कार्यमंत्रणा समिति में अपने बहुमत के आधार पर करा लिया, तो यह कोई बात नहीं

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हुई । मेरी तो राय है कि अगर ये पूरे बजट पर बहस नहीं कराना चाहते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि राम शरण दास जी तुरन्त कार्य-मंत्रणा समिति से इस्तीफा दें दें । आप इतवार भी लेंगे, शनिवार भी लेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हम ऐसे नहीं बैठेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आपने तो अपनी पूरी बात को कह लिया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप गम्भीरता से विचार कीजिए । आप पुन: विचार कीजिए और जितने शनिवार लिये गये हैं, इतवार लिये गये हैं, उनको नहीं लेना चाहिए । आप एक महीने का वोट आन एकाउन्ट ले लीजिए, लेकिन कायदे से सदन को चलाइये ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह जो अपनी नियमावली है, जिस नियम से यह सदन चलता है और जिसके लिए हम भी बाध्य हैं और आप भी बाध्य हैं । जब तक यह नियम संशोधित नहीं होगा, तब तक यही नियम चलेगा । मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 19 की धारा 3 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें लिखा है कि "अध्यक्ष, सदन-नेता के परामर्श से, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये समय नियत करेंगे जो साधारणतया चार दिन होगा ।" इस नियम में साफ लिखा है कि जो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उस पर चर्चा के लिए चार दिन का समय होगा । अगर इस नियम को निलम्बित करना हो तो इस नियमावली को संशोधित करना होगा । कार्य-मंत्रणा समिति को यह अधिकार नहीं है कि वह इस नियमावली के प्रतिकूल कार्य कर सके । सदन भी नियमों के प्रतिकूल कोई फैसला नहीं ले सकता है। अभी तक सदन के अन्दर इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है कि जिसके तहत राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए चार दिन के बदले, तीन दिन कर दिया जाय । अगर राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् में मतभेद हो जायेगा, तो वीर बहादुर सिंह की सरकार और मोहम्मद उस्मान आरिफ में टकराव पैदा हो जायगा । आज तक इस सदन के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चार दिन की चर्चा को तीन दिन कर दिया गया हो । यह वीर बहादुर सिंह की सरकार और राज्यपाल का यदि कोई मतभेद हो तो परम्परा को खत्म कर दिया जायगा ? ऐसा नहीं होना चाहिए । यह पहला अवसर है जबकि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा में कटौती की जा रही है । विपक्ष के सम्बन्ध में कटौती करना तो इनका काम हो सकता है लेकिन इस सरकार को क्या कहा जाय राज्यपाल के बारे में चार दिन का समय तीन दिन कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक [x x x]

(श्री नेक चन्द्र पाण्डेय के बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष–

डा0 शंकर दयाल शर्मा का नाम प्रोसिडिंग का अंग नहीं बनेगा आप जो बोलेंगे वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

अगर लोक सभा में या किसी भी सदन में कोई कार्यवाही की जाय तो आक्षेप न किया जाय वह स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं इस बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर. मैं कुछ तथ्य आपके माध्यम से . . .

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मुझे सुन लें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मुझे सुन लें ।

(व्यवधान)

मान्यवर, अभी संसदीय राज्य मंत्री ने यहां एक प्रस्ताव रखा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर 4 दिन के बजाय 3 दिन ही चर्चा होगी । मान्यवर, आपको याद होगा कि जब स्वर्गीय गफ्फार खां सीमान्त गांधी के शोक प्रस्ताव पर यहां शोक प्रस्ताव किया जा रहा था तो मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि बजाय 29 और 30 के विनियोग विधेयक पास किया जाय और अगर वह भी सम्भव न हो तो कोई शनिवार लें । इतने शनिवार लिये गये हैं वैसे एक शनिवार और ले लें । जब तक यह प्रस्ताव कार्यमंत्रणा समिति में पास नहीं हुआ तो उसको हाउस में कैसे रख दिया कि चार दिन के बजाय तीन दिन में ही चर्चा हो जाय । कार्य मंत्रणा समिति ने पास नहीं किया तो उन्होंने कैसे प्रस्ताव रख दिया ? एक तो मैं यह चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जो बार-बार दुहाई देते हैं कार्यमंत्रणा समिति की, मान्यवर, जब आपने नेताओं की बैठक बुलायी थी तो हम सभी लोगों ने विरोध किया था कि शनिवार को नहीं लेना चाहिए, 24 दिन कम से कम लेने चाहिए तो कहा सरकार बजट नहीं पास कर पायेगी । वहां यह दूसरी बात कहते हैं और सदन में दूसरी बात कहते हैं। सरकार 24 दिन नहीं दे पा रही है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ये इसे यहां माननीय सदन में रखना चाहते हैं यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

नोट :–[xxx]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मुझे अपनी बात कहने दें । (व्यवधान) मान्यवर, तिवारी जी ने जो रखा है उसमें आपसे यह आग्रह है कि सरकार कुंठा से ग्रसित हो सकती है एक तरफ यह सरकार जन समस्याओं के प्रति और जो आज जनतांत्रिक मूल्य हैं, उनको गिराने का काम कर रही है, लेकिन आप जिस पीठ पर आसीन हैं, आप सरकार के दबाव में नहीं हैं। आप निष्पक्ष आदमी हैं। आप एक ऐसे आदमी हैं जिससे हम अपेक्षा करते हैं कि जो प्रस्ताव डा0 संजय सिंह ने रखा है, वह सदन में पास हो या न हो, लेकिन आप नियम 110 में अनुज्ञा देने का काम कर सकते हैं। अगर इस तरह के प्रस्ताव सदन में पहले न आए होते तो कहा जाता कि सदन के बाहर के प्रस्ताव नहीं आ सकते । लेकिन बंगला देश का युद्ध हुआ, लोंगवाल राजीव समझौता हुआ, तो ऐसे प्रस्ताव सदन में लाये गये । यह प्रस्ताव विपक्ष की ओर से आया है, जो शंकर दयाल शर्मा जी ने काम किया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । इस प्रस्ताव को सदन में रखने दें, पास हो या न हो ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अभी मा0 सदस्यगण ने 2-3 बिन्दुओं की ओर अपने विचार रखे । सबसे पहले तो कार्यमंत्रणा की बात को लेकर जो चर्चा यहां पर की गयी, उसके बारे में कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मा0 राम शरण दास जी स्वयं कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं और वे स्वयं वहां पर उपस्थित थे ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

अध्यक्ष जी, आप मुझे सुन लीजिये . . . (घोर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

(घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, जब यह बात कही जा रही थी, तब सारा कार्यक्रम तय हुआ था । मैंने सुझाव दिया था कि जो शोक प्रस्ताव है, वह 23 तारीख में पारित कर लिये जायं । उस समय मा0 राम शरण दास जी ने स्वयं सुझाव दिया था 23 तारीख में उनके लिये करना सम्भव नहीं है। केवल उनकी भावनाओं का आदर करते हुए हमने कहा कि 24 तारीख को ले लेंगे । आप कार्यवाही देख लें । उस समय तमाम सदन के सम्मानित सदस्यों की राय यह थी कि उन महा-पुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदरस्वरूप उस रोज सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय । उस समय भी सम्मानित सदस्यों ने यह आश्वासन दिया था कि बजट के पास होने पर चर्चा के लिए किसी अतिरिक्त दिन की मांग नहीं करेंगे (घोर व्यवधान) जहां तक नियम 10 का प्रश्न है . . .

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्यगण आप सब नियमों की दुहाई देते हैं, फिर हमसे आशा करते हैं व्यवस्था की । इस तरह से जो निर्णय दिया जा चुका है, वह अन्तिम है और कोई . . , (घोर व्यवधान) . . . मैंने प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है, न मेरे सामने कोई प्रस्ताव आया है! मैं निर्णय दे चुका हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं यह जानना चाहता हूं कि सुने बिना निर्णय कैसे दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

जहां तक तीन रोज का मामला है, 4 रोज का मामला है, उस पर संसदीय कार्य मंत्री बोलेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं केवल तथ्य रखना चाहता हूं। तर्क नहीं करना चाहता हूं। ताकि सदन के सामने सारी बातें स्पष्ट हो जायं कि क्या बिन्दु विचाराधीन हैं। मैं कुछ तथ्यात्मक बातें कहना चाहता हूं और वास्तविकता आपके सामने रखना चाहता हूं ।

(घोर व्यवधान)

(इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा प्रक्रिया नियमावली के नियम 291 (क) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण की अनुज्ञा दिये जाने की मांग

*श्री जयदीप सिंह बरार–

मुझे सुनने के बाद आप जो निर्णय देंगे, वह मुझे स्वीकार होगा । पहले मुझे सुन लें ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

बरार साहब आप बैठें । सब प्रकरण समाप्त हो गये । जिन प्रकरण पर अध्यक्ष जी का निर्णय हो गया, उस पर अब कोई चर्चा नहीं होगी ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मुझे सुन लें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, जानबूझकर इस सदन में सम्मानित सदस्यों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसके विरोध में हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(श्री दिवाकर विक्रम सिंह लोकदल (अ) के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जो निर्णय माननीय अध्यक्ष जी कर गये वह अन्तिम हो गया।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने नियम 300 के तहत नोटिसें दी थी, उन सबको आपने थोड़ी-थोड़ी देर मौका दिया । उसमें एक माननीय बरार साहब की भी नोटिस थी उनको भी थोड़ा सा मौका दे दीजिये । उन्हें 2 मिनट सुन लें, कोई हर्ज नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अध्यक्ष जी निर्णय दे चुके हैं।

(घोर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने क्या जवाब दिया था, वह हम कुछ सुन नहीं पाये ? पहले तो आप सदन को नियमित करें, व्यवस्थित करें फिर उन्होंने जो कहा था उसे उनसे फिर से कहलवा दें ताकि हम लोगों को जानकारी हो सके कि उन्होंने क्या बात कही । उसके बाद ही आप आगे की कार्यवाही चलायें । आप ऐसे ही कार्यवाही चला रहे हैं, कोई बात समझ में नहीं आ रही है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मुझे सुन लें ।

(घोर व्यवधान)

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

बरार साहब आप बैठें । आप सब बैठें । माननीय अध्यक्ष जी निर्णय दे चुके हैं, वह बात समाप्त हो गयी । अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने जो कुछ कहा, वह सुनाई नहीं दिया, वह फिर कह दें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, पहले मुझे दो मिनट सुन लें ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अभी मैं खड़ा ही हुआ हूं, पूरी बात भी नहीं कह पाया फिर आप खड़े हो गये । जो प्रकरण समाप्त हो गये जिस पर अध्यक्ष जी का निर्णय हो चुका, उस पर मैं सुनने के लिये तैयार नहीं हूं।

(घोर व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप सुन लें।

मान्यवर, अभी इससे पूर्व माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने कुछ कहा, वह हम लोग सुन नहीं पाये । उन्होंने क्या कहा, इतना शोर हो रहा था कि कुछ भी सुनाई नहीं दिया । उन्होंने क्या कहा अगर उसकी जानकारी हम लोगों को मिल जाय, तब ही हम लोग आगे का फैसला कर सकेंगे । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के दिनों की बात चल रही थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

कार्य मंत्रणा समिति की 3 बजे बैठक बुलाने का फैसला नहीं किया गया है, अभिभाषण के दिनों के सम्बन्ध में पुनर्विचार का फैसला नहीं लिया गया है, तो मान्यवर, जानबूझकर हम लोगों को ऐसा फैसला करना पड़ेगा, जो आपके सम्मान के खिलाफ होगा, कार्य मंत्रणा समिति से हम लोग बहिष्कार कर देंगे । मान्यवर, यह सदन की परम्परा रही है कि जब किसी माननीय सदस्य ने अपना कोई स्पष्टीकरण देना चाहा है इसको हमेशा मौका दिया गया है। श्री बरार कोई बात रखना चाहते हैं . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष जी, उस पर अपना निर्णय दे चुके हैं, अतः उस पर कोई बात नहीं होगी, जिसके लिए अध्यक्ष जी का निर्णय हो चुका है, उस पर अब कोई व्यवस्था नहीं हो सकती ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर)

गुप्त जी, अब कोई व्यवस्था नहीं होगी । अध्यक्ष जी का निर्णय अन्तिम है। अब वह प्रकरण समाप्त हो चुका है। आप लोग अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, न्याय कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब वह प्रकरण हो समाप्त हो गया, अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, बिना मुझे सुने यह निर्णय स्वीकार नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

बरार साहब आप बैठें, आसन ग्रहण करें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मुझे कहने दीजिये । मैं कह रहा हूं, आप सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप नहीं बैठेंगे, यह तो आपका ही अधिकार है। आप हमारी बात नहीं सुनेंगे और अपनी ही कहते रहेंगे तो फिर काम नहीं चल सकता । संसदीय कार्य मंत्री जी ने तीन दिन के बारे में जो बात थी, उस पर अपना स्पष्टीकरण दिया, वह आपको सुनाई नहीं पड़ा । तो मैं उसे फिर से सुनवाये देता हूं, वह दोबारा कह देंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आप बरार साहब को सुन क्यों नहीं लेते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

इस मामले पर अध्यक्ष जी का निर्णय हो चुका है, उस पर मुझे सुनने का कोई अधिकार नहीं है।

(इस पर श्री शतरुद्र प्रकाश, शारदा प्रताप, श्री मनोहर लाल, श्री सरदार सिंह, डा0 संजय सिंह, मोहम्मद असलम खां व अन्य कई माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास किया और नारे लगाने शुरू कर दिये कि यह मौलिक अधिकारों का हनन है, लोकतंत्र की हत्या है, बरार साहब को बोलने दीजिये)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को पौने 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष ने 1 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।

1 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 45 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है।

(तदोपरान्त 2 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष–

जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चार दिन की बात थी, वह कार्य मंत्रणा समिति में तय हो जायेगा ।

माननीय बरार जी, आप क्या कह रहे थे ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैंने 291 (क) में नोटिस इसलिए दी थी कि अगर आप कल की कार्यवाही देखें तो उसमें इस बात का समावेश है कि मेरे ऊपर एक दफा नहीं बल्कि तीन-तीन दफा अनुशासनहीनता की बात कहकर आरोप लगाया गया . . .

(घंटि व्यवधान)

श्री नैक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था दें, आपने तो केवल स्पष्टीकरण के लिये कहा था ।

श्री नरेन्द्र देव–

हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने बरार जी को बुलाया है, उन्हें कहने दीजिये । मेरा निर्णय है कि बरार जी को जब समय दिया गया है तो उन्हें सुन लें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैंने विधान सभा का सदस्य चुने जाने से पहले और बाद में भी शपथ ली थी कि भारत के संविधान के प्रति और भारत की एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध हूं। अगर पार्टी की बात आड़े आती हो तो इसमें कोई शक नहीं है कि मैं उस शपथ के लिये....

(व्यवधान)

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

यह आप किस नियम के अन्तर्गत बुलवा रहे हैं, मान्यवर ?

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

बरार साहब, इस पर निर्णय हो चुका है। जहां तक स्पष्टीकरण का सवाल है, इस पर नहीं दिया जा सकता क्योंकि मा0 अध्यक्ष जी का निर्णय हो चुका है। इस पर कुछ नहीं कहना है और कुछ कहना हो तो कहिए।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैंने किसी निर्णय का उल्लेख किया हो तो आप कहें कि मैं निर्णय पर टिप्पणी कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

दोबारा निर्णय पर चर्चा नहीं शुरू हो सकती। जिस पर अध्यक्ष जी का निर्णय एक बार हो चुका है, उस पर इजाजत नहीं दूंगा।

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

जब अध्यक्ष जी ने कह दिया कि कोई आरोप नहीं है, तो स्पष्टीकरण की क्या बात है ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

(विपक्ष की ओर से "बोलने दीजिये", "बोलने दीजिये" की आवाजें आने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

और विषयों पर बोलने दूंगा, लेकिन इस विषय पर नहीं बोलने दूंगा।

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

यह आपकी पार्टी का मामला है, हाउस में स्पष्टीकरण नहीं दे सकते ।

(व्यवधान)

सदन में स्पष्टीकरण के लिये अब समय नहीं है। जब निर्णय हो गया उस पर मैं स्पष्टीकरण नहीं देने दूंगा । अब वह प्रकरण समाप्त हो गया ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अनुज्ञा नहीं देता हूं। जब अध्यक्ष जी ने निर्णय दे दिया तो उस पर मैं अनुज्ञा कैसे दे सकता हूं। अध्यक्ष जी ने अनुज्ञा नहीं दी थी और मैं भी अनुज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कैसे सुन लूं जब निर्णय हो गया है ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

नियमों के तहत ही अध्यक्ष जी के निर्णय के बाद मुझे कुछ सुनना नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

(घंटि व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप नियमावली के नियम 291-क को देखने की कृपा करें इसमें वैयक्तिक स्पष्टीकरण के बारे में कहा गया है । माननीय अध्यक्ष जी ने एक व्यवस्था दे दी थी, उसके बाद आपने कृपापूर्वक मा0 सदस्य को बुलाया। कभी भी पीठासीन अधिकारी के बुलाने पर मा0 सदस्य खड़े होते हैं। आपने बरार साहेब का नाम पुकारा । मैं आपसे सहमत हूं और बरार जी के अधिकारों की भी रक्षा करना चाहता हूं। आप प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 291–क को देखें इसमें है कि "कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुज्ञा से वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेंगे यद्यपि सदन के सामने कोई प्रश्न न हो, किन्तु उस अवस्था में कोई विवादास्पद प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।" यदि बरार जी कोई विवादस्पद मामला उठायेंगे, मैं स्वय उनको रोक दूंगा । लेकिन जहां तक मैंने उनको सुना है उन्होंने कोई विवादा-

---

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

स्पद मामला नहीं उठाया है । मैंने जितनी बात उनकी सुनी है उसमें उन्होंने कोई विवादास्पद बात नहीं कही है । बरार जी ने केवल अपनी बात कही है कि सदस्य होने के नाते उन्होंने संविधान के प्रति और देश की एकता और अखण्डता के प्रति प्रतिज्ञा ली है । इसमें तो कोई विवादास्पद बात हमें तो नहीं लगी । यदि वे कोई विवादास्पद बात कहेंगे तो मैं स्वयं उनको रोक दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

गुप्त जी, अध्यक्ष जी का निर्णय हो गया है । नियम 291–क पर उन्होंने निर्णय दे दिया है उसके बाद यदि कोई बात मैं सुनता हूं तो फिर अध्यक्ष जी के निर्णय को चुनौती देना होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

तो आपने उनका नाम क्यों पुकारा ?

श्री उपाध्यक्ष–

व्यवस्था के प्रश्न पर मैंने उन्हें बुलाया था, मुझे क्या मालूम कि बरार साहब क्या कहेंगे ? अध्यक्ष जी के निर्णय पर चुनौती देने के लिए थोड़े ही पुकारा था ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

यदि आपको कोई आपत्ति है तो मेरा निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए आप अध्यक्ष जी को पीठासीन हो जाने दें तो मैं अपनी बात उनसे ही कह लूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष जी जब पीठासीन होंगे तो निवेदन कर लीजियेगा, काम आगे चलने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, विधान सभा का सदस्य चुने जाने से पहले . . . . (शोर)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं व्यवस्था के प्रश्न की रूप में कि कल यही प्रसंग माननीय अध्यक्ष जी के सामने आया और उस पर उन्होंने अपना निर्णय दे दिया तो क्या अब यह प्रसंग दुबारा फिर आपको सुनने के अधिकार है या नहीं, इस तरह की कोई बात आपकी पीठ से हम लोग सुनने के इच्छुक थे, वह आपने अब तक कही नहीं । क्या श्री बरार को अब पुनः अपना स्पष्टीकरण देने के अधिकार है या नहीं या आपको सुनने के अधिकार है या नहीं ऐसी कुछ बात हो ताकि पूरी बात स्पष्ट हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अध्यक्ष जी के निर्णय के बाद उस प्रसंग को सुनने का अधिकार मुझे नहीं है और न ही किसी को स्पष्टीकरण देने का । इसलिए बरार साहब अब आपके स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं उठता है, कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था । जहां तक मैं समझ पाया हूं वह केवल इस बात का स्पष्टीकरण देने के लिए निवेदन कर रहे थे, कि किन परिस्थितियों में उन्हें निष्कासित किया गया है ? जैसा कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि अनुशासनहीनता के कारण उन्हें निकाला गया है, वह यह स्पष्ट करना चाह रहे थे कि अनुशासनहीनता नहीं बल्कि सिद्धान्तों के पालन करने पर कांग्रेस पार्टी में पाबन्दी लगाकर इनके अधिकारों का हनन हो रहा था । इस बात का विरोध करने पर उन्हें पार्टी से निकाला गया है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 4, सभापति, प्राक्कलन समिति . . .

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री तेज बहादुर गंगवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं । (घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा प्रक्रिया नियमावली के नियम 291 (क) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण की अनुज्ञा दिए जाने की मांग . . . (क्रमागत)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जब आपने मुझे बुलाया है, तो सुन भी लीजिए, लेकिन अब आप मना कर रहे हैं, वैसे आपने मुझे कोई दण्डित तो किया नहीं था कि मैं बेवजह उठक-बैठक करूं । नियम 291 (क) . . . (शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । आगे आपको बहुत मौके मिलेंगे इसलिए मेरा यह निवेदन स्वीकार करें ।

*श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, सदन का संचालन नियमों के तहत होता है और सारे सम्मानित सदस्य चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के नियमों के तहत बंधे हुए हैं और हमेशा से परम्परा भी यही रही है, कि जो भी इस सिलसिले के नियम हैं और प्रक्रिया है, उनको मानते हुए ही यह सदन चलता है लेकिन मान्यवर, आज ताज्जुब हो रहा है कि यह सदन उन नियमों व परम्पराओं के अनुसार न चलकर केवल मा0 हुकुम सिंह के निर्देशों पर चल रहा है ।

(शेम-शेम की आवाजें)

आपने बरार जी को बुलाया और बरार जी जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए वैसे ही हुकुम सिंह पीठ को निर्देश देते हैं ।

---

†छापा नहीं गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई हुकुम सिंह जी ने निर्देश नहीं दिया है। पीठ ने जो निर्णय लिया है, वह सही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं नियम 56 की सूचनाएं लेता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मुझे बोलने की अनुमति दी है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बोल लीजियेगा ।

(व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री जयदीप सिंह बरार की, तीसरी सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही और कुंवर मानवेन्द्र सिंह की, चौथी सूचना सर्वश्री रघुबर दयाल वर्मा, विजय सिंह राणा, लक्ष्मी नारायण, जगदीर सिंह, सुरेश प्रताप सिंह गांधी, हरेन्द्र सिंह, रिछपाल सिंह बंसल, मुस्तमंद अली खां, कुशल पाल सिंह और मूलचन्द की तथा पांचवीं सूचना श्री रामशरण दास की है। यह सभी सूचनाएं पहली सूचना के बारे में हैं । छठी सूचना श्री गौरी शंकर भइया की उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में ओला-वृष्टि से क्षति के संबंध में है । सातवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल की तथा आठवीं सूचना सर्वश्री भगौती सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा और राम सागर की उपरोक्त छठी सूचना के विषय में है। नवीं सूचना श्री बादन सिंह की आगरा की कमला नगर कालोनी की सम्भ्रान्त नागरिकों की बस्ती में वैश्यावृत्ति का अड्डा पकड़े जाने के संबंध में है । दसवीं सूचना श्री शारदा प्रताप की ग्राम शाहजादापुर, परगना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ के हरिजन श्री दयाराम और श्री राम दीन द्वारा 18-1-88 से किए जा रहे आमरण अनसन के संबंध में है । ग्यारहवीं सूचना श्री सरदार सिंह की 921 अप नार्थ, ईस्ट सुपर फास्ट ट्रेन में रेलवादी धारियों द्वारा करोड़ों रुपये की लूट के संबंध में है, बारहवीं सूचना श्री रवीनन्द्र नाथ तिवारी की श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री हर्ष वर्धन की सरकार द्वारा शीतगृहों में भण्डारण दर घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। तेरहवीं सूचना श्री राकेश धर त्रिपाठी की पुलिस अधीक्षक, बस्ती के संरक्षण में भारत-नेपाल सीमा पर की जा रही स्मगलिंग के संबंध में है । चौदहवीं सूचना श्री राज किशोर सिंह की दिनांक 22-2-88 से विधान भवन के सामने फ्रीलान्स पत्रकार श्री सी0 बी0 झा द्वारा किये जा रहे आमरण अनशन के संबंध में है । पन्द्रहवीं सूचना श्री अचल सिंह की वन विभाग फतेहपुर द्वारा तहसील बिन्दकी के हजारों किसानों की खड़ी फसल को उखाड़कर उनकी भूमि पर कब्जा किये जाने के संबंध में है। सोलहवीं सूचना श्री विष्णु देव की प्रतापगढ़ में आये ट्रेक्टर लिमिटेड प्रतापगढ़ वित्तीय साधनों के अभाव से बन्द होने के स्थिति में है। सत्तरहवीं सूचना श्री मनोहरलाल की उन्नाव जनपद में इण्डस्ट्रियल एरिया व केमिकल तथा शराब फैक्ट्री के गन्दे पानी के भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में

है । अट्ठारहवीं सूचना श्री शारदानंद अंचल की बलिया जनपद में अपात्र व्यक्तियों की नसबन्दी किये जाने के सम्बन्ध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद के कर्नलगंज मोहल्ले में इलाहाबाद नगर महापालिका व विकास प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर चलाकर पचास घरों के गिराये जाने के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना श्री चन्द्रभान मौर्य की प्रदेश के राज्य योजना आयोग में व्याप्त जातिवाद एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

बरार जी आप बैठ जायें, इस पर माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

आप उनको बुला लें ।

(व्यवधान)

(डा0 संजय सिंह, लक्ष्मी नारायण, शारदा प्रताप, भगवानदीन कुशवाहा, श्री मूल चन्द्र, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री मोहम्मद असलम खां, मलिक मोहम्मद, कमाल यूसुफ, डा0 बंगाली सिंह, श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, सैयद अली अशरफी तथा अन्य कई सदस्य सदन के फ्लोर में आ गये और उपाध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए कहने लगे कि इस तरह से सदन नहीं चलेगा, इस तरह से सदन नहीं चलेगा)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं नियम के अनुसार चल रहा हूं। अध्यक्ष का निर्णय है, तो मैं कैसे अब इजाजत दे सकता हूं। चाहे जो हो जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं किसी दबाव में आने वाला नहीं हूं। अध्यक्ष जी ने निर्णय दिया है, जब वह पीठ पर बैठें तो आप कहियेगा। अब कोई सवाल नहीं, जो निर्णय हो गया है, उसके विपरीत नहीं जा सकता हूं । जो निर्णय हो गया उसको मैं नहीं बदल सकता ।

एक सदस्य–

आप अन्याय कर रहे हैं . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कोई अन्याय नहीं किया है।

(सदन के फ्लोर में तथा डायरी राइटर की मेंज के चारो तरफ विरोध पक्ष के कई सदस्य डाक्टर संजय सिंह के साथ खड़े होकर नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

अध्यक्ष जी का निर्णय है । मेरा कोई निर्णय नहीं है ।

एक सदस्य–

आप सरकार के चक्कर में हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सरकार के चक्कर में ही नहीं हूं । मैं इस पीठ के चक्कर में हूं जिस पर बैठा हूं . . . . (व्यवधान) मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा । . . . जो निर्णय हो चुका है, मैं उसको नहीं बदलूंगा . . . (व्यवधान) । अगर रीव्यू करना होगा तो अध्यक्ष जी ही उसे कर सकेंगे ।

श्री शारदा प्रताप–

अध्यक्ष जी को बुलाईये । हाउस नहीं चलेगा . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जो आप चाहेंगे वही निर्णय होगा, वैसा नहीं चलेगा । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। (डाक्टर संजय सिंह, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री बाबूराम यादव, श्री फजलुल बारी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री महेन्द्र भाठी, श्री मोहम्मद असलम, श्री सैय्यद अली अशरफी आदि कई सदस्य सदन के बेल में डायरी राइटर की मेज के पास खड़े होकर नारे लगाते रहे–तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष ने 3 बजकर 8 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी । 3 बजकर 23 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई ।)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें। (डा0 संजय सिंह श्री जयदीप सिंह बरार आदि के खड़े होने पर) अब मैं आगे की मद ले रहा हूं । (व्यवधान) सूचना सुनें । बरार साहब आप बैठें (व्यवधान) मैं कहता हूं कि आप बैठें । (घोर व्यवधान) बरार साहब मैं कह रहा हूं आप अपनी सीट पर बैठें (व्यवधान) नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़े ।

(श्री जयदीप सिंह बरार सदन छोड़ कर चले गये ।)

*डाक्टर संजय सिंह–

ऐसे सदन नहीं चलेगा, जैसे बरार साहब को कल निकाला मुझे भी निकाल दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

आप आसन ग्रहण करें । (व्यवधान)

डाक्टर संजय सिंह–

आप निकाल दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

डाक्टर संजय सिंह सदन छोड़े, डाक्टर संजय सिंह सदन छोड़ें ।

(घोर व्यवधान) (कई सदस्यों द्वारा सदन के बेल पर आकर नारे लगाने से घोर व्यवधान)

डाक्टर संजय सिंह–

मुझे निकाल दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अपनी सीट पर बैठें।

डाक्टर संजय सिंह–

आप हम सबको निकाल दीजिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(डा0 संजय सिंह, श्री राकेश धर त्रिपाठी, श्री गोपाल दास यादव, श्री मूल चन्द्र, श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री शारदा प्रताप, श्री सरदार सिंह, श्री हर्ष वर्धन, श्री भगवान दीन कुशवाहा आदि कई माननीय सदस्यों के एक साथ नारे लगाने से (घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं डाक्टर संजय सिंह को इंगित करता हूं। आप सदन छोड़ें ।

डाक्टर संजय सिंह–

मैं नहीं जाऊंगा । (घोर व्यवधान)

डाक्टर संजय सिंह को निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य संजय सिंह को दिनांक 29-2-88 तक सदन की सेवा से निलम्बित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि डाक्टर संजय सिंह को दिनांक 29-2-88 तक सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(विपक्ष द्वारा नारे लगाने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मार्शल, डाक्टर संजय सिंह को बलपूर्वक बाहर ले जायं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री शारदा प्रताप–

हम वापस नहीं जायेंगे, आप पुलिस बुलायें ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

एक बार पुलिस को बुला चुके हैं, दुबारा फिर पुलिस को बुलायें, हम वापस नहीं जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस जायें ।

(डाक्टर संजय सिंह, श्री मोहम्मद असलम खां एवं विरोध पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा नारे लगाये जाने से घोर व्यवधान)

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[x x x]

(कई सदस्यों द्वारा नारे लगाने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

15 मिनट के लिये मैं सदन को स्थगित करता हूं ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष ने 3 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।

3 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है ।

4 बजे मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 15 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है ।

4 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 25 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है ।

4 बजकर 25 मिनट पर मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 55 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है ।

4 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री जयदीप सिंह बरार तथा संजय सिंह के निलम्बन को वापस लिये जाने का प्रस्ताव

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, इस सदन के 2 सम्मानित सदस्य आज निलम्बित किये गये हैं श्री जयदीप सिंह बरार और डा0 संजय सिंह । मान्यवर, बरार साहब 291 क के अन्तर्गत एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु ग्राह्यता पर बोलना चाहते थे जिस पर उन्हें अवसर नहीं दिया गया है। अपने अधिकारों की रक्षा हेतु आप से मांग करते हुए दोनों सदस्य यहां निलम्बित किये गये हैं, मेरा निवेदन है कि उनका ग्राह्यता पर बोलने के लिए जो अनुरोध है, माननीय अध्यक्ष से निवेदन करने के लिए उस पर पुनर्विचार कर लें और उस पर ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए । साथ ही मैं प्रस्ताव करूंगा कि दोनों माननीय सदस्य श्री जयदीप सिंह बरार और डा0 संजय सिंह जी को जो इस सदन की सदस्यता से निलम्बित किया गया है उनका निलम्बन वापस लिया जाय।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, हमें सम्मानित सदस्यों की भावना का पूर्ण आदर है और मैं दिवाकर विक्रम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से सहमत हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि दोनों सदस्यों माननीय संजय सिंह और जयदीप सिंह बरार साहब का निलम्बन वापस लिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(मेजों की थपथपाहट)

श्री उपाध्यक्ष–

दूसरा जो आपने कहा था दिवाकर विक्रम सिंह जी आपकी भावनाओं को मैं अध्यक्ष जी तक पहुंचा दूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पनरीक्षण नहीं किया।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की शेष सूचनाओं को अगले दिन लिये जाने का अनुरोध

श्री राम शरण दास–

जिन लोगों के नियम 56 रह गये हैं उन्हें आप कल ले लें तो कृपा होगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, कल ले लेंगे ।

बजट साहित्य वितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

मैं एक सूचना सुना दूं, कुछ समय के बाद ठीक 5 बजे वित्तीय वर्ष 1988-89 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायेगा । माननीय सदस्यों को वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था इस प्रकार है :–

"हां" सभा-कक्ष में समस्त महिला सदस्यगण तथा उत्तर काशी टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमौली, तिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ जिलों के समस्त सदस्यगण, और "नहीं" सभा-कक्ष में नाम निर्देशित सदस्य तथा शेष अन्य जिलों के समस्त सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें ।

नियम–5 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 की 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी बाकी सब अस्वीकार की गयी हैं ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, नेता सदन का बजट है, जो कुछ लायें हों बटवा दें । (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी, बजट प्रस्तुत करें ।

वित्तीय वर्ष 1988-89 का आय-व्ययक

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस परम सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 1988-89 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

बजट भाषण की प्रतियां वितरित कर दी जाय ।

(बजट भाषण की प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इस बार तो बजट रंगीन आया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

रंगीन तो अच्छा है ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्तमान वर्ष चुनौतियों का समय रहा है । शताब्दी के भयंकरतम् सूखे एवं अन्य विपरीत परिस्थितियों में हमें जो मार्गदर्शन और प्रोत्साहन हमारे नेता माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने दिया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं । श्री राजीव गांधी के प्रेरणादायक नेतृत्व ने ही हम में वह आत्मविश्वास एवं समर्पण की भावना उत्प्रेरित की है, जिससे हम विषम परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए उन पर काबू पा सके और प्रदेश की जनता की कठिनाइयों के समाधान का पूरा प्रयास कर सके ।

माननीय सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा करते हुए, विश्वास है कि उनके सक्रिय योगदान के फलस्वरूप यह बजट समय से पारित हो सकेगा । इससे शासन के विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए स्वीकृतियां समय से जारी हो पायेंगी ताकि प्रगति व उन्नयन के जनोन्मुख कार्यक्रमों का कार्यान्वयन समय से सुनिश्चित किया जा सके ।

सूखे की विभीषिका

इस वर्ष प्रदेश को इस शताब्दी के सबसे भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा । सूखे की विभीषिका से त्रस्त जनता-विशेषकर किसानों को राहत पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाही की गई । प्रशासन के सभी स्तरों पर पूरी जागरूकता, निष्ठा व प्रतिबद्धता के साथ सूखा-राहत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई । मंडल परिषद् तथा शीर्षस्थ प्रशासनिक स्तर पर सतत् अनुश्रवण की व्यवस्था करके यह सुनिश्चित किया गया कि लक्ष्य जनसंख्या को इनका पूरा लाभ मिले । फसलों के लिए नलकूपों तथा नहरों से समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए राजकीय नलकूपों की मोटरों, पम्प सेटों के प्रतिस्थापन हेतु 2.45 करोड़ रुपये तथा नहरों की सिल्ट-सफाई के लिए 2.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को निष्प्रयोज्य ट्रान्सफार्मरों को बदलने, नये ट्रान्सफार्मर लगाने तथा वितरण प्रणाली सुदृढ़ करने हेतु 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये । निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण और वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई । कृषि क्षेत्र के लिए बिजली की दरों में कमी करने के साथ-साथ 10 घंटे प्रतिदिन से अधिक विद्युत आपूर्ति की गयी । इससे राज्य विद्युत परिषद् को बहुत अधिक व्यय भार उठाना पड़ा । किसानों को सब्जियों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 20,62,500 रुपये का अनुदान मिनी किट्स के रूप में दिया गया । हम केन्द्रीय सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने सूखे से निपटने के लिए राज्य सरकार को 155.94 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की । इसके अन्तर्गत 100.62 करोड़ रुपये से 875 लाख रोजगार के अतिरिक्त मानव दिवस सृजित करने तथा 65,000 निःशुल्क बोरिंग करने का कार्य प्रगति पर है । सामान्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 9,700 समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के

विरुद्ध 15 फरवरी, 1988 तक 10,421 समस्याग्रस्त ग्रामों को 56.95 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल उपलब्ध कराने के अतिरिक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के लिए 14.07 करोड़ रुपये तथा कृषि-निवेशों पर सहायता देने हेतु 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये । सिंचाई की जिन योजनाओं को शीघ्र पूरा करके जनता को लाभ पहुंचाया जा सकता है उनके कार्यान्वयन की गति तेज की जा रही है और इसके लिए 14 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि निर्दिष्ट की गई है । सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अतिरिक्त दुकानें भी खोली गई हैं ।

माननीय सदस्यों के सहयोग, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता व मार्गदर्शन तथा सभी सम्बद्ध लोगों के भगीरथ प्रयासों से हम भयंकर सूखे की इस चुनौती का सामना सफलतापूर्वक कर सके हैं।

आर्थिक समीक्षा

नवीनतम् अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर प्रदेश की कुल आय 1985-86 में 24,434 करोड़ रुपये थी। 1986-87 में प्रदेश की कुल आय 26,731 करोड़ रुपये अनुमानित है। प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय जो 1985-86 में 2,003 रुपये थी, 1986-87 में 2,146 रुपये रही । 1970-71 के स्थायी भावों पर कुल राज्य आय 1985-86 में 7,300 करोड़ रुपये थी, जो 3.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1986-87 में 7,565 करोड़ रुपये हो गई। 1970-71 के स्थाई भावों पर प्रति व्यक्ति आय 1985-86 में 598 रुपये थी जो 1986-87 में 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 607 रुपये हो गयी ।

1985-86 में खाद्यान्न उत्पादन 314.25 लाख मीट्रिक टन हुआ । 1986-87 में प्रदेश के अधिकांश भाग सूखे से तथा कुछ क्षेत्र अतिवृष्टि एवं जल-भराव से प्रभावित रहे, इससे फसल क्षतिग्रस्त हो गई । 1986-87 में खाद्यान्न उत्पादन 298.54 लाख मीट्रिक टन हुआ ।

1985-86 में प्रदेश में आलू का उत्पादन 39.40 लाख मीट्रिक टन था जिसके 1986-87 में बढ़कर 57.58 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है।

1985-86 में प्रदेश में गन्ने का उत्पादन 730.37 लाख मीट्रिक टन था जो 1986-87 में 16.7 प्रतिशत वृद्धि के साथ 852.49 लाख मीट्रिक टन हो गया ।

पेराई सत्र 1985-86 में चीनी का उत्पादन 16.48 लाख मीट्रिक टन था जो पेराई सत्र 1986-87 में 55.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 25.56 लाख मीट्रिक टन हो गया ।

सीमेंट का उत्पादन 1985-86 में 11.46 लाख मीट्रिक टन था। 1986-87 में सीमेंट उत्पादन में 8.5 प्रतिशत गिरावट आई और वह 10.49 लाख मीट्रिक टन रह गया । डाला सीमेंट फैक्ट्री में कुछ समय उत्पादन न होना इसका एक मुख्य कारण रहा । 1987-88 में अप्रैल से सितम्बर की अवधि में 4.63 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन हुआ जो गत वर्ष इसी अवधि में उत्पादित सीमेन्ट की तुलना में 11.3 प्रतिशत अधिक है।

प्रदेश में सूती धागे का उत्पादन 1985-86 में 1.25 लाख मीट्रिक टन था जो 2.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1986-87 में 1.28 लाख मीट्रिक टन हो गया। अप्रैल-जुलाई, 1987 की अवधि में उत्पादित सूती धागा 0.43 लाख मीट्रिक टन गत वर्ष के संवादी अवधि के उत्पादन (0.39 लाख मीट्रिक टन) की अपेक्षा 10.3 प्रतिशत अधिक रहा।

1985-86 में प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (1970-71-100) 302.0 था जिसके 1986-87 में 344.1 होने का अनुमान है। यह 1985-86 के सूचकांक से 13.9 प्रतिशत अधिक है।

वार्षिक योजना 1988-89

जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं, इस शताब्दी के भयंकरतम् सूखे की चुनौती का सामना करने में हमने कोई कसर नहीं रखी। पीड़ित जनता को राहत देने के लिये हमने अपने संसाधनों की भी अधिकतम सीमा तक निवेशित किया। अत: वर्तमान वार्षिक योजना के लिए 2,262.93 करोड़ रुपये का परिव्यय ही उपलब्ध रहने का अनुमान है।

माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि केन्द्रीय योजना आयोग के परामर्श से 1988-89 की वार्षिक योजना का आकार 2,680 करोड़ रुपये 1987-88 के उपर्युक्त इंगित उपलब्ध 2262.93 करोड़ रुपये की अपेक्षा 417.07 करोड़ रुपये अर्थात् 18.4 प्रतिशत अधिक निर्धारित किया गया है। 1988-89 में भी पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को विशेष महत्व दिया गया है और इस हेतु हिमांचल प्रदेश के समतुल्य 260 करोड़ रुपये के परिव्यय का आवंटन किया गया है।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम

हमें इस सम्मानित सदन को यह सूचित करते हुए अत्यन्त संतोष का अनुभव हो रहा है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हमारे प्रदेश को सम्पूर्ण देश में प्रथम स्थान अक्षुण्ण बनाये रखने का गौरव पुन: प्राप्त हुआ है।

1987-88 में प्रदेश के निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के विपरीत माह जनवरी, 1988 तक सीलिंग भूमि का आवंटन, समस्याग्रस्त ग्रामों में स्वच्छ पेयजल सम्पूर्ति, उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, समन्वित बाल विकास केन्द्रों की स्थापना, आवास स्थल आवंटन, इन्दिरा आवासों का निर्माण, उचित दर की नई दुकानों की स्थापना तथा विकसित चूल्हों के वितरण कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश शत-प्रतिशत या अधिक उपलब्धि प्राप्त करने में सफल रहा है। उक्त के अतिरिक्त एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के लाभार्थी संख्या (85.5 प्रतिशत), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन (80.9 प्रतिशत), लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना (89.2 प्रतिशत), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (34.4 प्रतिशत), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (74.2 प्रतिशत), परिवार कल्याण-बन्ध्याकरण (78.0 प्रतिशत) आई0 यू0 डी0, सी0 सी0 यूजर्स एवं ओ0 पी0 यूजर्स की बन्ध्याकरण के समतुल्य संख्या (91.7 प्रतिशत), आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना (88.5 प्रतिशत), अनुसूचित जाति के परिवारों की सहायता (89.8 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति के परिवारों

को सहायता (87.6 प्रतिशत), नगरीय क्षेत्र में दुर्बल वर्ग आवास निर्माण (77.6 प्रतिशत), अल्प आय वर्ग आवास निर्माण (73.8 प्रतिशत), मलिन बस्ती सुधार (81.0 प्रतिशत), वृक्षारोपण (99.1 प्रतिशत), पम्पसेटों का उर्जन (96.4 प्रतिशत) तथा बायोगैस संयंत्रों के निर्माण (56.4 प्रतिशत) कार्यक्रम की प्रगति भी मासान्त तक के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष्य "बहुत अच्छी" श्रेणी के अन्तर्गत है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1988-89 के लिये जो भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उनके अनुसार एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 6.73 लाख व्यक्ति लाभान्वित होंगे । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,051 लाख मानव दिवस सृजित किये जायेंगे तथा 22,000 लघु उद्योग इकाइयां स्थापित होंगी । इसके अतिरिक्त 1,130 बंधुवा मजदूरों के पुनर्वासन की व्यवस्था की जायेगी । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास की योजना के अन्तर्गत 3,60,000 अनुसूचित जाति और 3,200 अनुसूचित जनजाति के परिवार लाभान्वित होंगे । जल निगम द्वारा 7,000 ग्रामों में पेय-जल सम्पूर्ति की जायेगी । ग्रामीण क्षेत्र के 50,000 परिवारों को आवास स्थल आवंटित किये जायेंगे । निर्बल वर्ग आवास योजना एवं इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से क्रमशः 15,980 तथा 12,784 आवासों का निर्माण कराया जायेगा । नगरीय क्षेत्र में 18,00 दुर्बल वर्ग आवास तथा 8,000 निम्न आय वर्ग आवास निर्मित होंगे । 1.70 लाख जनसंख्या मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों से लाभान्वित होगी । ग्रामीण ऊर्जा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 3,050 ग्रामों का विद्युतीकरण, 15,725 पम्प सेटों का उर्जन तथा 30,000 बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से जनता को एक ऐसा वाहन दिया है जिस पर आरूढ़ होकर वह अपने सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए प्रगति के पथ को तय करके, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करेगी । प्रगति एवं विकास के इस महायज्ञ में योगदान देने के लिये मैं माननीय सदस्यों के माध्यम से सभी को आमंत्रित करता हूं ।

कृषि

1987-88 में 345.20 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य था, भीषण सूखे के कारण खरीफ उत्पादन 82 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है तथा रबी में खाद्यान्न उत्पादन 196.70 लाख टन होने की आशा है। 1988-89 के लिये खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 355 लाख मीट्रिक टन रखा गया है।

शासन द्वारा गुणात्मक बीजों के वितरण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है, इसलिए वर्तमान वर्ष में 5.2 लाख कुन्तल आयातित बीज वितरण के लक्ष्य के समक्ष 1988-89 में 6.7 लाख कुन्तल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम के माध्यम से बीजों का बफर स्टाक रखने की योजना बनायी गई है। प्रजनक एवं आधार बीज के बफर स्टाक की योजना पहली बार बनाई जा रही है ।

राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत 1987-88 में आधारीय बीज उत्पादन, प्रमाणित बीज वितरण तथा इनपुट किट वितरण कार्यक्रम अपनाया गया । इस कार्यक्रम के अंतर्गत तिलहन उत्पादन की वृद्धि पर विशेष बल दिया जायेगा तथा यह प्रयास किये जायेंगे कि इस सम्बन्ध में तेल पेराई की तकनीकी में सुधार करके तेलों का उत्पादन बढ़ाया जाय ।

कृषकों को उर्वरक की आपूर्ति सुविधा-जनक रूप से प्रदान करने हेतु लगभग 5 हजार नये उर्वरक केन्द्र खोले गये हैं 5 और 10 किलोग्राम के छोटे पैकेटों में उर्वरक वितरण की व्यवस्था को प्रोत्साहित किये जाने के लिए लाइसेन्स की शर्त से छूट दी गई है ताकि लघु/सीमान्त कृषकों द्वारा उर्वरक प्रयोग बढ़ सके । आलू, आम, सरसों, चना मटर आदि पर कीटनाशक दवाओं के प्रयोग में 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है ।

भूमि संरक्षण के अन्तर्गत शुष्क खेती पर विशेष बल दिया गया है। सूखा राहत के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र में 8 करोड़ रुपये की धनराशि तथा पर्वतीय क्षेत्र में 5.27 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। कई महत्वपूर्ण योजनायें भी चलायी जा रही हैं जिनमें प्रमुख हैं यूरोपियन आर्थिक समुदाय द्वारा वित्तपोषित जमुना तथा चंबल की बीहड़ सुधार योजना—आगरा तथा इटावा में, नेशनल वाटर शेड योजना—झांसी, हमीरपुर तथा बांदा में, दस्यु प्रभावित क्षेत्र में बीहड़ सुधार की योजना—कानपुर, जालौन, इटावा, आगरा, फर्रुखाबाद तथा मैनपुरी में ।

फलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतापगढ़, बुलन्दशहर और इलाहाबाद में तीन फल पट्टियां घोषित की गयी हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नीबू प्रजातियों के विकास हेतु विकास खण्ड स्तर पर निजी क्षेत्र में प्रौद्यशालाओं की नई योजनायें ली गई हैं। 55 जिलों में प्रत्येक में सब्जी के 500 मिनी किट्स 75 रुपया प्रति किट की दर से वितरित किये गये हैं । सूखा राहत की दृष्टि से अगेती आलू की फसल को प्रोत्साहित करने के लिये करीब 240 लाख रुपये अनुदान के रूप में कृषकों में वितरित किया गया ।

दुग्ध विकास

उत्तर प्रदेश में श्वेत क्रान्ति का लाभ ग्रामीण जनता को पहुंचाने एवं विचौलियों द्वारा शोषण को समाप्त कराने के उद्देश्य से शीघ्र ही आपरेशन फ्लड-3 योजना प्रारम्भ की जानी है, जिसमें आपरेशन फ्लड-2 के जनपदों के अतिरिक्त कतिपय अन्य जनपदों को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

खाद्य तथा रसद

1987-88 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 2,000 दुकानें खोलने के लक्ष्य के समक्ष नवम्बर, 1987 तक 2,873 दुकानें खोली गई । इस प्रकार प्रदेश में उक्त अवधि तक कुल 40,794 दुकानें खोली गई ।

प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला एवं मुनस्यारी विकास खण्ड तथा जनपद चमोली के जोशीमठ विकास खण्ड में 1 नवम्बर, 1987 से विशिष्ट रियायती दर पर खाद्यान्न वितरण की योजना लागू

कर दी है जिससे हमारे पर्वतीय क्षेत्र के इन सुदूर अंचलों के निवासियों को सुलभता से खाद्यान्न उपलब्ध हो सके ।

उपभोक्ताओं के हितों का व्यापक संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय की स्थापना की गई है । एक राज्य परिषद् की स्थापना भी की गई है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक राज्य आयोग तथा 12 चयनित जनपदों में जिला फोरम की स्थापना की जा रही है ।

मंत्रि-परिषद् की उप-समिति तथा प्रशासन के शीर्षस्थ स्तर पर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का प्रत्येक सप्ताह अनुश्रवण किया जाता है ।

उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल, डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पाद निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं । डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में मिट्टी के तेल की मिलावट पर कड़ी नजर रखी जा रही है ।

सहकारिता

सूखे के फलस्वरूप किसानों की फसलों को क्षति होने के कारण उनकी क्रय-शक्ति प्रभावित हुई। इसके लिए उन्हें राहत दिलाने के उद्देश्य से उनको खरीफ 1987 के लिये दिये गये अल्पकालीन सहकारी ऋण की वसूली स्थगित कर दी गई और उसे मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही की गई । इसके फलस्वरूप किसान आगामी फसल के लिये सहकारी ऋण प्राप्त करने हेतु अर्ह हो गये तथा उन्हें दिसम्बर, 1987 तक लगभग 198 करोड़ रुपये का अल्पकालीन सहकारी ऋण दिया गया, जिससे कि वे कृषि निवेश क्रय करने की स्थिति में हो सकें । जिन क्षेत्रों में खरीफ की पुनः बुवाई हो सकती थी वहां यह व्यवस्था की गई कि किसान उसी फसल के लिये अपनी समितियों से पुनः ऋण प्राप्त कर सकें ।

खाद्यान्न, शक्कर, कृषि निवेश तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें ग्रामीण जनता को सुलभता से उपलब्ध कराने के लिए विकास खण्डों में बड़े गोदाम निर्मित किये जायेंगे। इन गोदामों को "वन बिन्डो सर्विस" सुविधा के रूप में गठित किया जायेगा ताकि एक ही जगह पर जरूरत की चीजें स्थानीय रूप से उपलब्ध हो सकें ।

हरिजन तथा समाज कल्याण

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अंतर्गत 1988-89 में अनुसूचित जाति के 3,60,000 परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया है । 1987-88 में 3,56,000 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके समक्ष दिसम्बर, 1987 तक 2,69,804 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है ।

हमने यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष से प्रदेश में सभी विद्यालयों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, विमुक्त जाति और जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाय । 1987-88 शैक्षिक सत्र से छात्रवृत्ति की दरों में 8 रुपये से 11 रुपये तक प्रति छात्र प्रति मास की वृद्धि कर दी गई है ।

हमारी संस्कृति व गौरवशाली परम्पराओं से परिलक्षित हमारे समाज में नारियों का स्थान "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:" की पवित्र भावना पर आधारित है । समाज में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के उद्देश्य से महिला कल्याण निगम का गठन किया गया है । यह निगम महिलाओं के उत्तरोत्तर सामाजिक-आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा ।

किशोर अवस्था में अपराध करने वाले अथवा अभिभावकों द्वारा उपेक्षित किशोरों को सही मार्ग पर लाने एवं उनके मामलों का शीघ्र निपटारा कराने के उद्देश्य से प्रदेश में 2 अक्टूबर, 1987 से भारत सरकार द्वारा पारित "किशोर न्याय अधिनियम, 1986" लागू हो गया है ।

सिंचाई

जिन महत्वपूर्ण वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, उनमें टिहरी बांध, लखवाड़ व्यासी बांध, ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण, पूर्वी गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, शारदा सहायक, सरयू नहर, माँदहा बांध आदि प्रमुख है। ढेकवा बांध, उमरहट पम्प नहर, बेवर शाखा आधुनिकीकरण, माधो-टान्डा सिंचाई परियोजना, सजनाम बांध, शाहजाद बांध, आखला बैराज, धोवा पम्प नहर, बकहर मड़ियन फीडर, फर्रुखाबाद शाखा का आधुनिकीकरण, सुहेली सिंचाई योजना, अलीगंज सिंचाई योजना, औगासी पम्प नहर आदि परियोजनाओं के कार्य निर्माण के अन्तिम चरण में है । राजघाट बांध, मध्य प्रदेश तथा बानसागर बांध, मध्य प्रदेश व बिहार के सहयोग से निर्माणाधीन है ।

पर्वतीय नहरों से वर्ष 1987-88 में 3,500 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया जा रहा है तथा वर्ष 1988-89 के लिये 4,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन का लक्ष्य है ।

राजकीय लघु सिंचाई के अंतर्गत 1987-88 में 442 नलकूपों का छिद्रण एवं 618 नलकूपों का ऊर्जीकरण हो चुका है। 1988-89 में 1,200 नलकूपों का छिद्रण एवं 1,200 नलकूपों का ऊर्जीकरण प्रस्तावित है । 1988-89 में लघु सिंचाई के अंतर्गत 127 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को अतिरिक्त सिंचन क्षमता प्रदान करने का लक्ष्य है । इसमें से 7,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता लघु डाल नहरों, बन्धियों तथा पर्वतीय नहरों से है ।

ऊर्जा

विद्युत गृहों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के विशेष प्रयास किये गये । इनका प्लान्ट लोड फैक्टर जो 1886-87 में 41.2 प्रतिशत था, अप्रैल, 1987 से जनवरी, 1988 की अवधि में बढ़कर 46.1 प्रतिशत हो गया। अनुमान है कि 1987-88 के अन्त तक औसत प्लान्ट लोड फैक्टर लगभग 47 प्रतिशत हो जायगा । इस वर्ष विद्युत परिषद् की मुख्य उत्पादन इकाई 5×200 मेगावाट ओबरा "बी" विद्युत गृह ने लगातार अच्छा विद्युत उत्पादन किया । इस विद्युत गृह का प्लान्ट लोड फैक्टर

जून, 1987 में 60 प्रतिशत, जुलाई, 1987 में 65 प्रतिशत, अगस्त, 1987 में 71 प्रतिशत, सितम्बर, 1987 में 59 प्रतिशत, अक्टूबर, 1987 में 60 प्रतिशत तथा नवम्बर, 1987 में 76 प्रतिशत रहा है । 30 नवम्बर, 1987 को 42·832 मिलियन यूनिट अधिकतम तापीय विद्युत का नया कीर्तिमान स्थापित किया जो विकास के लिये अधिक ऊर्जा उत्पादन के हमारे संकल्प का सूचक है । कुल विद्युत उपलब्धता का नया कीर्तिमान 13 अक्टूबर, 1987 को 64 मिलियन यूनिट का स्थापित हुआ ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1,638 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत अधिस्थापित क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। योजना के प्रथम दो वर्षों में 420 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता आनपारा "ए" विद्युत गृह की दो इकाइयों के माध्यम से प्राप्त हुई है । 1987-88 में ही आनपारा "ए" विद्युत गृह की 210 मेगावाट की एक मशीन और टाण्डा विद्युत गृह की 110 मेगावाट की दो मशीनें चालू हो जाने की आशा है । 1988-89 में ऊंचाहार परियोजना की 210 मेगावाट की दो मशीनें और टाण्डा की 110 मेगावाट की दो मशीनें चालू कर 640 मेगावाट की अतिरिक्त अधिस्थापित क्षमता का लक्ष्य है ।

1987-88 में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत 20,500 निजी नलकूपों एवं पंपिंग सेटों के ऊर्जीकरण और 4,080 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है । जनवरी 1988 तक 17,345 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण और 1,928 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है । नवम्बर, 1987 तक प्रदेश में 72,764 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है । विद्युत की उपलब्धि को देखते हुए 1988-89 के लिये 15,000 निजी नलकूपों एवं पंपिंग सेटों के ऊर्जीकरण और 3,000 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है ।

उद्योग

हम प्रदेश के संतुलित औद्योगिक विकास के लिये कटिबद्ध हैं । इस नीति के अधीन लघु उद्योगों के सुनियोजित विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप 1986-87 के अन्त में इन उद्योगों की संख्या 1.46 लाख हो गई जिनमें लगभग 11 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 2.11 लाख इकाइयों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है । त्वरित एवं संतुलित औद्योगिक विकास के लिये सामुदायिक विकास खण्डों को केन्द्र बिन्दु माना गया है । सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में एक मिनी औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जाने की योजना के अंतर्गत 380 विकास खण्डों में औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जाने का कार्य प्रगति पर है । औद्योगिक विकास के लिये प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जा रहा है । 1986-87 में 16,004 उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया और 1987-88 व 1988-89 में क्रमशः 15,310 व 15,500 उद्यमियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रत्येक मण्डल में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत अब तक 5 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं

लगि उनमें प्रशिक्षण कार्य आरम्भ किया जा रहा है। सातवीं योजना में प्रत्येक विकास खण्ड में 50 खादी एवं ग्रामोद्योग इकाईयां स्थापित किये जाने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योग इकाइयां स्थापित किये जाने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योग इकाइयां स्थापित करने के लिये अल्प संख्यक समुदाय अनुसूचित जनजाति के कारीगरों को वरीयता के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। सातवीं योजनावधि में एक लाख खादी तथा ग्रामोद्योग इकाइयों के वित्त पोषण का लक्ष्य रखा गया है। बुनकरों को सूत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने कताई मिलों के गेट पर सूत विक्रय केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है, ताकि बुनकरों को वाजिब रेट पर सूत मिल सके। इसके अलावा बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा सूत विक्रय केन्द्र खोले जायेंगे।

पर्वतीय क्षेत्र में ऊनी हथकरघा उद्योग को गति प्रदान करने के उद्देश्य से कुमायूं तथा गढ़वाल में ऊनी हथकरघा विकास परियोजना भारत सरकार की सहायता से अप्रैल, 1986 से कार्यान्वित की जा रही है। इसकी कुल लागत लगभग 8 करोड़ रुपये है। इस योजना में हथकरघों के अधिग्रहण, नवीनीकरण व नये डिजाइनों के लिए प्रशिक्षण शामिल है।

वृहत् एवं मध्यम औद्योगिक क्षेत्र में कुल 785 उपक्रम प्रदेश में स्थापित हैं, जिनमें छठी योजना के अन्त तक लगभग 4,290 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हो चुका है तथा लगभग 4.5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध है। सातवीं योजना अवधि में इस क्षेत्र में लगभग 7,500 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन सम्भावित है। इस योजना अवधि में स्थापित की जाने वाली प्रमुख योजनाओं में गैस पर आधारित चार उर्वरक कारखाने, जिनकी कुल लागत 2,970 करोड़ रुपये हैं और जिनसे लगभग 6000 लोगों के लिये रोजगार के साधन सृजित होंगे, सुल्तानपुर, आवला (बरेली), बबराला (बदायूं) तथा शाहजहांपुर में लगाये जा रहे हैं। 11,500 करोड़ रुपये की लागत पर औरइया जिला इटावा में गैस केंकर परियोजना प्रस्तावित है। पेट्रोकेमिकल्स पर आधारित एरोमेटिक काम्प्लेक्स परियोजना 900 करोड़ रुपये की लागत पर सलेमपुर अलीगढ़ में प्रस्तावित है जिसमें 1,800 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। मनकापुर जिला गोण्डा में स्वीच गियर, इलेक्ट्रोनिक्स इक्वीपमेन्ट की योजना 160 करोड़ रुपये की लागत पर प्रस्तावित है। 250 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा में फोटो सेन्सीटाइज्ड गुड्स की परियोजना प्रस्तावित है। इस योजना से लगभग 500 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। इलाहाबाद एवं गोरखपुर जिलों में 100 करोड़ रुपये प्रत्येक की लागत पर पालियस्टर फिलामेन्ट यार्न परियोजना प्रस्तावित है। सलोन जिला रायबरेली में 180 करोड़ रुपये की लागत पर वेस्पा कार कम्पनी प्रस्तावित है, जिसमें 1,150 व्यक्तियों के लिये रोजगार सृजन होगा। पाली प्रोपलीन की परियोजना कोसी जनपद मथुरा में 70 करोड़ रुपये की लागत से लगाई जा रही है।

वांछित अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 9 उद्योग शून्य जनपदों में से प्रत्येक में 6 करोड़ रुपये की लागत में ग्रोथ-सेन्टर्स का स्थापना कार्य प्रगति पर है।

उत्तर प्रदेश प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम ने प्रदेश में स्वर्ण खनन परियोजना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर में कार्यान्वित की है, जो कि प्रदेश सरकार के लिये एक उपलब्धि है। निर्माण सम्बन्धी सरकार की विभिन्न विभागों को उप-खनिजों की आपूर्ति की गुणवत्ता और प्रमात्रा को सुनिश्चित करके इस क्षेत्र में इस निगम का सफल प्रवेश हुआ है।

सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में मैदानी क्षेत्रों के लिये अब तक इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन द्वारा 14,719.40 लाख रुपये की नई परियोजनायें ली गई हैं, जिनमें से 11,750.00 लाख रुपये की कलर पिक्चर ट्यूब उत्पादन की योजना, जो साहिबाबाद में स्थापित की गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य 4 परियोजनायें जो सभी लखनऊ और आसपास लगाई जा रही हैं, के नाम, ई0ए0पी0वी0एक्स (लागत 992 लाख), एफ0डी0एम0/टी0डी0एम0 (लागत 850 लाख), प्रोसेस कन्ट्रोल (941 लाख) तथा माईनिंग इलेक्ट्रानिक्स (186.40 लाख रुपये) हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों की स्थापना के लिए अपहिल कारपोरेशन का गठन लगभग 3 वर्ष पूर्व किया गया था। इस कारपोरेशन द्वारा अब तक 4,886.72 लाख रुपये की परियोजना स्थापित करने का प्रयास है।

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास

किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए वर्तमान पेराई सत्र 1987-88 के लिए प्रदेश सरकार ने पश्चिमी क्षेत्र तथा मध्य क्षेत्र में गन्ने का मूल्य 27 रुपये प्रति कुन्तल तथा पूर्वी क्षेत्र में 26.50 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया जबकि सत्र 1986-87 के लिये यह पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र में 25 रुपये प्रति कुन्तल तथा पूर्वी क्षेत्र में 24 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित था।

इस वर्ष जनपद शाहजहांपुर में एक नई सहकारी चीनी मिल ने प्रथम बार कार्य प्रारम्भ किया है। सहकारी क्षेत्र में बिजनौर जनपद में 2,500 टन प्रतिदिन पेराई क्षमता की एक नई चीनी मिल का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है।

सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों, ननौता (सहारनपुर), रमाला (मेरठ), सरसावा (सहारनपुर), बेलरायां (खीरी) और बीसलपुर (पीलीभीत) की पेराई क्षमता को 2,500 टी0 सी0 डी0 तक बढ़ाने का कार्यक्रम है। सहकारी क्षेत्र में कायमगंज (फर्रुखाबाद) में 60,000 लीटर अल्कोहल प्रतिदिन उत्पादन क्षमता की आसवनी तथा नानपारा (बहराइच) में 30,000 लीटर क्षमता की दो आसवनियों का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की पुरानी मिलों को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से सिसवा बाजार (गोरखपुर), डोईवाला (देहरादून), सहारनपुर, बुढ़वल तथा जरवल रोड स्थित मिलों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार तथा मुंडेरवा मिल के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम शुरू किये जा रहे हैं।

गत पेराई सत्र में चीनी मिलों द्वारा 656.60 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा गया था, जिसमें से अक्टूबर, 1987 तक 654.45 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है, जो कुल देय धनराशि का 99.66 प्रतिशत है।

वर्तमान सत्र में गन्ना पेराई का कार्य तेजी से चल रहा है। शासन द्वारा शीघ्रता से किसानों को गन्ना का भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।

सड़कें एवं यातायात

प्रदेश में 1986-87 के अन्त तक पक्के मार्गों, सरफेस्ड मोटर मार्ग एवं अन-सरफेस्ड मोटर मार्ग सीलिंग स्तर तक सम्मिलित करते हुए, का कुल लम्बाई 92,254 किलोमीटर थी, जो 1987-88 के अन्त तक लगभग 96,714 किलोमीटर हो जानी सम्भावित है। 1987-88 की समाप्ति तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1,854 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण खड़ंजा स्तर तक, 1,178 किलोमीटर मार्गों का निर्माण उसके ऊपर के स्तर तक, 835 किलोमीटर मिट्टी के स्तर तक, 285 किलमिीटर पर्वतीय मार्गों का निर्माण, 1,431 किलोमीटर वर्तमान सड़कों का पुनः निर्माण व सुधार तथा 145 नये पुलों का निर्माण पूरा हो जायेगा।

1988-89 तक मार्गों की कुल लम्बाई सरफेस्ड मोटर मार्ग एवं अनसरफेस्ड मोटर मार्ग सीलिंग स्तर तक सम्मिलित करते हुए, 98,658 किलोमीटर हो जानी सम्भावित है। 1988-89 के लिये 2,408 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण खड़ंजा स्तर तक, 995 किलोमीटर मार्गों का निर्माण उसके ऊपर के स्तर तक, 940 किलोमीटर मिट्टी स्तर तक, 325 किलोमीटर पर्वतीय मार्गों का निर्माण तथा 1,641 किलोमीटर वर्तमान सड़कों का पुनः निर्माण व सुधार कराने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत सरकार ने हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी को प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया है। भारत सरकार इस जलमार्ग को पटना और इलाहाबाद के मध्य विकसित एवं जल परिवहन हेतु उपयुक्त बनाने के लिये एक परियोजना "पायलट प्रोजेक्ट" के रूप में क्रियान्वित कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में समुचित कार्यवाही की जा रही है।

पर्यटन

सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का विकास पर्यटन की दृष्टि से करने के लिये शासन प्रयत्नशील है।

प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए वृहद् स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। 1988-89 में 'बौद्ध यात्री परिपथ' के विकास की योजना के अन्तर्गत संकीसा एवं कुशीनगर में आवासीय सुविधाओं तथा कुशीनगर में एक बौद्ध संग्रहालय का निर्माण करने का लक्ष्य है।

भारत सरकार को बौद्ध स्थलों के विकास से सम्बन्धित एक बृहद् योजना प्रेषित की गई है, जिसमें आवासीय व्यवस्था के अतिरिक्त सड़क, पुल, दूर-संचार, विद्युत् आपूर्ति आदि की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। आगरा में ताज नेशनल पार्क की स्थापना, अयोध्या में रामकथा पार्क का निर्माण तथा आगरा में कान्फ्रेन्स काम्प्लेक्स का निर्माण नये प्रमुख कार्य प्रस्तावित हैं।

शासन पर्वतीय पर्यटन को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रहा है। इसके अधीन कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डलों में अधिक से अधिक शैय्याओं तथा अन्य सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य शासन द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में करीब 4,300 शैय्याएं उपलब्ध हैं, जिनमें से 115 शैय्याएं पर्वतीय क्षेत्र में हैं।

पर्यटकों को आकर्षित करने एवं उन्हें सभी सुविधायें प्रदान करने हेतु गढ़वाल मण्डल के औली (जोशीमठ) में 6 काटेज एवं रेस्टोरेन्ट का निर्माण भारत सरकार की सहायता से 20.90 लाख रुपये की लागत से किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा 268 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर दो स्की-लिफ्ट एवं दो चेयर-लिफ्ट के निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

शिक्षा

1987-88 में 207 (88 मैदानी तथा 119 पर्वतीय) प्राइमरी स्कूल खोले गये। 1988-89 में 188 (103 मैदानी तथा 85 पर्वतीय) प्राइमरी तथा 72 (30 मैदानी तथा 42 पर्वतीय) सीनियर बेसिक स्कूल खोलने का लक्ष्य है।

1987-88 में आयोजनागत परिव्यय की कुल धनराशि में से 1,369.30 लाख रुपये अनुसूचित जाति तथा 165.32 लाख रुपये अनुसूचित जनजाति के लिये याचाकृत की गई। 1988-89 के लिये यह धनराशि बढ़ाकर क्रमशः 1,584.90 लाख रुपये तथा 217.45 लाख रुपये कर दी गई है।

जर्मन जनवादी गणराज्य की सहायता से प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों के विद्यार्थियों के प्रयोगार्थ विज्ञान किटों के निर्माण तथा उसकी आपूर्ति के लिये इलाहाबाद में विज्ञान किट निर्माणशाला की स्थापना की गई है। प्राइमरी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" योजना तथा अनौपचारिक शिक्षा के पुनरीक्षित योजना का क्रियान्वयन प्रगति पर है।

प्रदेश में नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता से 19 नवोदय विद्यालय खोले जा चुके हैं।

विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए रिसर्च पर अधिक बल दिया जायेगा।

खेल कूद

जनपद लखनऊ में स्पोर्ट्स कालेज में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जो देश का दूसरा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है। प्रदेश के पर्वतीय अंचल तथा पूर्वांचल में एक-एक स्पोर्ट्स कालेज स्थापित किया जा रहा है। मंसूरी में एक ग्रीष्मकालीन क्रीड़ा संकुल की भी स्थापना की जायेगी। इससे पूरे प्रदेश में खेलकूद के स्तर को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

प्राविधिक शिक्षा

1988-89 में पीलीभीत में भी एक पालीटेकनिक की स्थापना का प्रस्ताव है जिसके उपरान्त प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कम से कम एक पालीटेकनिक खोले जाने के कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूर्ण हो जायेगा। शिक्षा को रोजगार परक बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण योगदान है।

झांसी में एक नये इन्जीनियरिंग कालेज खोलने का कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त पालीटेकनिक भी खोले जायेंगे ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत महिलाओं में तकनीकी शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहन देने हेतु अल्मोड़ा, देहरादून तथा बरेली में एक-एक पालीटेकनिक खोलने के आदेश प्रसारित हो चुके हैं। प्रदेश के कतिपय महिला पालीटेकनिकों में छात्राओं के आवागमन की सुविधा हेतु बस की व्यवस्था भी की जा रही है।

1988-89 में नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत ही कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक साज-सज्जा, पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण एवं संयंत्रों के आधुनिकीकरण हेतु भी आवश्यक सुविधा प्रदान की जायेगी ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अन्तर्गत सन् 2000 ई0 तक "सबके लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम प्रयत्नशील एवं वचनबद्ध हैं। 1987-88 में अब तक 388 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 1,000 उपकेन्द्रों, 13 उच्चीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसी नीति के अधीन मलेरिया, घेघा, कुष्ठ, क्षय तथा नेत्रहीनता जैसे भयावह रोगों पर प्रभावशाली नियंत्रण हेतु आवश्यक कदम उठाये गये हैं। 1988-89 में 1,000 उपकेन्द्रों, 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 8 आई0 सी0 सी0 इकाइयों की स्थापना एवं 15 गैर सरकारी चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण का लक्ष्य रखा गया है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में 6 विभागों में वाह्य रोगियों के चिकित्सार्थ ओ0 पी0 डी0 की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस संस्थान हेतु जापान सरकार से 16 करोड़ रुपये के चिकित्सकीय उपकरण प्राप्त हो चुके हैं तथा 12 करोड़ रुपये के अतिरिक्त उपकरणों के शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

आवास एवं नगर विकास

प्रदेश में नगरों में और अधिक नगरीय सुविधायें उपलब्ध कराने की ओर शासन तत्पर है। सड़कों, नालियों/सीवर की सफाई तथा उनके रख-रखाव व मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुलभ शौचालय सुविधा को प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1988-89 में 11 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है जिससे 5 नये नगरों में पेयजल सुविधायें एवं 10 अन्य नगरों की वर्तमान जल सम्पूर्ति व्यवस्था में सुधार/विस्तार किये जाने का लक्ष्य है।

ग्रामों को हैण्डपम्प सुविधा से संतृप्त किये जाने के कार्यक्रम हेतु 1988-89 के लिये 64.92 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है जिससे 2,500 समस्याग्रस्त एवं 70 असमस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

ग्रामीण पेय-जल कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित त्वरित ग्रामीण जल-सम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1988-89 के लिए 66.92 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है जिससे 4,500 समस्याग्रस्त एवं 20 असमस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण पेयजल योजना की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 1987-88 में 27.75 करोड़ रुपये व्यय करके 720 ग्रामों को लाभान्वित किये जाने का अनुमान है। 1988-89 में इस योजना के लिए 28 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

मद्य निषेध

शासन द्वारा मादक पदार्थों के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए मद्य निषेध नीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अधीन गांजा, चरस तथा अफीम जैसी मादक द्रव्यों के अनऔषधीय उपभोग पर सम्पूर्ण प्रदेश में निषेध लागू है।

कार्मिक

लोक सेवा आयोग के बढ़े हुए कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा समूह ''ग'' वर्ग के पदों पर चयन के लिये अधीनस्थ चयन बोर्ड गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार के कार्मिकों के लिये प्रशिक्षण नीति पर विचार करने एवं विभिन्न विभागों में स्थापित प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में प्रशिक्षण सम्बन्धी समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक ''प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक'' की स्थापना भी की गई है।

कम्प्यूटरीकरण

1987-88 में सचिवालय एवं विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में 54 पर्सनल कम्प्यूटरों की स्थापना ने प्रदेश शासन में कम्प्यूटर प्रयोग के विस्तार को एक नई दिशा प्रदान की है। इनका उपयोग विभागीय स्तर पर किया जा रहा है और इन पर 33 कम्प्यूटरीकृत प्रणालियां विकसित की जा चुकी हैं। इस व्यवस्था से कार्यक्रम अनुश्रवण को गति मिली है।

शान्ति एवं व्यवस्था

उत्तर प्रदेश पुलिस के लिये वर्तमान वर्ष अत्यन्त संघर्ष, उत्तरदायित्व एवं चुनौतियों का वर्ष रहा है। शान्ति एवं व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा अपराधों पर और अधिक प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए शासन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इस वर्ष प्रदेश में 39 नये थानों तथा 6 पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है। आतंकवादियों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा बमों तथा अन्य विस्फोटक पदार्थों के बढ़ते प्रयोग को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने 5 बम डिस्पोजल यूनिटों का गठन किया है। देश के अन्य भागों में सक्रिय आतंकवादियों के प्रदेश में शरण लेने की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए एक ''टास्क फोर्स'' बनाया गया है।

पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ/आगरा का आधुनिकीकरण, विशिष्ट सुरक्षा हेतु अभिसूचना विभाग में वाइनाकूलर्स एवं वाकी-टाकी सेटों की व्यवस्था, वायरलेसयुक्त मोटर साइकिल द्वारा गश्त, कम्प्यूटरीकरण विवेचनकर्ताओं के लिए क्राइम किट्स प्राक्स की व्यवस्था की जा रही है। जनपद उन्नाव में एक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय तथा राज्य अग्नि शमन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

अल्प संख्यक कल्याण

15–सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम कार्यरत है। अल्पसंख्यकों की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करना ही इस निगम का कार्य क्षेत्र है। अल्पसंख्यकों के उन्नयन के लिए यह निगम व्यावसायिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क भी रखता है। अल्पसंख्यकों के लिये ऋण वितरण कैम्प, मार्जिन मनी योजना, पुलिस तथा फौज में भरती के लिए पूर्व प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण, उद्यमिता-प्रशिक्षण, ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेन्टर, ब्याज रहित दजीफा कर्ज योजना तथा महिला विकास कार्यक्रम आदि योजनायें निगम द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

प्रदेश में अप्रैल, 1987 से उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम की स्थापना की गई है। निगम के मुख्य उद्देश्य वक्फ सम्पत्तियों का विकास, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, निर्माण कार्य तथा कल्याणकारी कार्य हैं। ईदगाहों का संरक्षण व उन पर वृक्षारोपण, प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्रों की स्थापना, आवास समितियों का गठन, दुकानों, अस्पतालों, मुसाफिर खानों तथा सामुदायिक वर्क-शेड्स का निर्माण आदि निगम के प्रमुख कार्यक्रम हैं। निगम कल्याणकारी कार्यक्रम के रूप में शिक्षा संस्थाओं को नये कोर्स चलाने के लिये अनुदान, बुक-एड इत्यादि भी देता है। जरूरत मन्द लोगों की पुत्रियों की शादी तथा चिकित्सा सहायता भी निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने का कार्यक्रम है।

कुम्भ मेला

इलाहाबाद नगर में 1989 में कुम्भ मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग डेढ़ करोड़ यात्रियों के आने की सम्भावना है। इस कुम्भ मेले की तैयारियां प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है। मेले की व्यवस्था के लिए वर्ष 1988-89 में मार्ग-प्रकाश, पेय-जल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 964.20 लाख रुपये, सड़कों तथा पूलों के लिये 904 लाख रुपये एवं नदी प्रवाह नियंत्रण तथा बांधों के सुधार इत्यादि के लिए 79 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है।

हज यात्रियों के लिये सुविधा

प्रदेश के हज यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली में एक सुविधा सम्पन्न हज हाउस निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सुविधायें

देश के स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों के त्याग एवं बलिदान के प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए उन्हें प्राप्त हो रही पेंशन में दिनांक 9 अगस्त, 1987 से 101 रुपये की वृद्धि करके 401 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में पूरे प्रदेश में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

पेन्शनरों की सुविधा

शासन सेवा निवृत्त कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह से जागरूक है। शासन द्वारा विभिन्न सुविधाओं को समय-समय पर उदारीकृत किया जाता रहा है।। सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेन्शन प्राधिकार पत्र प्राप्त करने में विलम्ब को दूर करने के लिए कतिपय विभागों में प्राधिकार-पत्र महालेखाकार के बजाय विभागाध्यक्ष द्वारा जारी करने की व्यवस्था की गई थी। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर अब शेष विभागों के पेन्शनरों को सेवानिवृत्ति पर देय पेन्शनरी तथा अन्य नैवृत्तिक लाभों से संबंधित सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिए 1988-89 में पेन्शन निदेशालय की स्थापना का प्रस्ताव है। इससे बड़ी संख्या में सरकारी सेवक लाभान्वित होंगे। यह निदेशालय प्रदेश के पेन्शनरों की पेन्शन संबंधी व्यक्तिगत समस्याओं तथा उनकी शिकायतों के निराकरण का भी कार्य करेगा। शासन ने पेन्शन के राशिकृत भाग को सेवा निवृत्ति के 15 वर्ष उपरान्त पुनर्स्थापित करने की व्यवस्था कर दी है।

शासकीय तथा अन्य कर्मचारियों को सुविधायें

जैसा मैंने माननीय सदस्यों को पिछले बजट भाषण में अवगत कराया था, प्रदेश के विभिन्न वर्गों के शासकीय एवं अन्य कर्मचारियों की अभिलाशाओं एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उनके वेतनमानों के पुनरीक्षण एवं भत्तों तथा अन्य सुविधाओं में सुधार हेतु एक वेतन समिति का गठन किया गया था। वेतन समिति ने शासकीय कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त संस्थाओं के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संबंध में अपनी संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत कर दी हैं। स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम सेक्टर के कार्मिकों के विषय में संस्तुतियां देने का कार्य वेतन समिति द्वारा तेजी से किया जा रहा है। वेतन समिति के कार्य क्षेत्र से आच्छादित सभी कर्मचारियों को तुरन्त वित्तीय राहत उपलब्ध कराने के लिए अब तक शासन द्वारा अन्तरिम राहत की तीन किस्तें स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिससे शासन पर कम से कम 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आने का अनुमान है। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा होगा और उनकी कार्यक्षमता और कार्य दक्षता के स्तर में सुधार का लाभ शासन को मिलेगा।

वित्तीय प्रबन्ध

पिछले बजट भाषण में मैंने माननीय सदस्यों को अवगत कराया था कि शासकीय व्यय में अधिक वित्तीय अनुशासन लाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे माननीय सदन को यह बताते हुए हर्ष है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हमने अपनी अर्थोपाय

स्थिति को बेहतर वित्तीय प्रबन्ध द्वारा सफलतापूर्वक व्यवस्थित किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर घाटे का पुनरीक्षित अनुमान, मूल अनुमानों से कम है। वित्तीय अनुशासन और सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्ध की दृष्टि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष हमें भयंकरतम सूखे का सामना करना पड़ा, जिसमें हमने अपने वित्तीय संसाधनों का बड़ा अंश अपनी सामर्थ की सीमा तक निवेशित किया। यह और भी उल्लेखनीय है क्योंकि सूखे के कारण हमारी प्राप्तियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हमने गैर जरूरी खर्चों में कमी करने के निर्णय पर कारगर ढंग से अमल कराया। वर्तमान वर्ष के बजट पारित होने के पश्चात् त्वरित गति से स्वीकृतियां जारी कराने का कार्य भी सुनिश्चित किया गया। वित्त विभाग में व्यय नियंत्रण अधिकारियों के स्तर पर प्रशासनिक विभागों के साथ बैठकें करके स्वीकृतियां जारी कराने की विशेष व्यवस्था की गई। इससे जहां विभिन्न कार्यक्रमों का भौतिक कार्यान्वयन वर्ष-पर्यन्त सुचारुरूप से बराबर गति से होता रहा वहीं व्यय की गति नियन्त्रित करके वित्तीय अनुशासन भी सुनिश्चित किया गया। वित्तीय संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के परिप्रेक्ष्य में शासकीय कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों का समीक्षा कार्य जीरो बेस बजटिंग प्रणाली के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों में गठित समितियों के माध्यम से प्रगति पर है। कुछ सेक्टरों में इस अभ्यास के उत्साह-जनक परिणाम निकले हैं।

आय-व्ययक अनुमान 1988–89

अब मैं वित्तीय वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक अनुमानों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। प्रस्तुत आय-व्ययक के अनुसार राजस्व व पूंजी लेखों को मिलाकर कुल प्राप्तियों का अनुमान 8242.10 करोड़ रुपये है। राजस्व प्राप्तियों की 5173.69 करोड़ रुपये रुपये की राशि में 1695.76 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश, 1028.32 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्त अनुदान, 1871.88 करोड़ रुपये राज्य सरकार का कर राजस्व तथा 577.73 करोड़ रुपये का करेतर राजस्व सम्मिलित है। पूंजी लेखे की 3068.41 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों में 2979.91 करोड़ रुपये की ऋणों से प्राप्तियां तथा 88.50 करोड़ रुपये की राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय 5733.66 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें सम्मिलित करते हुए 1321.70 करोड़ रुपये आयोजनागत मदों के लिये तथा 4411.96 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिये हैं। पूंजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों की वापसी और ऋणों और अग्रिमों के संवितरण सम्मिलित करते हुए पूंजी लेखों का कुल व्यय 2867.27 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसमें 1251.86 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं को सम्मिलित करते हुए आयोजनागत मदों तथा 1615.41 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिये है। इस प्रकार राजस्व और पूंजीगत लेखे में कुल 8600.93 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है जिसके कारण समेकित निधि के अन्तर्गत 358.83 करोड़ रुपये का घाटा सम्भावित है।

आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपये की तथा लोक लेखा के अन्तर्गत 307.71 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को हिसाब में लेकर आय-व्ययक वर्ष के समस्त लेन-देनों के परिणाम स्वरूप 26.12 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है।

आयोजनेतर व्यय में अधिकाधिक मितव्ययता एवं सरकारी देयों की वसूली प्रभावी तौर से करने का सरकार प्रयास कर रही है। इन प्रयासों से अनुमानित घाटे की की पूर्ति होने की सम्भावना है।

मंत्रि-परिषद् के सभी सहयोगियों का मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग और परामर्श से तथा उनके विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट समय से प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी मुझे बजट बनाने के काम में जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से करने में मेरी सहायता की। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा इस कार्य में सहयोग देने के लिये आभार प्रकट करता हूं।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वर्ष 1988–89 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे (पूर्वान्ह) पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 52 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
26 फरवरी, 1988

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0-12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

वर्ष	बैठक की तिथि	स्वीकृत धनराशि	कार्य
1	2	3	4
1984-85	9-2-85	4,92,000.00	पूर्वदशम अनसूचित जाति छात्रवृत्ति
,,	,,	5,63,000.00	पूर्वदशम पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति
,,	,,	23,000.00	पूर्वदशम विमुक्त जाति छात्रवृत्ति
,,	,,	3,000.00	पूर्वदशम मोमिन अन्सार जाति छात्रवृत्ति
,,	,,	1,32,000.00	निराश्रित विकलांग व्यक्तियों का अनुदान
,,	,,	35,000.00	अपरचुनिटी कास्ट अनुदान
,,	,,	40,000.00	भूमिहीन हरिजनों को भूमिक्रय अनुदान
1985-86	5-9-85		समिति द्वारा विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गयी।
1985-86	20-12-85		छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के लिए बैठक बुलाई गयी किन्तु गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित कर दी गयी।
1985-86	3-2-86	5,50,000.00	पूर्वदशम अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति
,,	,,	3,80,000.00	पूर्वदशम पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति
1985-86	3-2-86	24,000.00	पूर्वदशम विमुक्त जाति छात्रवृत्ति
,,	,,	3,000.00	पूर्वदशम मोमिन अन्सार जाति छात्रवृत्ति
1986-87	30-9-86		गणपूर्ति के अभाव में प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दी गयी।
,,	,,		आगामी बैठक के लिए बैठक स्थगित कर दी गयी।

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0-63 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

जनपद गाजीपुर

कर्मनाशा नदी की बाढ़ से पूर्ण प्रभावित जलप्लावित ग्रामों की सूची जो मुख्य रूप से बाढ़ से प्रभावित हुए थे :—

तहसील जमानियां

क्रमांक	नाम ग्राम	जनसंख्या	क्रमांक	नाम ग्राम	जनसंख्या
1	दाउदपुर	1284	31	रोहुणा ..	1586
2	घुसका	2054	32	खईचा ..	502
3	असैचन्दपुर	1236	33	रमैइला ..	572
4	गायघाट ..	2288	34	राम नरायनपुर ..	848
5	अमईपुर ..	1215	35	टोकवा ..	902
6	ताजपुर मु0 गायघाट ..	748	36	रुपाबरैला उर्फ लोटवा	572
7	रायपुर ..	354	37	डींलाचवर ..	604
8	खरगसीपुर उर्फ नई बाजार	884	38	तारनबांध ..	630
9	हरबल्लमपुर ..	1376	39	तियरी ..	1264
10	शाहपुर लठिया ..	1284	40	सेन्डरा ..	1370
11	दरौली ..	5361	41	देवइथा ..	7972
12	बघरी ..	2974	42	रसूलपुर नेवादा ..	578
13	नरसिहपुर ..	794	43	सौनातिनकोनी ..	7576
14	गढ़वा उर्फ प्रहलादपुर ..	300	44	सिहानी ..	1736
15	महली ..	1500	45	उसियाबाद ..	28276
16	कोनहरा ..	264	46	उसिया (घनाड़ी) ..	
17	अहिमनपुर ..	222	47	उसिया (पलिया)	
18	खजुरी ..	2140	48	उसिया (पिउरहा)	
19	अरंगी ..	3018	49	देवढ़ी ..	3312
20	जलालपुर उर्फ बभनपुरा	414	50	कबीरपुर उर्फ घीनहापुरा	362
21	दिलदारनगर निरहूपुरा ..	5282	51	परमेश्वरपुर ..	280
22	ताजपुर कुर्रा ..	5980	52	मुहम्मदपुर उर्फ गोपालपुर	1000
23	कुसी (हरिजन बस्ती)	13714	53	अमौरा ..	4038
24	कुसी (मिर्चा) ..		54	पचौरा ..	3110
25	कुसी (कतेरुवा)		55	केशवपुर ..	730
26	कुसी (जबरना)		56	हथौरी ..	834
27	कोसराडीह ..	40	57	मनिया ..	5428
28	करमहरी ..	4064	58	देवकली ..	2564
29	उधरनपुर ..	544	59	कुतुवपुर ..	1430
30	रामपुर फफुआंव ..	3184	60	सादर ..	8754

1	2	3	1	2	3
61	भतौरा ख०	3854	73	मिश्रवलिया	631
62	हेरकरेनपुर	1262	74	बकसड़ा	1435
63	मगरखाई	1818	75	देवल	6517
64	सिंघा	166	76	सुरहा	836
65	दलवतपुर	668	77	करहिया	4996
66	राजमत बांध	250	79	कुसिपरा	60
67	रामसेनपुर	468	80	विपरौली	198
68	टड़वा	336	81	उचितपुर	48
69	बरेंजी	1846	82	सेवराई	12039
70	लहना	3261	83	चौरही	13
71	रामपुर कनक	11	84	दिलदारनगर (नटपुरवा)	796
72	गोड़सरा	2669			

कृते जिलाधिकारी
गाजीपुर।

जनपद गाजीपुर

जलप्लावित ग्रामों की सख्या, जनसंख्या सहित । तहसील—मुहम्मदाबाद

क्रम-स0	नाम ग्राम	अनुमानित जनसंख्या	क्रम-स0	नाम ग्राम	अनुमानित जनसंख्या
1	सोनवरसा	500	29	मसौनी	556
2	जानूपुर	515	30	ढ़ड़िया	256
3	महेन्द	4000	31	चमरारी	150
4	सोनवानी	1200	32	फतेउल्लाहपुर	215
5	जगदीशपुर	345	33	सिउरा भरटोली	217
6	सरदरपुर	150	34	अब्दुलपुर (मल्लाहटोली एवं भरटोली)	598
7	नसीराबाद	472	35	फरीदनपुर	158
8	खेमपुर	245	36	नसरतपुर मु0पाली	217
9	सौना (मठिया)	547	37	नसीरपुर मु0सुखत	290
10	पहाड़ीपुर	352	38	खैरा	350
11	बरैनी	442	39	मुहम्मदपुर कुसुम (हरिजन बस्ती)	277
12	नसरतपुर	456	40	मुबारकपुर जुगुनू	162
13	मानिकपुर	235	41	शिवनारायण का पुरा	570
14	खेमपुर	412	42	नवापुरा	300
15	दक्षन सिवाइच	575	43	मुबारकपुर	155
16	मुबारकपुर	268	44	बरार	816
17	सिलाइच	479	45	पावपट्टी खास	378
18	सियाड़ी	677	46	गौसलपुर बिन्दटोली	150
19	फतेहउल्लापुर	215	47	गोविन्दपुर	217
20	बलियरिया	457	48	सेमरी	319
21	सुरनी	151	49	मझौवा	117
22	खोरमपुर	117	50	पाण्डेयपुर	218
23	गोइउर	3000	51	ताल पियरी (पखनपुरा)	118
24	तालखुदिया	253	52	पुरानीगंज	395
25	महेशपुर	38	53	पुरवत (हरिजन बस्ती)	199
26	चकमदेसन उर्फ मरैला	177			
27	सोनवरसा	375		योग	24,753
28	शहाबुद्दीनपुर	290			

कृते जिलाधिकारी
गाजीपुर ।

नत्थी 'ग'

(देखिए अ.ता.0प्र0सं0-64 क, उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

मगई नदी से चारो तरफ से घिरे ग्रामों की सूची

क्रमांक	नाम ग्राम	क्रमांक	नाम ग्राम
1	नसरतपुर	17	बरेजी
2	मानिकपुर	18	सुरनी
3	दबन सिवाइच	19	ढुढ़िया
4	सिलाइच	20	चकघमसिनपुर उर्फ मरेला
5	खेमपुर	21	मसौनी
6	सवना मठिया	22	शाहाबुद्दीनपुर
7	महेन्द्र	23	सेनबरता
8	सियाड़ी	24	गोड़उर
9	फतेहउल्लाहपुर	25	तालखुटिया
10	बरियारिया	26	खमपुर मु0 करीमुद्दीनपुर
11	सोनवानी	27	महेशपुर
12	जगदीशपुर	28	मुबारकपुर
13	नसीराबाद	29	खैरमपुर
14	सरदपुर	30	सोनबरसा
15	जानूपुर	31	चमरारी
16	पहाड़ीपुर	32	फतेहउल्लाहपुर ।

टोंस नदी से चारों तरफ से घिरे ग्रामो की सूची:--

क्रमांक	नाम ग्राम	क्रमांक	नाम ग्राम
1	सिउरा	9	गड़ार
2	बरार	10	पावपट्टी खात
3	फरीदनपुर (हरिजन बस्ती)	11	गोसलपुर
4	अब्दुलपुर	12	सेमरी
5	मुहम्मदपुर कुसुम	13	गोबिन्दपुर
6	सिउरी अहट	14	खैरा
7	सिउरी	15	नसीरपुर पाली
8	मुबारकपुर जुगुनू	16	नसीरपुर सुरबत

जनपद गाजीपुर तहसील मुहम्मदाबाद

मगई नदी से जलप्लावित ग्रामों में वितरित की गयी खाद्य सामग्री का विवरण :--

क्रमांक	नाम ग्राम	लाभान्वित परिवारों की सं0	वितरित की गयी खाद्य सामग्री (कुन्टल में) गेहूं	नमक	दियासलाई (अदद में)	मिट्टी का तेल (ली0में)	चना
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नसरतपुर	113	11.30	0-56-500	113	113	..
2	मानिकपुर	25	2.50	0-12-500	25	25	..
3	दवन सिलाइच	35	3.50	0-17-500..	35	35	..
4	सिलाइच	178	17.80	0-89-00	178	178	..
5	खेमपुर	70	60.00	0-37-00	80	70	..
6	सवना मठिया	276	27.60	1-38-00	276	276	1.25
7	महेन्द्र	1232	123.20	6-90-500	1209	1209	..
8	सियाड़ी	150	15.00	0-75-00	150	150	..
9	फतेउल्लाहपुर	50	5.00	0-25-00	50	50	..
10	बरियरिया	125	12.50	0-62-500	125	125	..
11	सोनवानी	290	29.00	1-45-00	290	290	..
12	जगदीशपुर	58	5.80	0-29-000	58	58	..
13	नसीराबाद	57	5.70	0-28-500	57	57	..
14	सरदपुर	80	7.48	0-37-00	86	86	..
15	जानूपुर	109	10.90	0-54-500	109	109	..
16	पहाड़ीपुर	390	39.00	1-95-00	390	390	..
17	बरेजो	290	29.00	1-05-00	210	210	..
18	सुरनी	105	10.50	0-52-500	105	105	..
19	डुढ़िया	190	10-00	0-95-00	190	190	..
20	चकधर्म सेनपुर उर्फ भरैला।	100	10.00	0-50-00	100	100	..
21	मसौनी	210	21.00	1-05-00	210	210	..
22	शहाबुद्दीनपुर	138	13.80	0-69-00	138	138	..
23	सोनवरसा	25	2.50	0-12-500	25	25	
24	गोड़उर	400	40 00	2-00-00	400	400	
25	ताल खुदिया	60	6.00	0-30-00	60	60	..
26	खेमपुर मु0 करीमुद्दीनपुर।	60	6.00	0-30-00	60	60	..
27	महेशपुर	150	15.00	0-75-00	150	150	..
28	मुबारकपुर	35	3.50	0-17-500	35	35	..
29	खोरमपुर	45	4.50	0-23-500	45	45	..
30	सोनवरसा	32	3.20	0-16-00	32	32	..
31	चमरारी	40	4.00	0-20-00	40	40	..
32	फतेउल्लाहपुर	25	2.50	0-12-500	25	25	..
	योग	5,149	505.70	25-24-00	5046	5046	1.25

कृते जिलाधिकारी,
गाजीपुर।

जनपद गाजीपुर

तहसील मुहम्मदाबाद

क्रमांक	नाम ग्राम	लाभान्वित परिवारों की संख्या	वितरित की गयी खाद्य सामग्री (कुन्टल में) गेहूं	नमक	दियासलाई (अदद में)	मिट्टी का तेल (ली0में)	चना
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिउरा	250	25.00	1-25-00	250	250	7.15
2	बरार	241	24.10	1-20-500	241	241	. .
3	फरीदनपुर	89	8.90	0-44-500	89	89	4.45
4	अब्दुलपुर	284	28.40	1-42-00	284	284	2.90
5	मुहम्मदपुर कुसुम	60	6.00	0-30-00	60	60	. .
6	सिउरी अमहट	10	1.00	0-05-00	10	10	. ..
7	सिउरी	218	29.80	0-56-00	112	112	. .
8	मुबारकपुर जुगुनू	182	29.20	0-59-00	118	118	. .
9	गड़ार (मुबारकपुर)	249	31.40	1-57-00	314	314	. .
10	पजियपट्टी खास	71	7.10	0-35-500	71	71	. .
11	गोसलपुर	80	8.00	0-40-00	80	80	. .
12	सेमरी	17	1.70	0-08-500	17	17	. .
13	गोविन्दपुर	178	17.80	0-89-00	178	178	. .
14	खैरा	50	5.00	0-25-00	50	50	2.25
15	नसीरपुर पाली	26	2.60	0-13-00	26	26	1.30
16	नसीरपुर सुरवत	24	2.40	0-12-00	24	24	1.45
	योग	1949	212.40	9-52-00	1924	1924	19.50

कृते जिलाधिकारी,
गाजीपुर।

पी0ए0 (एस0पी0)—एल0 14 वि0सभा (22)—1988—813।